हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

03/04/2018/1100/RG/YK/1

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

अध्यक्ष : श्री राम लाल ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम तीन सदस्यों ने नियम-62 के अधीन चर्चा करने के लिए आपसे निवेदन किया था। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अख़बारों में हररोज़ छप रहा है। एक आदमी सारी ऐसोसियेशन्ज के ऊपर राजनीतिक तौर से कब्ज़ा कर रहा है। श्रीमती विद्या स्टोक्स हॉकी की प्रैसीडेंट थीं और वे हॉकी इण्डिया की भी प्रैसीडेंट रहीं। उनको बिना नोटिस दिए हुए कानून के खिलाफ मीटिंग्ज़ कॉल करके जिस मीटिंग में कबड्डी के, बॉक्सिंग के और दूसरी एसोसियेशन्ज़---(व्यवधान)---में जाकर उनको किया गया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी, एक मिनट के लिए कृपया आप बैठिए। आप एक मिनट मुझे भी दें। नियम-62 के अन्तर्गत मुझे तीन माननीय सदस्यों का नोटिस प्राप्त हुआ है और मैंने उसे सरकार को प्रेषित कर दिया है। मेरा प्रयास रहेगा कि चर्चा हो क्योंकि हमारे पास चर्चा के लिए कल का दिन बचा हुआ है। मैं आपको नोटिस के ऊपर उचित समय दूंगा, आप उस पर चर्चा करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष : एक मिनट, आप मेरी पूरी बात सुन लें, फिर आप जो भी कहें। ठीक है, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

03.04.2018/1105/जेके/वाईके/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः जो हम मुद्दा रखना चाहते हैं उसका आप संज्ञान ले लें। बाकी देखते हैं।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण विषय हो गया है क्योंकि सरकार आज ही जो इस विधान सभा में एक पुराना बिल पास

हुआ था, जिसको राज्यपाल महोदय की मंजूरी के लिए दिया था। माननीय राज्यपाल महोदय ने उसमें टिप्पणी नहीं की और दूसरे राज्यपाल महोदय ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आज की कार्यवाही में देखा जाए तो सरकार उस पुराने विधेयक को वापिस लेना चाह रही है। आज मैं यह कहूंगा कि परिस्थिति उससे ज्यादा नज़र आ रही है। जो हमने नोटिस के द्वारा आपसे निवेदन किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में,

अध्यक्षः माननीय राम लाल ठाकुर जी, प्लीज़ दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। प्रश्न काल के बाद आप इस मुद्दे को रेज़ कर लीजिए।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन्ज़ हैं वे ओलम्पिक चार्टर के मुताबिक काम कर रही हैं। हम नेशनल लैवल पर नहीं जा सकते अगर ओलम्पिक चार्टर के मुताबिक एसोसिएशन्ज़ के माध्यम से हमारे बच्चे नहीं खेलेंगें। नेशनल लैवल पर यदि हमारी हिमाचल प्रदेश की टीम जाएगी ,ओलम्पिक चार्टर के मुताबिक वह नहीं खेल सकते अगर वह हिमाचल प्रदेश ओलोम्पिक एसोसिएशन के माध्यम से न जाएं। आज अध्यक्ष महोदय यह हो रहा है कि मंत्री जी का बयान अखबारों में आया। (व्यवधान)

अध्यक्षः श्री राम लाल ठाकुर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

03.04.2018/1105/जेके/वाईके/2

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो गया क्योंकि,

अध्यक्षः राम लाल ठाकुर जी, यह विषय आप प्रश्न काल में नहीं उठा सकते हैं। नियम-62 को आप प्रश्न काल में नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि आपके ही प्रश्न हैं। मेरा यह कहना है कि

आप इसे प्रश्न काल के बाद रेज़ कर लीजिए। जब यह बिल विद्ड्राल के लिए आएगा, उस समय भी आपको चर्चा का समय मिलेगा। आप अपनी बात करें।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं,जिनका खेलों से संबंध है, उनके लिए यह और ज्यादा पीड़ादायक हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्षः राम लाल जी, प्लीज, एक मिनट। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जब मर्ज़ी चाहे खड़े हो जाएं। आप इसको नियम के अनुसार तो उठाएं। बिना किसी नियम के, कोई नोटिस नहीं है, कोई नियम नहीं है। बिना नोटिस के कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, ये जब मर्ज़ी चाहेंगे तब खड़े उठ करके कुछ कह देंगे। प्रश्न काल को डिस्ट्रप्ट करना यह किस नियम में होगा? This is the disruption of the Question Hour. नियम, नियम ही होता है और हर वक्त नियम लगता है और अध्यक्ष महोदय को भी नियम के अनुसार काम करना होता है। (व्यवधान) हां, तो संसदीय कार्य मंत्री नहीं बोल रहे हैं। आप किस नियम से बोल रहे हैं? आप किस नियम से बोल रहे हैं? नियम- 62 का चाहिए तो 62 में दे दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) आप बिना नियम के खड़े हो रहे हैं। प्रश्न काल में खड़े हो रहे हैं। यह तो कोई बात नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

03.04.2018/1105/जेके/वाईके/3

अध्यक्षः मुकेश जी, प्लीज। राजेन्द्र जी, प्लीज। माननीय सदस्यों ने जितने भी नोटिसिज़ दिए हैं मैंने सबका संज्ञान लिया। आज भी नियम-62 की चर्चा लगी है, नियम-130 की चर्चा लगी है। नियम-62 का नोटिस आपका आया है। हमने आपको यहां से आश्वस्त किया कि उसको सरकार को भेजा है। हम आपको चर्चा के लिए समय देने वाले हैं। यहां पर बहुत सीनियर सदस्य हैं। आप लोग मेरी बात पूरी होने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मैंने सरकार को नोटिस भेजा है। जो आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं (व्यवधान)

03.04.2018/1110/SS-AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागतः

--(व्यवधान)-- अध्यक्ष महोदय, खेल संघों पर कब्ज़ा शुरू हो गया है।

03.04.2018/1110/SS-AG/2

अध्यक्षः मुकेश जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप बैठिये। Not to be recorded. --(व्यवधान)-- Not to be recorded. --(व्यवधान)--

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

प्रश्न काल प्रारम्भ

स्थगित प्रश्न संख्याः 18 श्री राम लाल जी।

श्री राम लाल जी प्रश्न रेज़ नहीं करना चाहते हैं।

दूसरा प्रश्न श्री बलबीर सिंह वर्मा। --(व्यवधान)--

03.04.2018/1110/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 138

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जितनी भी पेयजल और सिंचाई की योजनाएं थीं --(व्यवधान)--

अध्यक्षः बलबीर जी, एक मिनट। --(व्यवधान)-- माननीय सदस्य, श्री बलबीर जी।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी पेयजल और सिंचाई योजनाएं जलवायु परिवर्तन के कारण सूख रही हैं और इस बार स्पैशली बर्फ कम होने के कारण जितने भी हमारे पानी के स्त्रोत थे वे मैक्सिमम हाइटों पर सूख गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस गर्मी में कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो हमारे टॉप के पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें स्त्रोत में पानी नहीं आ रहा, गांव में पानी नहीं आ रहा, उनके लिए कोई पानी का इंतजाम करेगी?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो मंशा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से चौपाल विधान सभा क्षेत्र के अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर --(व्यवधान)--

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्षः एक मिनट, मंत्री जी। मुकेश जी, सुनिये। --(व्यवधान)-- नहीं तो न सही। माननीय मंत्री जी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सम्माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो प्रश्न है वह केवल चौपाल विधान सभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है यह प्रश्न पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी पेयजल परियोजनाएं हैं, इसके अलावा सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश न होने की वजह से, बर्फबारी कम होने की वजह से दिन-प्रतिदिन उन पेयजल/सिंचाई परियोजनाओं में जल स्तर कम होता जा रहा है।

3.04.2018/1115/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 138 जारी----

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----

मैं महसूस करता हूं कि उचित होगा अगर आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से जो एक गम्भीर सूखे की स्थिति आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आगामी जो भी सत्र होगा, उसमें इसका विधिवत रूप में पूर्ण जवाब आपको दे दिया जाएगा।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्षः जब जवाब ही नहीं आया तो आप क्या पूछेंगे? वर्मा जी, एक मिनट बैठिए । मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने मुझे जो नियम-62 का नोटिस दिया उसके अनुरूप सरकार का उत्तर आने के बाद ही उसको सदन में चर्चा के लिए लगाया जा सकता है और जो खेल विधेयक वापिस लेने का प्रश्न है, नियम-176 के अन्तर्गत वापिस लेने के समय पर किसी को आपत्ति है, वह अपनी आपत्ति इसमें दर्ज करा सकता है परन्तु माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह अनुचित है। अब प्रश्नकाल को आगे बढ़ाते हुए, अगला प्रश्न ।

श्री बलबीर सिंह बर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्षः जब मंत्री जी के पास इसका उत्तर ही नहीं है और उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है तो आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री बलबीर सिंह बर्माः जी, अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, उसमें जितने भी गांव हैं, वे सारे पहाड़ियों पर है। बर्फ कम होने के कारण पानी के जितने भी स्त्रोत हैं, सारे ही सूख गए हैं। इस बार आपने रिप्लाई देना है गर्मी खत्म होने के बाद लेकिन अभी जो गर्मी का मौसम आएगा उसमें कैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र के गावों में पानी की व्यवस्था

3.04.2018/1115/केएस/एजी/2

सरकार करेगी? क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो आश्वासन चाहा है, सरकार और विभाग पूर्ण रूप से लगा है कि आने वाले समय में जो गम्भीर चुनौती हमारे सामने हैं, इस चुनौती का हम सामना करेंगे और इसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। उठाऊ पेयजल परियोजना में तो ऐसा है कि अगर एक जगह का स्त्रोत सूखेगा तो हम थोड़ा नीचे जा कर वहां से टैप कर सकते हैं लेकिन जो बहाव पेयजल परियोजनाएं हैं, वहां जब ऊपर का पानी ही सूख जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या वहां है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसी हेबिटेशन्ज़ हैं जो सड़क से ऊपर है। सड़क के नीचे तो हम टैंकर्ज़ के माध्यम से पानी उपलब्ध करवा सकते हैं लेकिन जो सड़क से बहुत ऊपर हैं, वहां दिक्कत आ सकती है। तो इसके ऊपर भी मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सूखे के प्रति गम्भीर है और हम भरपूर कोशिश करेंगें कि ऐसी स्थिति पैदा न हो और किसी भी हैबिटेशन में पीने के पानी की कोई कमी न हो।

3.4.2018/1120/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 420.

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, उठाऊ पेयजल योजना निशानी कुई-कोड़, टोगी-गराहना इत्यादि गांवों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के तहत वर्ष 2012 में कार्य शुरू किया गया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह योजना अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई तथा इस योजना को कब तक पूरा किया जायेगा? साथ में, यह भी बताया जाए कि जब तक यह योजना पूरी नहीं होती तब तक विकल्प के रूप में इन गांवों को पानी की सप्लाई कहां से दी जायेगी? इसके अतिरिक्त, उठाऊ पेयजल योजना फाटी कशोली, ग्राम बारी का वर्ष 2015 में कार्य शुरू किया गया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक पूरा किया जायेगा?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उठाऊ पेयजल योजना फाटी कशोली, ग्राम बारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के बारे में प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना का 70 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया है और 30 प्रतिशत बाकी बचता है। बाकी शेष बचे 30 प्रतिशत कार्य को भी एक महीने के अंदर पूरा कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, आपने निशानी कुई-कोड़, टोगी, गराहना इत्यादि गांवों के लिए वर्ष 2012 में शुरू की गई उठाऊ पेयजल योजना के बारे में जानना चाहा है तो इसमें भी 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और इसको भी शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जायेगी।

3.4.2018/1120/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 421

श्री परमजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का विभाग की तरफ से बड़ा शानदार उत्तर आया है। इसमें बताया गया है कि बी0बी0एन0डी0ए0 में वर्तमान में कुल 83,067 कर्मियों में से 60,018 हिमाचली व 23,049 गैर हिमाचली काम कर रहे हैं। जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट है, वहां पर 23000 हिमाचली भी काम नहीं कर रहे हैं। आप इसके लिए चाहे कोई कमेटी बनाएं या मंत्री महोदय वहां पर किसी को भेजकर स्थिति का जायजा लें, आप पायेंगे कि वहां पर स्थिति बिल्कुल उलट है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर क्या किया जाता है। जब हिमाचली युवक इन्टरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां उनके बोनाफाइडी सर्टिफिकेट रख लिए जाते हैं और उन कागजों को फाइलों में लगा दिया जाता है तथा दिखा दिया जाता है कि ये-ये हिमाचली हमारी कम्पनी में काम करते हैं। जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट है क्योंकि वहां पर हिमाचलियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर वहां पर कोई लड़के रोजगार पर लगते भी हैं तो उन्हें ऐसी जगहों पर लगा दिया जाता है कि वे 15-20 दिन या एक महीने के अंदर उस रोजगार को छोड़कर चले जाते हैं। मेरी मंत्री महोदय से ट्रांसपोर्ट से रिलेटिड भी एक प्रार्थना है क्योंकि यह प्रश्न रोजगार से सम्बंधित है। बी0बी0एन0डी0ए0 में इण्डस्ट्री के अंदर इस समय 270 बसें काम कर रही हैं जिसमें से हिमाचलियों की 56 बसें हैं और बाकी बसें पंजाब तथा हरियाणा के

लोगों की हैं। इसमें हमारी सरकार को लाभ के साथ-साथ हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसका कारण यह है कि अगर हमारी बसें पंजाब या हरियाणा में जाती हैं तो एक दिन का 3500 रुपये टैक्स देना पड़ता है और उनकी बसें अगर हिमाचल के अंदर आती है तो उसके लिए उन्हें एक दिन के लिए सौ रुपये देने होते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना पर विचार किया जाए और मैं आश्वासन भी चाहता हूं क्योंकि इससे हमारी सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा तथा हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री परमजीत सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से अपनी बात उठाई है। आपने जो आंकड़ें यहां पर पढ़े हैं यह 23,049 गैर हिमाचलियों की फिगर है।

03.04.2018/1125/TCV/DC-1

प्रश्न संख्याः 421.. क्रमागत्

माननीय उद्योग मंत्री .... जारी

और 60 हजार 18 हिमाचलियों की फ़िगर है। गैर-हिमाचली और हिमाचली अलग-अलग है। इसके साथ-साथ आपने एक बात की चिन्ता जताई है कि हमारे बच्चों के बोनाफाईड सर्टिफिकेट इंटरव्यू के समय रख लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं को दर्शाया जाता है कि ये 70 परसेंट हो गये हैं। मैंने इसकी सारी डिटेल मांगी है। मैं आपके ध्यान में 2-3 बातें लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 184 औद्योगिक इकाईयों की सूची ऐसी प्राप्त हुई है, जहां पर 70 परसेंट हिमाचली नहीं लगे हैं। हमने 2004 में यह नियम बनाया था कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगाएगा, उसको 70 प्रतिशत् हिमाचली लगाने होंगे। लेकिन हमारे पास जो कंप्लैंट्स आई है, उसके मुताबिक 184 औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्होंने 70 प्रतिशत् हिमाचली अपने उद्योगों में नहीं लगाये हैं। हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में कोई जानकारी है तो मैं चाहूंगा कि आप उनको हमें बताएं ताकि उनका मौके पर ही निपटारा किया जा सकें।

दूसरा, आपने बी0बी0एन0 में बसों के बारे में बताया है कि वहां पर 56 हिमाचलियों की बसें हैं और 270 पंजाब और हरियाणा वालों की बसें हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो इंकार नहीं करते हैं, यदि ये इन बसों को बढ़ाने चाहते हैं तो ये बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी हिमाचल प्रदेश की बसों को लगाने में कोई रूकावट डालता है, कोई भी इकाई यह चाहती है कि हिमाचल प्रदेश की बसों को न लगाया जाये, पंजाब और हरियाणा की बसों को लगाया जाये तो आप मेरे ध्यान में लाएं। हम वहां पर हिमाचल की बसें लगाएंगे। ताकि हिमाचल के बच्चों को उनमें रोज़गार मिल सकें।

03.04.2018/1125/TCV/DC-2

श्री परमजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उसका भी कारण है। जो हिमाचल नम्बर की बसें हैं, जब वे हरियाणा में जाती है तो उनको 3500/- रुपये एक दिन का देना पड़ता है। इसी तरह से जब वे पंजाब में जाती है तो भी 3500/- रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन जो उनकी बसें हिमाचल में आ रही है, उनको सिर्फ 100/- रुपये देने पड़ते हैं। जो 56 बसें लोगों ने डाली है, वे बी0बी0एन0 में ही चलती है। लेकिन वे चण्डीगढ़ नहीं जा सकती है। उनको इतना टैक्स देना पड़ता है कि इतना टैक्स कम्पनी भी नहीं दे सकती है। हमारी जो पॉलिसी है, हमारी सरकार ने जो 100/- रुपये टैक्स लगाया है, उसको पंजाब हरियाण के बराबर लगाया जाये। जिससे वे बसें भी रुकेंगी और हमारे लोगों को बसें डालकर रोज़गार भी मिलेगा।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसमें उन्होंने जानना चाहा है, वास्तविक स्थिति ऐसी है कि वे सर्टिफिकेट्स रख लेते हैं और अपना खाना पूरा कर लेते हैं। हिमाचलियों की संख्या, जो सूचना आती है, उससे भिन्न है। इसमें वे जानना चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे?

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसमें दो तरह से हल निकाला जा सकता है। एक तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगी है, लेबर एण्ड एंप्लायमैंट डिर्पाटमैंट वहां जाकर इसकी सारी वस्तुस्थिति को रिव्यू करें। यदि इस तरह की कोई खामियां पाई जाती है, तो उन पर एक्शन करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ठीक करने का यही एक तरीका है।

दूसरा, आपने टैक्स का विषय रखा है। माननीय परिवहन मंत्री जी साथ बैठें हैं, इनसे इसके बारे में बात करेंगे कि जब हम 3500/-रुपये दे रहे हैं तो वे 100/- रुपये क्यों दें? इसको ठीक करेंगे। आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है।

03.04.2018/1125/TCV/DC-3

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि औद्योगिक इकाईयों में हिमाचललियों को 70 परसेंट रोज़गार देने का हिमाचल प्रदेश सरकार का एग्रीमैंट हुआ है। First preference will be given to Himachalis. जब लेबर डिपार्टमैंट लिखित रूप में सर्टिफिकेट देता है कि इतने हिमाचली इस इंडस्ट्री में लगे हैं, तब उनको सब्सिडी मिलती है। यदि लेबर डिपार्टमैंट उनको लिखकर न दें तो उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। इस तरह से वहां पर बच्चों का शोषण हो रहा है।

03-04-2018/1130/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 421 ----क्रमागत

श्री रमेश चंद ध्वाला ----द्वारा जारी।

शोषण इसलिए भी हो रहा है कि जो मारूति उद्योग और अन्य बड़ी- बड़ी 5 या 10 कंपनियां वहां पर हैं, उन कंपनियों में केवल मात्र हमारी आई0टी0आई0 की जितनी संस्थायें खुली हैं, ये उनसे पूरा बेनिफिट लेते हैं और अपनी आई0टी0आई0 में इंटरव्यू

करवा करके एक साल की apprenticeship के बाद उन बच्चों को निकाल दिया जाता है। जब नया साल शुरू होता है तो वहां पर नये रेक्रूटमैंट हो जाती है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह प्रयास करेंगे कि सारे-के-सारे लड़के/लड़कियां नालायक तो नहीं हैं, कम-से-कम 20 प्रतिशत उनमें से रखे जायें? ये स्टूडैंट्स फिर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कंपनी वालों ने एक साल तो apprenticeship में लगवा लिया और उसके बाद सभी को निकाल दिया। मैं मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि आप कृपया करके जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वे मारूति या कोई अन्य बड़ी कंपनियां हैं, उनसे आप बातचीत करके कम-से-कम 15 या 20 प्रतिशत बच्चे वहां पर रखे जायें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं थोड़ा इनसे और पूछ लेता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप थोड़ा जल्दी पूछें।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन कंपनियों में जो महिलायें काम करती हैं और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनको 10,11 या 12 बजे घर जाना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या उनको घर तक पहुंचाने के लिए कंपनी गाड़ियों की व्यवस्था या किसी चौकीदार की व्यवस्था कर रही है? इसके अलावा जितने उद्योगपति हैं, ये कम-से-कम वहां पर रहने की व्यवस्था करें। अगर वहां पर रहने की व्यवस्था होगी तो युवकों का किराया भी कम लगेगा। वे वहां पर पाचं या छः हज़ार रुपया किराया देते हैं और दूसरे या तीसरे महीने वहां से भाग आते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमें झूठी/फेक रिपोर्ट देते हैं कि इतनी सैलरी इन युवाओं को हम दे रहे हैं। वे सारी-की-सारी सैलरी नगद न दे करके इनके बैंक खाते में जानी चाहिए, that will be solid proof.

उद्योग मंत्रीः आदरणीय श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे नौज़वानों के बारे में पूछा है। इन्होंने पहला प्रश्न किया है कि लेबर एंड इम्पलायमैंट

डिपार्टमैंट यह सुनिश्चित करता है और उसके बाद इनको सबसिडी मिलती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश के अलावा कहीं पर भी

इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। जो 70 प्रतिशत वाला हम बोल रहे हैं, यह वर्ष 2004 में औद्योगिक नीति आई थी। इसमें हमने यह कंडीशन लगाई है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे वहां पर apprenticeship पूरी करवाते हैं और फिर बाकी की चीज़ें चलते हैं। जो उद्योग लगते हैं, वे अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी शो करता है कि हमने इतने लोग लगाने हैं और इनमें से इतने हिमाचली होंगे। लेकिन जैसे आदरणीय परमजीत सिंह जी ने बोला है कि वहां पर कागज़ों में तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में यह नहीं होता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं, हम इसको सुनिश्चित करेंगे ताकि जो इस प्रकार की गड़बड़ कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाये। दूसरा, आपने कहा कि आई0टी0आई0 में apprentice शब्द लगा दिया है। apprenticeship तो एक साल की होती है। शायद दो साल की भी होती होगी। लेकिन उसके बाद कंपनी इन बच्चों को रेक्रूट करना चाहती है तो मैं यह चाहता हूं कि वहां की रेक्रूटमैंट में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ठीक मिले। आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है। apprenticeship तो एक वर्ष की होगी। उसके बाद ये वहां पर जो पोस्टें निकालते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर हमारे हिमाचली लगें। आपने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी प्रश्न किया है। मेरे ध्यान में नहीं है कि आपने कौन-सी महिलायें देंखी हैं, जो रात को 10 या 12 बजे घर जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 बजे किसी की शिफ्ट नहीं है। 6 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 6 बजे तक शिफ्ट होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजे जो महिलायें जाती होंगी, उनके लिए पक्की व्यवस्था होगी। लेकिन फिर भी कोई पर्टिकुलरली इंडस्ट्री ऐसा कर रही है तो आप ध्यान में लायेंगे तो इसको ठीक किया जायेगा। आपने कंपनियों को रहने की व्यवस्था के बारे में भी बोला है। कुछ कंपनियों के बारे में मेरे पास जानकारी है, जिन्होंने यह व्यवस्था की है। लेकिन बहुत-सी कंपनियां ऐसी हैं, जहां पर यह व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था के बारे में भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

अध्यक्षः अंतिम सप्लीमैंटरी श्री राकेश पठानिया जी करेंगे।

03.04.2018/1135/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 421...जारी

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आप 70 % की बात कर रहे हैं, क्या यह स्किल्ड में है, सेमी-स्किल्ड में है या अनस्किल्ड में है? जो तीन कैटेगरी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की कैलकुलेट करते हैं, इनमें 70% का रेशो किसमें है? दूसरा, क्या सभी कम्पनी ने मिनिमम वेज़िज एक्ट इम्प्लिमैंट किया है? अगर यह किया होगा तो इससे 70% अनइम्प्लॉयमैंट दूर हो जाएगी। यह मैं माननीय मंत्री जी से क्लीयर करना चाहूंगा।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 70% ऑफ टोटल इम्प्लॉइज की कंडिशन्ज हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में कैटेगराइज किया गया है 70% ऑफ द टोटल, इसको मैं चैक करुंगा। जो आप कह रहे हैं, उसको हम देख लेंगे।

दूसरा, आपने मिनिमम वेज़िज की बात कही है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने पहली रिव्यू मीटिंग में लेबर एंड इम्प्लॉयमैंट के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में यह कहा गया कि जितने भी इम्प्लॉइज इंडस्ट्रीज़ में काम कर रह हैं, उनको आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाए और उनकी तनख्वाह ऑन-लाइन बैंक में डाली जाए। उससे यह हुआ कि जैसे हमारे बच्चों को 10,000 रुपये बोनस मिल रहा है तो वह 5,000 रुपये ही मिलता था और 10,000 रुपये में साइन करवा दिए जाते थे। हमने पहली मीटिंग में यह बात कही और हम उस तरफ बढ़े हैं। मुझे लगता है कि इसका नतीज़ा ठीक निकलेगा।

03.04.2018/1135/RKS/HK-2

<u>प्रश्न संख्याः 422</u>

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नगवांई में उद्यान विभाग की तकरीबन 60 बीघा भूमि थी। जिसमें से तकरीबन 5 बीघा भूमि राजकीय वरिष्ठ

माध्यमिक पाठशाला, नगवांई के नाम कर दी गई थी। लेकिन 55 बीघा भूमि वहां पर बची थी। इस जगह में 14 पंचायतों का क्षेत्र आता है और यह सारा क्षेत्र बागवानी के तहत आता है। इस भूमि में उद्यान प्रसार केंद्र भी था। इसी भूमि पर सेब, पलम, आड़ू और खुमानी इत्यादि जितने भी पौधे लगाए जाते हैं, वे सारी नर्सरी वहां पर तैयार की जाती थी। इस सारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था थी। विभाग इस क्षेत्र के अलावा हिमाचल प्रदेश को भी यहां से अच्छे पौधे वितरण करता था। लेकिन खेद की बात है कि वर्ष 2001 के बाद शैम्पियन इंडस्ट्री के नाम पर इस भूमि को हस्तांरित किया गया। उद्यान विभाग, एच.पी.एम.सी. के संयुक्त उपक्रम के नाते वर्ष 2000 में यह भूमि शैम्पियन इंडस्ट्री के नाम हस्तांतरित की गई थी। लेकिन खेद इस बात का है कि वर्ष 2005 के बाद एम.ओ.यू. दोबारा साइन हुआ। आज 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस महत्वपूर्ण भूमि पर न तो सरकार द्वारा कुछ किया गया और न ही कम्पनी द्वारा कुछ किया गया है। 17 वर्षों से यह भूमि बांझ पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि यह भूमि हिमाचल प्रदेश में सबसे उचित भूमि है। इसके 500 मीटर पर डॉ0 वाई.एस.परमार, प्रसार केंद्र है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न कीजिए।

श्री जवाहर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो भूमि लीज़ पर दी गई थी, इसमें जो एम.ओ.यू. साइन किया गया है, 17 वर्ष बीत जाने के बाद सरकार उसे वापिस ले। हमारा क्षेत्र बागवानी का क्षेत्र है। प्रसार केंद्र के नाते वहां पर किसानों को दवाइयां या अन्य चीजों की जो सुविधाएं प्रदान की जाती थी, वे उन्हें प्रदान की जाए। साथ में जो अच्छे किस्म के पौधे किसानों को प्राप्त होते थे, वे भी उन्हें उपलब्ध करवाए जाएं।

03.04.2018/1140/बी0एस0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्या 422 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाहर ठाकुर जी के चुनाव क्षेत्र में लगभग 55 बीघा 7 विस्वा 12 विस्वांसी भूमि एच.आई.एल. को दी गई और उसने अंगूर की वहां पर प्लांटेशन करनी थी, उस प्लांटेशन से जितना भी वहां पर एडज्वाइनिंग क्षेत्र था वहां पर अंगूर के पौधे बांटने थे, अंगूर से शराब बनाने का एक उद्योग वहां पर स्थापित करना था। यह ठीक है कि 2001 में भूमि का हस्तांतरण संबंधी सरकार के साथ एक एम.ओ.यू. हुआ। उस एम.ओ.यू. होने के उपरांत फिर 2005 में एक दूसरा एम.ओ.यू. हुआ। जो दूसरा समझौता हुआ, उसके बाद कम्पनी को 1,00,85,479/- रुपये 10 किस्तों में एच.पी.एम. सी. को देने थे। कम्पनी ने दो किस्तें दी, लेकिन दो किस्तों में बाद फिर कम्पनी ने किस्तें देना बंद कर दी। जिस उद्देश्य के लिए ये भूमि ली गई थी वहां पर न उन्होंने अंगूर की कोई नर्सरी उगाई न तो वहां पर एडज्वाइनिंग में अंगूर के पौधे वितरित किए गए, उसके बाद अंगूर लगने के बाद उसकी शराब बनाने का कारखाना लगना था। लेकिन न तो पौधे लगाए गए न बांटे गए न तो वहां पर शराब की कोई ऐसी फैक्टरी लगाई गई। विभाग ने फैक्टरी के मालिक को शो कॉज नोटिस दिए। पहला नोटिस दिया उसने रिसिव नहीं किया। दूसरा नोटिस फिर डाक के द्वारा भेजा गया, उसे उसने रिसिव कर लिया। माननीय अध्यक्ष जी, वह कम्पनी महाराष्ट्र की थी और वह मुम्बई हाईकोर्ट में चली गई। हाईकोर्ट में जाने के उपरांत फिर काईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष इसमें मिलजुल कर कोई समझौता करें फिर भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है क्योंकि यह एक ऐसी प्राइम लैंड है जिसकी कीमत आज पर विस्वा लगभग 5-6 लाख है, यह करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अध्यक्ष जी, इस जमीन में से अभी जो फोर लेन मण्डी, कुल्लू से मनाली निकल रही है उसमें लगभग 3 बीघा 3 विस्वा जमीन इसमें भी चली गई। जो बाकी है अगर उसकी आज की जो वर्तमान में मारकेट वेल्यू है उसके हिसाब से 2016 में इसकी कीमत 11,93,81,411/- रुपये बनती थी। लेकिन बीच में कैबिनेट के फैसले होते रहे, जो कैबिनेट के फैसले होते रहे उसमें एक हैरान करने वाला फैसला 2005 में

किया गया कि यह जो भूमि है, ये जो एच.आई.एल. है इसको ही बेच दिया जाए, जबकि ऐसा प्रावधान राजस्व विभाग में नहीं है। हम किसी भी गैर हिमाचली को जमीन नहीं बेच सकते हैं। हम किसी भी गैर हिमाचली को उद्योग लगाने के लिए लीज आउट कर सकते हैं। लेकिन आज तक यह मसला अधर में लटका हुआ है । मुम्बई हाईकोर्ट के बाद अब एच.आई.एल. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चली गई है। अब जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता है उस वक्त तक इसमें कुछ नहीं कर सकते। माननीय सदस्य की चिंता के साथ पूरा हाउस पूरा प्रदेश साथ है । अब यह मामला न्यायालय में है और तब तक मामला विचाराधीन है और न्यायालय से इसका फैसला नहीं होता है उस वक्त तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते कि इसमें अगला क्या कदम उठाया जाएगा। मैं माननीय सदस्य जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम न्यायालय में इस जमीन के प्रति तुरंत सुनवाई की मांग करेंगे, हम अपने एडवोकेट जनरल से निवेदन करेंगे कि वे न्यायालय में जा करके इस प्रकार की अर्जी वहां पर दें।

3.4.2018/1145/DT/YK/-1

प्रश्न संख्याः 423

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में कितनी पाठशालाएं हैं? प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि- "259 प्राथमिक पाठशालाएं, 63 माध्यमिक पाठशालाएं, 25 उच्च पाठशालाएं, तथा 40 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं और इसमें से 13 पाठशालाएं नई खोली गई हैं"। इन पाठशालाओं में यदि हम देखें तो 524 पद खाली चल रहे हैं। जिसमें कि मुख्यतः प्रवक्ता के 71, टी0जी0टी0 नॉन मैडीकल, 41 और जे0बी0टी0, के 49 और इस प्रकार बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा

कि जो 13 नई पाठशालाएं नई खोली गई हैं, क्या इन पाठशालाओं में पदों को स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही माननीय मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो पद खाली पड़े हैं क्योकि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दयोठी मझगांव में 14 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जदोल टपरोली, में भी 14 पद खाली हैं। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलानाघाट में 8 पद खाली हैं।इसी प्रकार माध्यमिक पाठशाला, लाना म्यूं जहां एकमात्र शास्त्री केवल स्कूल को चला रहा है। प्राथमिक पाठशाला, वाड़ा चाकली, प्राथमिक पाठशाला, भोड़ी में जे0बी0टी0 के दो पद स्वीकृत हैं और दोनों ही पद खाली चल रहे हैं। सरकार इन पदों को कब तक भरने का काम करेगी? दूसरा, अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा की बहुत सारे एसे स्कूल हैं जो रोड हैड पर है। इन रोड हैड के स्कूलो में अध्यापक अपनी एडजस्टमैंट करवा लेते हैं। पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों में बहुत सारे अध्यापकों ने अपनी एडजस्टमैंट करवा ली है। कुछ अध्यापक उनमें से एसे हैं जो पिछले 15 साल से 10-12- किलोमीटर के अन्दर ही घुम रहे हैं। क्या मंत्री महोदय,कोई ऐसा प्रवधान करेंगे कि जो इस प्रकार की एडजस्टमैंट हुई है, उन लोगो को भी दूर- दराज के स्कूलों में भेज सके? क्योंकि जो रोड हैड के स्कूल हैं वहां पर अध्यापक आपस में ही मिचूअल ट्रांसफर करते रहते हैं और जो गांव के स्कूल हैं, दुर- दराज के स्कूल हैं वह खाली पड़े रहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय, जी से यह जानना चाहूंगा।

3.4.2018/1145/DT/YK/-2

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य जी की चिन्ता बिल्कुल उचित है। पिछले कुछ समय में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय खोले गए। 13 नए प्राथमिक विद्यायल खोले गए जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा है। बाकी स्तरोन्नत कर दिए गए। प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक बना दिया और माध्यमिक स्कूलों को उच्च पाठशाला, उच्च

पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बना दिया गया है। अधिकांश स्कूल पिछले 3 वर्षो में खोले गए हैं। उन में अधिकांश बिना नॉर्म्स के खोले गए हैं। जो स्कूल पिछले 6 महीने में खोले गए हैं उनमें एक भी स्कूल में फाइनैंस की कंक्रैंश नहीं है। इसके अतिरिक्त 2009 में एक एक्ट राईट टू एजुकेशन एक्ट बना। उसके अन्तर्गत सब प्रदेश सरकारों को जो शिक्षा के सारे विभाग है, उस एक्ट की धाराओं के मुताबिक विद्यालयों में सुविधाएं देनी पड़ती है। उसी के अनुसार नए स्कुल खुल सकते हैं। नए महाविद्यालय खुल सकते हैं। लेकिन वर्ष 2010 के बाद

03/04/2018/1150/RG/AG/1

प्रश्न सं.423----क्रमागत

शिक्षा मंत्री------जारी

वर्ष 2013 तक तीन वर्ष का उसका ग्रेस पीरियड था। उसके बाद उस ऐक्ट का अक्षरशः पालन होना चाहिए था, लेकिन उसकी गंभीर रूप से उल्लंघना हुई है और उस ऐक्ट का एक भी प्रावधान कभी लागू नहीं किया गया। ये सारी-की-सारी रिक्तियां भी उसी कारण से हो रही हैं। नियमों को देखे बगैर पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बाद लोग ट्रिब्युनल में चले गए। हमारे जे.बी.टी. के ऐसे ही 700 पद हैं। वहां से मामले का निर्णय होने के पश्चात अब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। हमने यह सोचकर कि ये पद भरे जाएं, न्यायालय में जल्दी सुनवाई के लिए भी दरख्वास्त भी दी है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने अब अप्रैल में सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। जब इस मामले की सुनवाई होगी तब पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो बाकी बैचवाइज़ हैं या भूतपूर्व सैनिक या विकलांग कोटा है, उनके माध्यम से पद भर रहे हैं। लेकिन उसमें समस्या यह होती है कि विकलांग और भूतपूर्व सैनिक के कोटे में हर कैटागिरी के अध्यापक हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए पूरी संख्या में अध्यापक नहीं भर पा रहे हैं।_लेकिन जितना जल्दी होगा, हम इन सब पदों को भरने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमने टी.जी.टी. के पद नोटिफाई कर रखे हैं, लेकिन अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की भी प्रक्रिया में समय लगता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब पद भरें। हमारे यहां लगभग 1400 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे नहीं हैं या कहीं 5-7 बच्चे हैं, वहां दो-दो अध्यापक भी हैं। **हम इनको रेशनलाइज़ करने का प्रयत्न करेंगे ताकि आर.टी.ई. ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार सब स्कूल ठीक प्रकार से चलें। इसके अतिरिक्त जो स्कूल नॉर्म्ज के अनुसार नहीं खुले हैं या जहां बच्चे ही नहीं हैं, उनको किस प्रकार से रेशनलाईज किया जाएगा, उसको हम आने वाले समय में करेंगे।** यह सबसे ज्यादा समस्या सिरमौर, शिमला और चम्बा जिले में है। जहां रिक्तियां बहुत बड़ी मात्रा में हो रही हैं। यहां जो लोग दूसरे क्षेत्रों से आते हैं वे स्थानान्तरण होकर अपने क्षेत्र में चले गए हैं। कई लोगों को प्रताड़ित किया हुआ था और उसके कारण उनको कठिन क्षेत्रों में भेज दिया था। अब वे चले गए हैं और उनके स्थान पर दूसरे लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन **हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि जितनी जल्दी**

03/04/2018/1150/RG/AG/2

हो सके, हम इन विद्यालयों में रिक्तियों को भरेंगे, रेशनलाइज़ भी करेंगे और जहां आवश्यकता होगी, वहां हमारे अध्यापक पहले जाएं, इस बात की व्यवस्था करेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एक विशेष विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। आप क्या पूछना चाहते है? अगले सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में शिक्षा विभाग में 623 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए कब तक प्रयास किए जाएंगे और कितनी जल्दी ये पद भर दिए जाएंगे?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने पहले ही इसका विस्तार से उत्तर दे दिया है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

03/04/2018/1150/RG/AG/3

प्रश्न सं. 424

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया के ध्यान में लाना चाहूंगा कि शिमला में जो स्लॉटर हॉऊस बनाया गया था यह वर्ष 2009 में बी.ओ.टी. के आधार पर बनाया गया था। इसकी ऐग्रीमेंट की कॉपी आपने इसमें लगाई है। इसकी लीज़ की 1,80,00,000/-रुपये में बात हुई थी और यह वर्ष 2014 में शुरू किया गया। परन्तु जो इसमें 40% सर्विस शिफ्ट के पैसे थे, मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि एक ही प्रश्न के मेरे पास तीन-तीन उत्तर हैं। इसमें स्लॉटरिंग फीस 40,00,000/-रुपये बकाया बताई गई है और आर.टी.आई. के तहत जो मेरे पास कॉपी है, उसके अनुसार 1,0000000/-रुपये है और वर्ष 2019 में जब यह खत्म होना है, मतलब आज कम्पनी ने इसको ए.एस. फूड्ज को सब-लीज़ करके ऐसा एकाधिकार बना दिया है

03.04.2018/1155/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 424ः----जारी------

श्री अनिरूद्ध सिंहः----जारी----

जिसमें बड़े-बड़े लोग बदनाम हो रहे हैं। मैं, इस माननीय सदन में बोलना नहीं चाहूंगा ।इसमें क्या है कि कम्पनी की वज़ह से इसमें कमेटी दो-तीन बार गठित की गई। अभी हाल ही में पांच पार्षदों की कमेटी बनाई गई। उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया जो रिपोर्ट मेरे पास है। यह 20.03.2018 की है और उसमें पहले भी जो प्लेस किया गया था म्युनिसिपल कार्पोरेशन में 30.06.2016 में और 23.08.2016 में, परन्तु इस रिपोर्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि

म्युनिसिपल कमिशनर, श्री पंकज रॉय जी के समय में 03.04.2017 को भी एक मीटिंग हुई थी। इसमें यह क्लीयर लिखा गया था कि The M.C. should not further extend the lease for running of the Slaughter House. इसमें यह क्लीयर डिसाइड किया गया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न करें।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एग्रीमैंट समाप्त होने के पश्चात क्या आप इसको फरदर एक्स्टैंड करेंगे या वॉयलेशन ऑफ एग्रीमैंट के अनुसार क्या इसको अभी आप रिजैक्ट करेंगे? जब भी नया टेंडर आप लगाएंगे क्या आप ई-टेंडर लगाएंगे ताकि लोगों में पारदर्शिता रहे और टिप्पणी करने के लिए उनके पास कुछ न रहे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गोल-माल है? माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि क्या लीज़ खत्म होने के बाद, सबसे पहली बात तो एक करोड़ रूपया रिकवर करना है, वह किस तरह से उनसे रिकवर किया जाएगा?

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपका प्रश्न आ गया है। समय समाप्त हो जाएगा और माननीय मंत्री जी का उत्तर रह जाएगा।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट।

03.04.2018/1155/जेके/एजी/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं आपके ही फेवर में बोल रहा हूं।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब फरदर लीज़ करेंगे तो क्या आप ई-टेंडर दोबारा से करेंगे या इन्हीं को एक्सटैंड करेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि ये जो स्लॉटर हाऊस का मामला है, हम चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। यह कार्पोरेशन का मामला है उनके पास जो इलैक्टिड बॉडी है, वह इस विषय को देखती है। यह मामला

कार्पोरेशन के विचाराधीन है। 29 तारीख की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। इसका पुनर्विचार वे आगामी मासिक बैठक में करेंगे। क्योंकि यह जो मामला है, वैसे बेसिकली यह कार्पोरेशन ही तय करता है कि उनसे कितनी फीस हो और मैसर्ज़ माइक्रो ट्रांसमिशन सिस्टम नोएडा कम्पनी के साथ यह एग्रीमैंट हुआ है। उसी एग्रीमैंट के अनुसार इन्होंने कुल मिला कर इसमें जो उस व्यक्ति को बिजनैस दिया गया है, आपने कहा कि इसमें बहुत बड़े लोग शामिल है। आपको सबका नाम लेना चाहिए था और सारी की सारी स्थिति आनी चाहिए। पिछला रिकॉर्ड माननीय सदन में आना चाहिए था। इसको गोल-माल करके सदन को गुमराह न करें बल्कि सीधा बताएं और सीधा प्रश्न करें। जहां तक मेरे विभाग में इस स्लॉटर हाउस का प्रश्न है, यह अभी कार्पोरेशन के पास लम्बित है वे इस पर विचार करेंगे। हमारे ध्यान में जो लाया गया कि इस कम्पनी ने पूरे का पूरा रैंट एडवांस में दे रखा है। जो आपने बताया यह 25.09.2019 तक इनका एग्रीमैंट है। एडवांस में इन्होंने 2 करोड़ 14 लाख दे दिया है। जहां तक आपने स्लॉटरिंग फीस की बात की, वैसे डिसाइड तो कार्पोरेशन ने ही करना है, विभाग ने इसमें कुछ नहीं करना है लेकिन जो स्लॉटरिंग फीस की बात की गई है,वह इन्होंने 4 लाख 36 हजार दिया है और बाकी की जो देय राशि है उसके लिए भी इन्होंने अपनी कन्सेंट दी है। लेकिन एग्रीमैंट में अगर आप

03.04.2018/1155/जेके/एजी/3

इनका बिजनैस देंखे इसमें स्लॉटरिंग एक दिन की 250 भेड़ें या बकरियां थीं। दो हजार इसमें पोल्ट्री थी और इसमें 50 पिग्ज़ का बिजनैस एक दिन का था। हम लोग उनको इतना बिजनैस भी नहीं दे पाए हैं। उनकी जो एवरेज बनती है या कोई और त्योहार आया तो वहां पर थोड़ा ज्यादा कम स्लॉटरिंग हो जाती है लेकिन भेड़ और बकरियों की 50 की रेशो है। पोल्ट्री का इक्वल चल रहा है और पिग्ज़ मुश्किल से एक दिन के पांच लगते हैं। कम्पनी को इसमें प्रोफिट भी उस हिसाब से नहीं हुआ लेकिन फिर भी निगम ने जो इनके साथ तय किया, उसमें यह कहा गया है कि इन्होंने अपनी कन्सैंट दे दी है कि पिछले वाला 38 लाख 26 हजार ये देने को तैयार हैं, इस शर्त पर कि अगले पांच साल उनके साथ, अगर वे

कहेंगें, जो भी उन्होंने करना होगा, यह सारा पाला निगम के ऊपर है । जहां तक इस कम्पनी का सवाल है,

03.04.2018/1200/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 424 क्रमागत

शहरी विकास मंत्री क्रमागतः

लेबर का पैसा इनका प्रॉपर जा रहा है, मशीनरी का इन्होंने अच्छे तरीके से रख-रखाव रखा है। इसमें इन्होंने क्लीनलीनैस का पूरा ध्यान रखा है। इंवायरनमैंट प्वाइंट ऑफ व्यू से इनके सारे सही सर्टिफिकेट्स हैं। बढ़िया इनका काम चल रहा है। आगे देना है या नहीं देना है, यह कॉर्पोरेशन तय करेगा।

प्रश्न काल समाप्त

03.04.2018/1200/SS-DC/2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूंः-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, प्रारूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती

और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी0-(बी)1-1/2017 (रूल्ज़) डीएम दिनांक 16.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.01.2018 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

03.04.2018/1200/SS-DC/3

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय उद्योग मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। इसमें माननीय मंत्री जी के उत्तर सहित आधे घंटे का समय है। माननीय राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का जिला सिरमौर के अन्तर्गत पांवटा साहिब में मैसर्ज़ इंडियन टैक्नोमैक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गए 3000 करोड़ रुपये के टैक्स घोटाला से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। Speaker Sir, I believe that this is a very serious case. मैं समझता हूं कि इस सदन को और सरकार को इस मसले को बड़ी गम्भीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं संक्षेप में कुछ तथ्य यहां पर पेश करना चाहता हूं। इंडियन टैक्नोमैक लिमिटेड कम्पनी, यह अनलिस्टिड पब्लिक कम्पनी है जो 29 सितम्बर को इंकोरपोरेट की गई थी। जिसकी अंतिम ए0जी0एम0 बैठक सितम्बर, 2013 में हुई और लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च, 2013 को पेश की गई थी। इसके बाद वर्चुअली यह कम्पनी बंद हो गई थी। मैंने प्रस्ताव में तो 3000 करोड़ रुपया दर्ज किया है लेकिन अगर इसकी छानबीन होगी तो ये

फ्रॉड कहो, घपला कहो, हेराफेरी कहो, चिटिंग कहो, 6000 करोड़ रुपये से अधिक है। अगर हम इसकी मोटी-मोटी लाइबिलिटीज़ निकालें जो कर्मचारियों के वेजिज़ हैं, जो उनका ई0पी0एफ0 है, जो इन्कम टैक्स के रिटर्नस उसने देने हैं, सेल्स टैक्स है, इलैक्ट्रीसिटी चार्जिज़ हैं, ये कुल मिलाकर आज की तारीख में 6000 करोड़ रुपया हो जायेगा। यह दूसरी बात है कि धारा-118 जो लैंड टेनैंसी ऐक्ट की है उसकी भी वॉयलेशन अलग है जिस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इसने कम-से-कम 16 बैंकों से लोन लिए हैं जिसकी अदायगी नहीं की गई। मसला यह नहीं है, सार इस मसले का यह है कि बाढ़ ने खेत को खाने का काम शुरू कर दिया है। उद्योग मंत्री साहब, जब बाढ़ खेत को खाने का काम करते हैं तो उस बाढ़ को ध्वस्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि यह आपके चुनाव क्षेत्र का मसला है लेकिन आज यह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए इम्पोरटैंट है। ये पूरा मॉडस ऑपरैंडी इस कम्पनी का क्या रहा और

3.04.2018/1205/केएस/डीसी/1

श्री राकेश सिंघा जारी---

मुझे बड़े दुख से इस माननीय सदन में कहना पड़ रहा है, मेरा सिर शर्म से झुकता है जब मैं ऐसे तथ्यों को इस सदन के सामने पेश करता हूं। ये सारा का सारा गफ़ला, एक तरफ कॉर्पोरेट घराना है, दूसरी तरफ हमारी अफसरशाही शामिल है और मैं तो समझता हूं कि इसमें राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। इनकी तिकड़ी के वगैर यह सम्भव नहीं था। 6 हजार करोड़ रुपया जो आज बैंकों का है और बैंक में पैसा कौन रखता है? बैंक में गरीब आदमी पैसा रखता है। कॉर्पोरेट घराने बैंकों में पैसा नहीं रखते बल्कि वे तो बैंकों से लोन ले जाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता पर इस कम्पनी ने डकैती की है जिसमें अफसरशाही भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह पॉसिबल है कि एक ही अफेन्स के लिए दो एफ.आई.आर. रजिस्टर की जाएगी?

फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट है और फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पैनल कोड के मुताबिक जो कोई वॉयलेशन की, क्राइम की, इस प्रकार के कानून की उल्लंघना जिस भी व्यक्ति के पास आएगी, फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट वह दर्ज करेगा और यह फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट जो आती है, यह सन् 2015 में पुलिस के पास, सी.आई.डी. के पास आई और मेरी जानकारी के मुताबिक फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट सन् 2016 में मार्च के महीने में दर्ज हो गई। यह तथ्य है कि जब यह कम्पनी बन्द हो गई, कम्पनी के मालिक और डायरैक्टर भाग गए। देश में हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। यह पता करने का काम सरकार का है लेकिन यह हकीकत है कि जब वे भाग गए तो वह जो पूरा असैट है कम्पनी का, फैक्टरी है, उसका कस्टोडिअन एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट बना। जिसका मतलब है कि सन् 2015 के बाद जो भी घपले हुए हैं, उनके लिए एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ज़िम्मेवार है। लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी-अभी मार्च , 11-12 तारीख को एक नई एफ.आई.आर. एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट द्वारा रजिस्टर की गई। यह कैसे सम्भव है? एक अफैंस आपका

3.04.2018/1205/केएस/डीसी/2

वर्ष 2015 में हो गया जिसका कॉग्निजेंस ले लिया गया है। जिसके अगेंस्ट एक एफ.आई.आर. वर्ष 2016 में रजिस्ट हो जाती है, इसका क्या औचित्य है कि आप 11-12 मार्च, 2018 को एक नई एफ.आई.आर. रजिस्टर करेंगें? एफ.आई.आर. की पूरी मन्शा यह थी, as a self defence Excise and Taxation Department इसको कर रहा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पूरा मॉडस ऑपरैंडी है, क्या है इसमें। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में विजय माल्या 9 हजार करोड़ रुपये डकार कर देश छोड़ कर चला गया है। ललित मोदी देश छोड़ कर चला गया है। नीरव मोदी 12 हजार करोड़ रुपया डकार कर जो कि देश की जनता का है, उसको खा कर इस मुल्क से बाहर निकल गया है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यह जो

बड़े पैमाने का गफ़ला पांवटा साहिब की टैक्नोमैक कम्पनी में हुआ है, इसकी छानबीन ही नहीं बल्कि जो यह डकैती कर रहे हैं, हमारे प्रदेश को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें जो भी शामिल हैं, वह चाहे एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट हो या कोई अन्य डिपार्टमैंट हो, मैं समझता हूं कि इसको सख्ती से लेने की जरूरत है अन्यथा आने वाले समय में न जाने कितने और इस प्रकार के उद्योगपति होंगें जो इस प्रकार से चीटिंग करके निकल जाएंगें? आप भली-भान्ति जानते हैं कि जे.पी. कम्पनी, जो 80 हजार करोड़ रुपये बैंकों का जिसका था, आज उसकी कुर्की हो गई है।

3.4.2018/1210/av/hk/1

श्री राकेश सिंघा------ जारी

उसको सारे अस्सैट्स बेचने पड़े हैं और वह भी इस माध्यम को अपनाना चाहता था। अगर हम इनको बख्श देंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में न जाने कितने कार्पोरेट घराने हमारे देश और प्रदेश में अपना उद्योग चलाते हैं, वे इस प्रकार की ठगी करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारा प्रदेश देश के अंदर इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर ईमानदारी बरती जाती है। हमारा प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि यह देवताओं की धरती है लेकिन यह बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ रही है कि यहां पर आज इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री इस बारे में एक-एक प्रश्न को लेकर कार्रवाई करें। पिछले कल मेरे भाई राकेश पठानिया जी ने यहां पर एक प्रश्न उठाया था कि जो भी नोन परफोर्मिंग अस्सैट्स हैं या जो भी ये बैंकों से ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं इनके साथ नहीं हूं; मैं बिल्कुल इनके साथ हूं। लेकिन जब इन्होंने यह प्रश्न उठाया कि यह मसला सी0बी0आई0 को सौंप दिया जाए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सी0बी0आई0 खुदा की टांग नहीं है। वह सी0बी0आई0 जो गुड़िया मामले में तथ्यों को सामने नहीं ला सकी तो मैं समझता हूं कि सी0बी0आई0 आज कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके अंदर मंशा होगी क्योंकि आप उन मंत्रियों में से गिने जाते हैं जिसकी बिल्कुल स्वच्छ किस्म की सोच है। आप लोग यहां पर बार-बार जय राम ठाकुर जी की सरकार का जिक्र करते हैं। मुझे इन पर भी विश्वास है, मंत्रि-मंडल खुलकर और

पारदर्शिता के साथ काम करें और किसी को न बख्शा जाए; यदि हमारी सरकार इस मंशा के साथ काम करेगी तो राकेश शर्मा जो देश को छोड़कर चला गया है जैसे विजय माल्या गया है। विजय माल्या इंग्लैंड में बैठा है और मेरी जानकारी के मुताबिक राकेश शर्मा दुबई में बैठा है। लेकिन उसके बावजूद उसका जो दूसरा कारोबार है उसके अस्सैट्स को जब्त करने बारे कार्रवाई की जा सकती है। उसको ई0डी0 करेगा या कौन करेगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी इस प्रस्ताव के माध्यम से यह मंशा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के पैसे की जो आज बैंकों द्वारा लूट हो रही है या जो यह स्कैम है इस बारे में आपकी सरकार छानबीन करके ऐसी परिस्थिति पैदा करें ताकि ऐसा दोबारा न हो। मैं इतना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे इस प्रस्ताव को रखने के लिए मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

3.4.2018/1210/av/hk/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने यहां जिला सिरमौर के अंतर्गत पांवटा साहिब में मै0 इंडियन टैक्नोमेक कम्पनी प्राइवेट लिमिटिड द्वारा तीन हजार करोड़ रुपये के टैक्स घोटाले के बारे में चर्चा की है। इस मामले में वास्तविक स्थिति और उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं वह इस प्रकार से हैं :-

आपने इस बारे में कुछ बातें यहां पर रखी हैं जिसमें दो एफ0आई0आर0 का जिक्र भी किया है, मैं सभी का क्रमबद्ध तरीके से जवाब दूंगा। यह कम्पनी हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडिड टैक्स ऐक्ट, 2005 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन नम्बर एस0आई0आर0-III-4641/8015 के द्वारा मै0 अर्श कास्टिंग प्राइवेट लिमिटिड के रूप में दिनांक 10-1-2008 को दिनांक 5-5-2008 से कर भुगतान की देयता के साथ पंजीकृत हुई थी। कम्पनी ने इसका नाम 2.12.2008 को मै0इंडियन टैक्नोमेक कम्पनी लिमिटिड में बदल दिया। कम्पनी स्टील, कच्चे माल, फैरो अलॉयस (ferro alloys) और स्टील इंगोट्स (steel ingots) बना रही थीं। इस कम्पनी के केवल राकेश शर्मा एकमात्र मालिक नहीं है।

03.04.2018/1215/TCV/HK-1

माननीय उद्योग मंत्री .... जारी

कंपनी के 4 निदेशक है नामतः श्री राकेश कुमार शर्मा, निवासी 4512, सैक्टर-बी, 5-6, वसन्त कुंज, नई दिल्ली, श्री विनय शर्मा, पुत्र श्री एम0एल0 शर्मा, सेवानिवृत्त, आई0ए0एस0, हिमाचल प्रदेश कैडर, निवासी- गांव व डाकखाना पीर स्लूही, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, श्री रंगानाथन श्रीनिवासन, A/V/32 N.M.L. Quarters, Agrico Area, Jamshedpur East, Bihar एवं श्री अश्विनी कुमार साहू, निवासी जगन्नाथ लेन, Arunodaya Nagar, Badambadi, Cuttack, Orissa. बिक्री कर की चोरी लगभग मु0 2200 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2019-10 में मूल मामले का संबंधित आक्कलन प्राधिकरण द्वारा 7-12-2013 को मूल्यांकन किया गया और वैट के तहत 7.33 लाख की अतिरिक्त मांग और सी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन 2.39 लाख रुपये की मांग की गई। वर्ष 2014 में विभाग की आर्थिक खुफिया इकाई के अधिकारी, प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट्स स्कैन कर रहे थे, जब उन्होंने कंपनी के संबंध में सकल अनियमितताओं को देखा। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का वर्ष 2011 से लेकर 2013-14 तक सहायक एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन कमीशन जिसको Economic Intelligence Unit देख रहा था, का दोबारा मूल्यांकन किया और मु0 2100.87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग को 15 दिनों के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए। H.P. VAT Act, 2005 की धारा 25 से 27 के तहत वसूली की कार्रवाई की गई थी। दिनांक 5.7.2014 को उपरोक्त कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की जिसके तहत उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई, जिसमें सारे-का-सारा टैक्स बताया गया था और जिसके द्वारा मांग का सृजन किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज़ कर दिया कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। कंपनी ने निचली अदालत के फैसलें के खिलाफ़ भारत के

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी SLP को इस आधार पर खारिज़ कर दिया कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। कंपनी

03.04.2018/1215/TCV/HK-2

ने अपील प्राधिकारी अर्थात् आबकारी व कराधान आयुक्त, शिमला के समक्ष अपील दायर की, जिसमें कंपनी को अपील के प्रवेश से पहले मु0 210 करोड़ रुपये की सशर्त राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गये। इस अंतरिम आदेश के विरूद्व कंपनी ने माननीय हिमाचल प्रदेश टैक्स ट्रिब्यूनल में दूसरी अपील दायर की। क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज़ कर दी। नतीज़न First Appellant Authority ने समस्त राशि जमा न करवाने के कारण अपील को खारिज़ कर दिया। डीलर द्वारा उक्त मांग को सरकारी खज़ाने में जमा नहीं किया गया, निहित तारीख के बाद भुगतान न किए जाने के बाद यह अनिवार्य था कि बकाया राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 की धारा-25 के अनुसार वसूला जाये। Assitt. Excise and Taxation Commissioner, Sirmour ने 12.8.2014 को इस राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में रिकवरी योग्य घोषित किया। इस प्रकार सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने का प्रयास समय-समय पर किया गया था।

दिनांक 16.10.2014 को Assitt. Excise and Taxation Commissioner, Sirmour ने H.P. Land Revenue Act, 1954 के अन्तर्गत कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिफॉल्टर मै0 इंडियन टैक्नोमैक कंपनी को मांग संख्या 19258 के अंतर्गत 31.10.2014 को या इससे पहले मु0 2100.87 करोड़ रुपये की बकाया राशि सरकार के खज़ाने में जमा करने के निर्देश दिए।

दिनांक 17.10.2014 को Assitt. Excise and Taxation Commissioner, Sirmour ने H.P. Land Revenue Act, 1954 की धारा-75 और 76 के अंतर्गत कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसीलदार, पांवटा साहिब को कुर्की के लिए वांरट जारी किया।

03-04-2018/1220/NS/YK/1

उद्योग मंत्री ---- जारी।

कलैक्टर ने 01 नवम्बर, 2014 को H.P. Land Revenue Act., 1954 की धारा 76 के तहत वाहनों और जे0सी0बी0 मशीनों की कुर्की की है। 05-11-2014 को उनके मूल पंजीकरण प्रमाण पत्रों को जब्त कर लिया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश वैट एक्ट, 2005 और सैंट्रल बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अर्ज़ित बकाया हासिल किया जा सके। कुर्क किये गये वाहनों में जे0सी0बी0 नम्बर एच0पी0-17सी0-0526 और एच0पी0-17सी0-0527 भी शामिल हैं।

दिनांक 22-11-2014 को कलैक्टर (राजस्व) H.P. Land Revenue Act., 1954 की धारा 81 के प्रावधान के अनुसार अचल सम्पत्तियों की बिक्री की मंजूरी के लिए आयुक्त/मण्डलीय आयुक्त के कोर्ट में गये और डिफाल्टरों को यह सूचित किया कि उसे किसी भी सयंत्र या मशीनरी को नहीं बेचने का निर्देश दिया गया है। वह हि0प्र0 भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 76 के तहत बकाया की वसूली होने तक चल सम्पत्ति ट्रकों, टिप्पर, जे0सी0बी0 मशीनों और डम्पर्ज़ आदि की कुर्की की गई है। इनके मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र को भी जब्त कर लिया गया है।

वर्ष 2009-10 में इस कंपनी का मामला 20-04-2017 को सुओ मोटो संशोधित किया गया और अतिरिक्त मांग 73.78 करोड़ रुपये की गई। इस प्रकार अब कुल मांग जो विभाग द्वारा बनाई गई है, वह लगभग 2200 करोड़ रुपये है।

कंपनी से बकाया राशि को प्रभावी तरीके से पुनः प्राप्त करने के लिए विभाग ने कंपनी की चल/अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए 31-05-2017 को हिमकोन की सेवायें ली हैं। कंपनी के नये मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है कि इसके अनुसार मूल्यांकन लगभग 280 करोड़ रुपये आता है।

प्रवर्तन निदेशालय को मामले का संदर्भ देने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 28-07-2016 को आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय को एक विशेष समिति का गठन करने के निर्देश दिये थे। जो इस मामले की रिकवरी की प्रगति की समीक्षा करेगी। समिति 29-07-2016 को गठित की गई थी, जिसमें अतिरिक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र), अतिरिक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (टैक्स रिसर्च यूनिट), संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त(आई0टी0/एनफोर्समैंट), उप आबकारी व

03-04-2018/1220/NS/YK/2

कराधान आयुक्त (कानूनी) और सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सिरमौर इसके सदस्य थे। दिनांक 01-09-2016 को आयोजित इस विशेष समिति की बैठक में उपरोक्त बैठक के मिनटों के पैरा संख्याः 5 के माध्यम से सिफारिश की गई थी कि निदेशक मण्डल और कंपनी के शेयरधारकों तथा उनके अगले नामांकनों/शेयरों की वित्तीय लेनदेन की प्रकृति अन्तर्राज्जीय और यहां तक की अन्तर्राष्ट्रीय भी है। इसलिए इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में उचित जांच व विचार के लिए प्रेषित किया गया।

सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सिरमौर को निर्देश दिये गये कि वे इस मामले को आबकारी व कराधान आयुक्त को अनुमोदन व आगामी निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित करें। सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सिरमौर ने विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर 15.09-2016 को मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने के लिए आबकारी व कराधान आयुक्त को अनुरोध भेजा गया।

किसी तरह मुख्यालयों में यह निर्णय लिया गया कि सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सिरमौर को यह निर्देश दिया जाये कि वे इस मामले को दूसरे राज्यों के उपायुक्तों के साथ उठायें, जहां इंडियन टैक्नोमैक लिमिटिड कंपनी के निदेशकों के संबंधित कार्यालय/संपत्ति स्थित है। इस मामले की प्राथमिकी दर्ज़ करने की मंजूरी 01-03-2018 को सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सिरमौर को दी गई थी। इसकी दो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं, जैसा आपने बोला है। जो दो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं, इसमें पहली एफ0आई0आर0 प्रवर्तन अभियोग संख्याः 08/2016 दिनांक 03-04-2016,

03.04.2018/1225/RKS/AG-1

उद्योग मंत्री.. जारी

आपके कहने का भाव था कि एक काम के लिए 2 बार एफ.आइ.आर क्यों हुई? लेकिन ये दोनों एफ.आई.आर.अलग-अलग मसले की हैं। पर्टिकुलर एक मसले की नहीं है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है परन्तु यहां पर विषय अलग-अलग हैं। वर्ष 2016 वाला विषय अलग है और वर्ष 2018 वाला विषय एक्साइज एंड टैक्सेशन का है। भिन्न-भिन्न वित्तीय संस्थानों तथा अन्य दावेदारों ने हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है और एक मामले में कम्पनी जाचिका नम्बर 13/2014 M/s Molycorp Minerals Versus Indian Technomac Company Ltd, में विभाग ने पहले ही अपनी सम्पत्ति पर पहले शुल्क के रूप में दावा किया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20-12-2017 के आदेश के अनुसार मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। इसी तरीके से आई.सी.आई.सी. आई. बैंक द्वारा दाखिल किए गए वसूली प्रमाण पत्र में ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, दिल्ली (डी.आर.टी.) ने विभाग द्वारा हस्तक्षेप के बावजूद बैंक को कम्पनी के 2 जे.सी.बी. बेचने की अनुमति दी है। इसके अलावा डी.बी.एस. बैंक (डिवैल्पमैंट बैंक ऑफ सिंगापुर) द्वारा दर्ज वसूली प्रमाणा पत्र में विभाग ने हस्तक्षेप किया था। डी.आर.टी., दिल्ली ने बैंक और कम्पनी की सम्पत्ति का कब्जा करने की अनुमति दी है। राज्य शीघ्र ही डी.आर.टी., दिल्ली के इन आदेशों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में Civil Writ Petition दायर कर रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग की आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा एच.आई.एम.टी.ए.एस., सॉफ्टवेयर की एम.आई.एस. रिपोर्ट के आधार पर इस केस का पता लगाया गया था। जब वर्ष 2014 में केस का पता चला और मूल्यांकन किया गया तब से कम्पनी की सम्पत्ति विभाग के कब्जे में है। वसूली इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि विभाग व अन्य हितधारकों ने हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय सहित भिन्न-भिन्न न्यायालयों में जाचिकाएं दर्ज़ की हैं। उपरोक्त विस्तृत विवरण से यह स्पष्ट है कि पहले विलम्ब हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप कह रहे हैं उसमें जिस तेजी के साथ काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। उसके कारण ही यह मामला इतना लम्बा हुआ है। लेकिन अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट 2200

करोड़ रुपये की बकाया राशि कम्पनी से वसूल करने हेतु गम्भीर है। आदरणीय सिंघा जी आपने इसमें जो

03.04.2018/1225/RKS/AG-2

आपत्तियां उठाई हैं, आपकी आपत्तियां बिल्कुल सही है। अगर ये सारे-का-सारा काम टाइमली होता तो शायद मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता। अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आप जिस प्रकार से चाहते हैं, आपकी जो शंकाएं, हैं उन शंकाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।

03.04.2018/1225/RKS/AG-3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी क्या आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

श्री राकेश सिघाः अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण तो इस विषय में है जब पहली एफ.आई.आर. वर्ष 2016 में दर्ज़ हुई। मैं ऑफैंस करूं, कोई ऑफैंस करे तो तफ़तीश करने वाले अफसर का पहला काम है उसको कस्टडी में लेना। आफैंस अगर कम नेचर का है तो उसकी तफ़तीश के लिए जो भी स्थान उचित है, आमतौर पर थाना है, वहां पर उसको बुलाया जाता है। मैं यह नहीं समझ पाया कि फर्स्ट इंफोरमेशन रिपोर्ट दर्ज़ करने के बाद ऑफैंसिज सीरियस है। जिस ऑफैंस में क्रिमिनल साजिश है, जिस ऑफैंस में आप स्टेट को चीट कर रहे हैं, जिसमें 420 भी लगेगा। । इतने ऑफैंसिज हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई, जैसे नोटिस दिया गया लेकिन जो ए.,बी.,सी.,डी., एक्यूज्ड हैं, राकेश शर्मा हो दूसरे डायरैक्टर्ज हों, तीन और डायरैक्टर्ज हों, मुझे मालूम नहीं कि फर्स्ट इंफोरमेशन रिपोर्ट में as accused कौन-कौन इम्पिलकेट किए गए हैं। लेकिन कोई तफ़तीश ही नहीं हुई?

03.04.2018/1230/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री राकेश सिंघा जारी

एक साधारण व्यक्ति जब ऑफेंस करता है, तो अब्बल तो उसे तीन दिन से पहले थाने से बाहर नहीं निकाला जाता है । लेकिन ये कॉरपोरेट घराने के लोग हैं इनको कुछ नहीं किया गया। जो ये सब्सीक्वेंट एफ.आई.आर. मार्च, 2018 में की है जो मैं समझ पाया हूं, इनकम टेक्स की रिकवरी के बारे में थोड़ा स्पष्ट हो जाए। लेकिन यह ऑफेंस तो एग्जिट हो गया है तो सब्सीक्वेंट करने की क्या जरूरत थी। वह कार्य तो उसी समय हो जाना चाहिए था। यह दो स्पष्टीकरण अध्यक्ष महोदय में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और चाहूंगा कि स्टेट इसको गम्भीरता से ले। इसका मेन डायरेक्टर, राकेश शर्मा अगर देश छोड़ कर चला गया है तो आपको भारत सरकार से अपील करनी चाहिए कि किस तरीके से इसे करना है और कहां-कहां उसके असेट्स हैं तो उनको जब्त करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

03.04.2018/1230/बी0एस0/डी0सी0-2

उद्योग मंत्री : माननीय राकेश सिंघा जी, आबकारी एवं कराधान विभाग ने 02.03.2018 में एफ.आई.आर. लॉज हुई है। इसमें आपको संदेह है, इंडियन टेक्नॉमेक कम्पनी के विनय कुमार शर्मा इसमें एक निदेशक हैं। उनको 20.03.2018 को गिरफ्तार कर लिया है तथा ये पुलिस रिमांड पर है और इस दौरान इसने माना है कि कम्पनी ने जाली दस्तावेज तैयार करके कम्पनी की क्षमता से अधिक उत्पाद दिखा कर, बैंको से ऋण प्राप्त किया है तथा जाली रॉ मिटिरियल की खरीद और फिनिशड मिटिरियल की बिक्री दिखाई है। ये तो आबकारी एवं कराधान विभाग ने की है। इनमें से एक को गिरफ्तार किया है। एक पहली एफ.आई.आर. अभियोग संख्या 8/2016 इस विषय पर भी पूछ-ताछ हो रही हैं।

श्री राकेश सिंघा : यह मामला धोखाधड़ी पर होगा, 120 का भी होगा, उस तफतीश में क्या कोई भी, किसी से पूछताछ नहीं हुई।

उद्योग मंत्री : मैं सब बता रहा हूं, इसमें अभियोग संख्याः 8/2016 में कम्पनी के ए.डी.जी.एम. विवेक गुप्ता को दिनांक 25.9.2017 को गिरफ्तार किया गया तथा उसका नमूना हस्ताक्षर, प्रश्नबद्ध हस्ताक्षर मिलान होने के उपरांत आरोपी विवेक गुप्ता के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार करके माननीय न्यायालय के विचारण हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। इन दोनों मसलों में जो आपने चिंता जाहिर की है, इनमें इन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की कार्रवारी की जा रही है। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो आपके मन के अन्दर प्रश्न है वही प्रश्न मेरे अन्दर भी है। हम किसी भी प्रकार का इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। पीछे इसकी स्पीड कम रही है यह भी मानता हूं। लेकिन इस सरकार में ये जो जितने भी डिफाल्टर्ज हैं इनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी । मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं।

03.04.2018/1230/बी0एस0/डी0सी0-3

अध्यक्ष : अब माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा 09.अप्रैल, 2015 को पारित विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव करेंगे।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2015 को पारित हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को वापिस लिया जाये ।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जिनके पास खेल विभाग है, इन्होंने खेल से संबंधित विधेयक को वापिस लेने की जो बात की है, उसमें नियम 176 के तहत बिल को वापिस करने से पहले, किन कारणों से इस बिल को वापिस किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल सभी सदस्यों को समय पर सर्कुलेट करनी होती है।

3.4.2018/1235/DT/AG/-1

श्री जगत सिंह नेगी__ जारी

नियम-176 के तहत जो मंत्री जी ने करना है वह नहीं किया है। इसलिए इनको इस बिल को वापिस करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। मैं आपका ध्यान नियम- 176 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें जो शब्द "Shall" है, इनको अनिवार्य रूप से रिजनिंग देना पड़ेगा कि किन कारणों से किन परिस्थितियों में आप यह बिल वापिस लेना चाहते हैं? वह भी आपको कम से कम सदस्यों को एक दिन पहले बिल वापिस लेने से पहले सर्कुलेशन में लाना है। तभी जाकर आप अध्यक्ष महोदय, इनको अनुमति दे सकते हैं अन्यथा यह बिल नियम के तहत वापिस नहीं हो सकता।

3.4.2018/1235/DT/AG/-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य विक्रमादित्य सिंह जी ।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल वापिस लिया जा रहा है मैं इसके बारे में यह कहना चाहूंगा की निश्चित तौर से इसमें जो सरकार की मंशा है वह कहीं न कहीं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एसोशिएशन को फायदा दिलवाने की है। जिसके अनुरूप यह कार्य किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि यह बिल The H.P. Sport (Registration, Reorganization and Regulation of Associations) Bill, 2015 लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जितनी भी हमारी 42 ऐसोशिएशन्ज हिमाचल प्रदेश के अंदर है चाहे वह योगा है, नेटबॉल है, खो-खो, कबड्डी या क्रिकेट है इनके अंदर एक डैमोक्रेटिक प्रोसैस और पारदर्शिता लाने के लिए इस बिल को लाया गया था। आज किस मंशा से इस बिल को वापस लिया जा रहा है। इस चीज को निश्चित तौर से देखने की आवश्यकता है। जैसा अभी नेगी जी ने कहा उसमें डिबेट होने की आवश्यकता है। मैं इस

बात को इसलिए भी कह रहा है क्योंकि जो खेल बिल है जिसको हमारी सरकार द्वारा लाया गया था यह registration of societies act के अंतगर्त हर एसोसिएशन को रजिस्टर होना पड़ता है। इसका जो प्रोपर अकाउंट है उनका ऑडिट करवाया जाता है। चार्टड अकाउंटैंट द्वारा हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में देखा जाता है। ताकि जो फाइनैंसियल इम्पलिकेशन्ज हैं उसमें प्रदेश और एसोशिसन को कोई फर्क न पड़े। मैं लोधा पैनल रिपोर्ट को भी इसके अतर्गत लाना चाहता हूं। क्योंकि जो एक्ट है यह लोधा पैनल की रिकॉमैंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी इसके अंतगर्त इस एक्ट को इस प्रदेश के अंदर लाया गया था। इसकी मुख्य चीजें मंच के माध्यम से कह रहा हूं Every Sporting Association in the State इसके जो भी अध्यक्ष हैं चाहे वे किसी भी राजनैतिक पार्टी से संबंध रखते हैं या नहीं रखते है इसमें लोधा पैनल में यह कहा था कि 2 साल का टर्म फिक्स किया जाए। हालांकि बी.सी.सी.आई. के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था but this was implemented by this Act in letter and spirit in the State of Himachal Pradesh. जिसको किन्हीं कारणों की वजह से राज्यपाल महोदय ने स्वीकार नहीं किया था और यह

3.4.2018/1235/DT/AG/-3

एक्ट नहीं बन पाया। मगर इसकी मंशा केवल प्रदेश में जो sport Associations हैं उनके अंदर पारदर्शिता लाने की थी। दूसरा इसमें कहा गया था कि इसमें कोई भी मंत्री या सरकारी अधिकारी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और वही चीज हमने इसमें इम्प्लीमैंट करवाई थी। Under no circumstance any President of any association will continue for more than two years. मैं समझता हूं कि अगर इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हरेक ऐसाशिएशन में एक करंट टर्म होना चाहिए उसके अंतर्गत कोई अध्यक्ष उसमें रह सकता है। Not only the President but even different office bearers should have a limited period under which they should serve in any capacity in different Sport Association.

03/04/2018/1240/RG/DC/1

श्री विक्रमादित्य सिंह ------जारी

इसमें विशेषरूप से एच.पी.सी.ए. की बात आती-ही-आती है। क्योंकि मैं आज के समाचार-पत्रों के माध्यम से भी पढ़ रहा था। वैसे तो बात स्पोर्ट्स बिल को वापस लेने के लिए की गई है, लेकिन स्पोर्ट्स बिल के साथ-साथ आज जितने भी अख़बारों में इसकी चर्चा आई है उसमें केवल यह ख़बर आई है कि सरकार केवल एच.पी.सी.ए. को राहत देना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम एच.पी.सी.ए. की बात करें, तो सदन भी इस चीज को जानता और समझता है और पूरे प्रदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसियेशन की जो रूपरेखा है, उसमें वह वर्ष 2005 में एक ऐसोसियेशन भी बनी, एक कम्पनी भी बनी और कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कानपुर में हुआ और सरकार द्वारा जो जमीनें सोसायटी को दी गईं, at token cost of Rs. 1.00, चाहे वह धर्मशाला की बात है या चाहे वह नदौन की बात है या चाहे वह शिमला के लालपानी की बात है, हर जगह ये जमीनें दी गईं। इसके पश्चात बहुत आसानी से जो हिमालयन प्लेयर्ज क्रिकेट ऐसोसियेशन है, that was changed into Himachal Pradesh Cricket Association. और बहुत आसानी से जमीनें सोसायटी से कम्पनी को तब्दील कर दी गईं। All these matters are still pending in the Court of Law, चाहे वह धर्मशाला के ट्रायल कोर्ट की बात है, चाहे माननीय उच्च न्यायालय की बात है या चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय की बात है। I think all these matters are subjudice. इसमें सरकार द्वारा जो अभी एक निर्णय लिया गया है कि इन मामलों को हमने वापस लेना है, I quote "they are politically motivated". तो मैं समझता हूं कि सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि all these charges that have been leveled against the Associations are very serious and grave in nature, और निश्चित तौर से अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में जो वहां दो बैन्च के जज थे उन्होंने भी ऐडवोकेट जनरल से ऑन रिकॉर्ड यह बात पूछी है कि अगर सरकार इाको विदड्रॉ करना चाहती है, तो किस परिप्रेक्ष्य में इसको विदड्रॉ करना चाहती है? इस चीज को भी हमें देखने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, साथही यहां हॉकी इण्डिया की भी बात की गई है। अभी हाल ही में यह बात भी समाचार-पत्रों में आई है कि हॉकी इण्डिया की जो हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती विद्या स्टोक्स हैं जो एक लाईफ मेम्बर भी हैं, उनको एक

03/04/2018/1240/RG/DC/2

अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाया गया है। निश्चित तौर पर जो इसमें उन्होंने उल्लेख दिया है कि because of her age she has been removed. I think that was not the correct procedure to follow. ठीक है कि सब लोगों की एक उम्र होती है और कभी-न-कभी उनको हर ऐसोसियेशन से हटना होता है। I agree to that, मगर उनको इसके लिए विश्वास में लिया जाना चाहिए था। All the members in that Association should have been taken into confidence और उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं इस बात को इस सन्दर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में जितनी भी ऐसोसियेशन्ज़ हैं उनमें हमें राजनीतिकरण को कम करने की आवश्यकता है।। am not only speaking about the Himachal Pradesh Cricket Association but cutting across political lines, आज हमें इस सदन में यह चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें राजनीति को और राजनीति के साथ प्रदेश में जो खेल हैं, उनको कही-न-कहीं अलग करने की आवश्यकता है। आज जितनी भी ऐसोसियेशन्ज़ हैं उनमें राजनीति होती है। जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही इन ऐसोसियेशन्ज़ पर कब्ज़ा करने का एक प्रयास किया जाता है। ये कोई मैडल्ज़ नहीं हैं जो हमें अपनी छाती पर लगाने होते हैं। यह जो हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स परसन्ज़ हैं, चाहे वह क्रिकेट, वॉलीबॉल या चाहे वह कबड्डी के है, मैं तो यह मानता हूं कि उनमें से जो अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो लोग हैं, they should be given opportunity to represent all these Associations at various levels whether it is in the district or whether it is in the State or whether it is at the National level. इसी चीज की 'लोधा पैनल' ने भी संस्तुति की है। उन्होंने कहा है कि जो , influence of the politicians in all the Sport Associations should be reduced and the persons who have represented the State, they should be given

opportunity to represent the Associations. That is the only way through which the Himachal Pradesh can be brought forward in the field of sports.

03.04.2018/1245/जेके/डीसी/1

श्री विक्रमादित्य सिंहः--------जारी--------

हालांकि अध्यक्ष महोदय, यह एक पुरानी बात है मगर हमें एच0पी0सी0ए0 को स्पोर्ट्स माफिया और लैंड माफिया के परिप्रेक्ष्य में देखने, हालांकि मैं नहीं चाहता कि हम इसको ऐसे देखें मगर आपको याद होगा जब 2009 में शिमला के अनाडेल की प्राइम लैंड जो अभी आर्मी के पास है, उसको भी पूर्व सरकार ने एच0पी0सी0ए0 को देने का प्रयास किया था।। think that it was for the first time that the Chief of ARTRAC stated on record that the BJP Government is conniving with the land mafia of the Himachal Pradesh. हालांकि उस समय पूर्व मुख्य मंत्री, धूमल साहब ने उनको कहा था कि हम डेफामेशन का केस Ministry of Defence के खिलाफ लगाएंगे। But, what were the circumstances under which the ARTRAC Chief was compelled to make such a statement. आज मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें एक लार्जर इन्ट्रस्ट में प्रदेश में देखने की आवश्यकता है। आज जो ये बिल वापिस लिया जा रहा है, इसमें मैं सुबह के अखबार में पढ़ रहा था, इसमें लिखा गया है कि 'the Government is repelling the contentious 'HP Sports (Registration, Reorganization and Regulations of Associations) Bill,2015', to make it more realistic'. अब यह जो रीयलिस्टिक शब्द है, मैं इसका सही अर्थ माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है why is it so realistic that this Bill has to be withdrawn. इसमें जितनी भी चीजें मैंने कही, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्या इससे उनको आपत्ति है? क्या प्रॉपर प्रोसिजर्ज़ इसमें फॉलो किए जाए, उससे सरकार को आपत्ति है? क्या इसमें registration of elections हो, इससे सरकार को आपत्ति है या फानैंशियल अकाउंटेबिलिटी कि हमने बात की है, इससे आपत्ति है या हमने जो टर्म इसमें अध्यक्ष का फिक्स किया है, इससे उनको आपत्ति है? किस चीज़ से उनको आपत्ति है? I want to know from the Hon'ble Sports Minister

that what brings this under the definition of realistic. That मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मेरा इसमें केवल इतना निवेदन है कि एक बारी इसको विद्ड्रा करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वह करें या न करें वह इनकी मर्ज़ी है। मगर निश्चित तौर से in the larger interest of the State, sporting fraternity of Himachal Pradesh. इसकी प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए और इसके जो pros and cons है और किन कारणों की वजह से इसको विद्ड्रा किया जा रहा है, इस बिल में क्या कमियां थी जो इनको लगता है

03.04.2018/1245/जेके/डीसी/2

कि हिमाचल प्रदेश के इन्ट्रस्ट में नहीं थी उसमें threadbare discussion should take place and only after that this Bill should be withdrawed , if it should be withdrawed it should be withdrawn. Thank you so much.

अध्यक्षः श्री राम लाल ठाकुर जी। इसमें शॉर्ट डिस्कशन करें, थोड़ा बोलें। सवेरे आप बोल चुके हैं।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दो।

अध्यक्षः बोलेंगे तो थोड़ा ही बोलेंगे न।

Shri Virbhadra Singh: This is very important discussion?

Speaker: Yes, that is important that is why I am giving the time. आप बोलिए राम लाल जी।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ तो आपने पहले ही बोल दिया कि लम्बी डिस्कशन हो गई । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझसे पहले सदस्यों ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा।

अध्यक्षः आप बोलिए राम लाल जी।

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक-दो निवेदन करना चाहूंगा कि जो पीछे बातें माननीय सदस्यों ने कही है, उनको रिपीट नहीं करूंगा । मैंने आपसे यह निवेदन करना है क्योंकि जो माननीय मंत्री जी की स्टेटमैंट अखबारों में आई थी, वह यह थी कि हिमाचल प्रदेश में हमने हरियाणा की तरह एक्ट लाना है और हरियाणा में मॉडल एक्ट आया है। हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल यहां पर राज्यपाल महोदय के पास लम्बित पड़ा है उस बिल को अगर हम देंखे तो हरियाणा का बिल और हिमाचल प्रदेश का बिल ये डिफरैंट बिल हैं। जो हरियाणा का बिल है अगर माननीय मंत्री जी की मंशा है कि उसको लाना है तो वह स्पोर्ट्स कौंसिल के द्वारा राज्य

03.04.2018/1245/जेके/डीसी/3

स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, म्युनिसिपल कमेटिज़ में भी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाना और उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बिल्ट करना और वहां पर सारा एक्ट अगर देखा जाए।

03.04.2018/1250/SS-HK/1

श्री राम लाल ठाकुर क्रमागतः

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसकी कॉपी निकाली है। यह हरियाणा का स्पोर्टस काउंसिल का बिल है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं कहूंगा कि ज्यादातर ऊपर से लेकर चार-चार मंत्री उसके मेम्बर्ज़ होंगे। डायरेक्टर स्पोर्टस होगा। दो-तीन नोमिनेटिड लोग होंगे और म्युनिसिपल कमेटी से लेकर जो ब्लॉक समितियां हैं, वहां तक कमेटियां फॉर्म करने की बात की है। सारी की सारी नोमिनेटिड कमेटियां बनाने की बात की है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जहां तक स्पोर्टस के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रियेट करने की बात है या स्पोर्टस के लिए परिवेश पैदा करने की बात है वह एक अलग विषय है। लेकिन जो बिल इस माननीय सदन ने पारित किया था, उसमें अगर आप सारे प्रावधान को देखेंगे तो वे प्रावधान ये हैं कि मान लो अगर सात जिले under Registration of Societies Act रजिस्टर नहीं होंगे और उन जिलों में कम-से-कम आठ क्लब्स हिस्सा नहीं लेंगे, अगर एनुअल उनकी स्पोर्टस सुमिट नहीं होगी तो वे राज्य स्तर पर नहीं खेल पायेंगे। राज्य स्तर

पर खेलने के लिए यह ज़रूरी था। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बिल ओलम्पिक चार्टर के अधीन बनाया गया है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय अगर हम ओलम्पिक चार्टर की बात करें तो सरकार टीम नहीं भेज सकती। ओलम्पिक चार्टर के अधीन आपकी जो जिला की एसोसियेशन्ज़ हैं अगर वे रजिस्टर्ड नहीं होंगी, आपके बाई-लॉज को नहीं मानेंगी तो वे राज्य स्तर पर नहीं खेल सकतीं। राज्य स्तर पर अगर कम-से-कम सात डिस्ट्रिक्टस हिस्सा नहीं लेंगे तो प्रदेश की टीम नहीं बनती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विदड्राल करने का मतलब है कि 10 आदमी इकट्ठे हो, नीचे कोई स्पोर्टस एक्टिविटीज़ न हों और वे सीधे तौर पर फैड्रेशन से सम्पर्क कर लें। आजकल तो फैड्रेशनें भी चार-चार बन गईं। कोई एक फैड्रेशन नहीं रही है। पैरलल ग्रुप खड़े करते हैं और उनको लेकर वे फैड्रेशन से एफिलियेशन लेते हैं। कहीं पर अगर मान लो वातावरण ठीक है तो स्पोर्टस काउंसिल से राज्यों का भी ले लेते हैं लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो मंत्री जी की मंशा है, पता नहीं इनको कौन गाइड कर रहा है, कौन-सी ऐसी शक्ति है जो इनको गाइड करके अपने रास्ते से भटका रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यह न सोचो you have brutal majority. इसको पास कर लें परन्तु हमारी बात सुन लीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम कोई स्पोर्टसमैन के

03.04.2018/1250/SS-HK/2

दुश्मन नहीं हैं। हमने स्पोर्टस को राजनीति का कोई अखाड़ा नहीं बना रखा है। लेकिन कृपा करके अगर एक आदमी स्पोर्टस के माध्यम से तीन-तीन, चार-चार जगहों पर प्रैसीडेंट बन जाए तो उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कारण क्या था कि जो बी0सी0सी0आई0 के प्रैसीडेंट थे उनको लोढ़ा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने एप्वाइंटमैंट की थी और सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के प्रैसीडेंट और बी0सी0सी0आई के प्रैसीडेंट को लिखित माफीनामा देना पड़ा। वहां पर लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू की और अनुराग ठाकुर को बाहर आना पड़ा। मैं बताऊं यह कौन-सा गोल्ड मैडल था! अब जब वहां से बाहर हट गए हैं तो अब यह शॉर्ट कट है कि हॉकी के ऊपर कब्जा करो। फिर हॉकी फैड्रेशन में चले जाओ। हॉकी फैड्रेशन से इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन में चले जाओ, यह शॉर्ट कट ढूंढा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर सोसाइटी को जमीनें दे दीं। मैं

आपको प्रमाणिक तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस दिन हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला किया कि क्रिकेट एसोसियेशन को धर्मशाला में जगह दे दी। एक महीने के बाद सैक्रेटरी, क्रिकेट एसोसियेशन का लैटर हिमाचल प्रदेश सरकार को आया। कारण क्या था कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट को कैसे पता लग गया कि क्रिकेट को स्टेडियम के लिए पैसा चाहिए। There was no application on records परन्तु फिर भी क्रिकेट एसोसियेशन को हिमाचल कैबिनेट ने जमीन देने का फैसला किया। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कितनी एसोसियेशनें हैं, एक भी एसोसियेशन बता दो जिनको जमीन मिली हो। सारी की सारी प्राइम लैंड क्रिकेट को दे दी और दी under the Registration of Societies Act because they were working under the Registration of Societies Act. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि उसके बाद क्या हुआ? कानपुर में रजिस्ट्रेशन हुई, ये कम्पनी बन गई और जो कम्पनी बनी उसका नाम हिमाचल प्रदेश के जो स्पोर्टसमैन थे

3.04.2018/1255/केएस/एचके/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---

उनके नाम से नाम कुछ और दिया गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गई और उसका एड्रैस भी कानपुर का दिया गया जो फिक्टिशियस पाया गया। आप मुझे बताएं कि एक हिमाचल प्रदेश की जो क्रिकेट के नाम से कम्पनी है वह under Registration of Company Act वहां पर registered हो रही है और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में under Registration of Societies Act काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, दोनों जगहों पर बैलेंस शीट दी जा रही है। under Company Act भी दी जा रही है और under Registration of Society Act भी दी जा रही है। Under Registration of Society Act को कम्पनी में नहीं बदला जा सकता। मान लें कि अगर दो सोसाइटियां भी उसमें मर्ज करनी है तो जो रजिस्ट्रार कॉप्रेटिव सोसायटी हैं, उनकी परमिशन लेने के बाद यह हो सकता है लेकिन धर्मशाला में मीटिंग हो गई, पास हो गया कि अब हम कम्पनी एक्ट के अंदर काम करेंगें। मेरा आपसे निवेदन है कि यह बड़ा गड़बड़ घोटाला है और रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश की जमीनें दी

और उसके बाद उन जमीनों को अब कम्पनी को दे दिया और कम्पनी भी वह लिमिटेड है। कुछ मैम्बर उसके हैं और 24 जालन्धर के पेड मैम्बर है। मैं जानना चाहता हूं कि हम स्पोर्ट्स को ले कहां जाना चाहते हैं? मुख्य मंत्री जी, आप भले आदमी हैं। आपकी सोच भी अच्छी है। मंत्री जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन कौन सी ऐसी ताकत हैं जो आपको यह गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रही है? ऐसी क्या मज़बूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक-दूसरे की खारीश मिटाने के लिए पीठ खुरकी जा रही है? कृपया ऐसा मत करें।। am telling you, Sir, don't make it an issue. If this bill is dropped as you have put this in the august House, this will be disastrous for Himachal sports.

अध्यक्ष महोदय, यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दिल्ली में एक मंत्री है। पुराने भी तीन-चार मंत्री है और कांग्रेस का भी एक मंत्री है। क्रिकेट में उन लोगों ने हंगामें खड़े किए हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये सारी मित्रताएं हैं। इन्होंने पहले हिमाचल प्रदेश में एसोसिएशन चली थी । उस मंत्री की वजह से दिल्ली में भी कम्पनी बनी, यू.पी. में भी कम्पनी बनी और आज की तारीख में उसमें हिमाचल प्रदेश को भी ला कर खड़ा कर दिया।

3.04.2018/1255/केएस/एचके/2

हिमाचल प्रदेश के स्पोर्टसमैन को कुछ नहीं मिल रहा है। रूल हैं कि आप जिला एसोसिएशन के प्रैज़िडैंट नहीं हो सकतेif you are not the resident of that place you cannot be the president of that place. How come your Shri Anurag Thakur is president of Bilaspur District. यह सारी की सारी सरकारी प्रापर्टीज़ आज क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से हड़प करने का प्रयास हो रहा है और उसका भुक्तभोगी वीरभद्र सिंह जी को बनना पड़ा है। आज जितने भी केसिज़ चले हैं, दिल्ली से क्या हो रहा है कि कभी इन्कम टैक्स की रेड पड़ रही है, कभी सी.बी.आई. आ रही है। चार साल इसी के लिए लगा दिए नहीं तो आज हम कहां पर खड़े होते? मेरा निवेदन है, कृपया इन सारी चीजों का राजनीतिकरण न करते हुए जो हमारे मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, इन सारी एसोसिएशन्ज़ को, क्योंकि हमारी पिछली सरकार ने ओलम्पिक चार्टर के अन्दर इनको प्रमोट करने का बिल पास किया है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें कोई अड़ी करने की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिल ले कर आया हूं। अगर यह गलत है तो

give it a second thought और आप कानूनी तौर पर भी देख लीजिए। मैं कहूंगा कि कारण क्या है, पन्द्रह-पन्द्रह सौ पेड़ आज भी खड़े हैं उसके बावजूद उसको बजंर बताया गया। आज वहां पर फाइव स्टार होटल भी बन रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में या पूरी दुनिया में बता दो अगर कहीं क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कोई होटल हों। केवल हिमाचल प्रदेश में होटल बनाने की नई शुरूआत हुई है। धर्मशाला में आई.पी.एल. मैच हुए । हिमाचल सरकार ने सवा करोड़ रुपये पुलिस के खर्चे के लिए सरकारी खजाने से दिए। अध्यक्ष महोदय, आई.पी.एल. के जो मैच होते हैं, वे करोड़ों रुपये कमाते हैं । कारण क्या है कि हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री ने बेटा प्रधान है तो एक करोड़ सत्ताईस लाख रुपये हिमाचल प्रदेश के खजाने से दे दिए?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, विषय आ गया है।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इसको आप विपरीत दिशा मत दें। इन परिस्थितियों में, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारी जमीनें कम्पनी को दे दी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के खजाने पर डाका मारा गया है। इसलिए इस बिल को माननीय मंत्री जी, जो विधान सभा में ले कर आए हैं, रिपील करने के लिए मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है । ऐसा फैसला मत करो।

3.4.2018/1300/av/yk/1

श्री राम लाल ठाकुर------ जारी

मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा फैसला मत कीजिए। गोविन्द सागर में छलांग मत लगाओ वह सूख गया है, आपकी टांगें टूट जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं और जगह ढूंढो लेकिन स्पोर्ट्स के लिए ऐसा मत कीजिए। This will be the black day if it is pass today. Thank you very much Sir.

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी अपनी बात रखेंगे। कृपया आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, ये लोग 20-20 मिनट बोल जाएं और हमें केवल दो मिनट दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष : आप दो मिनट में उतना बोल लेंगे।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्पोर्ट्स बिल के ऊपर इतना कनफ्यूजन क्यों है? इस बिल को बिद्ड्रा करने के बारे में बात की जा रही है कोई नया बिल पेश नहीं किया जा रहा है। Shri Vikramaditya Singh Ji, has presented the case very well and I agree with him. अब जो-जो बातें आप यहां पर बता रहे हैं और साथ में आपने यह भी कहा कि सारा मैटर सबजुडिस है। यहां पर राम लाल ठाकुर जी ने आधा घंटा एच0पी0सी0ए0 का रोना रो दिया। जब आप खुद मान रहे हैं कि यह मैटर सबजुडिस है तो why are you discussing it here? नहीं, नहीं, देखिए। Let us talk on records. (---व्यवधान---) ठाकुर साहब, एक मिनट। मैं भी एक स्पोर्ट्स मैन हूं। (---व्यवधान---) I am a national sportsman and have played four national games. एक मिनट, मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक नया बिल नहीं आ जाता तो आप उसको पुराने के साथ कम्पेयर कैसे करेंगे। दूसरे, आप इसका सारा-का-सारा निचोड़ निकालकर एच0पी0सी0ए0 पर ले गये। अब एच0पी0सी0ए0 की

3.4.2018/1300/av/yk/2

रजिस्ट्रेशन सोसायटी की है या एक फर्म की है। It is matter under the courts trial and we should not comment on it. (---व्यवधान---) ठाकुर जी, एक मिनट।

---(interruption)--- Whatever you have introduced in the previous Government was good for the sports. We are not denying it. What we are saying are don't create politics out of the sports. Let's talk about that by which

we can do something good for the sports. (---व्यवधान---) मैं वही बात कर रहा हूं। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : प्लीज, जब आप लोग बोल रहे थे तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, उनको अपनी बात रखने दें।

श्री राकेश पठानिया : जब तक आपने नया स्पोर्ट्स बिल पढ़ नहीं लिया पुराने पर कमैंट कैसे करेंगे। रही बात ठाकुर साहब आपकी, तो मैं यहां पर आपकी हर बात का जवाब दे सकता हूं लेकिन जैसे आपने कहा कि मैटर सबजुडिस है। हमें वह दिन भी याद है जब यहां पर पहला आई0पी0एल0 का मैच हुआ था तो धर्मशाला का नाम दुनिया के 40 देशों में आ रहा था और उसके कारण हमारा टूरिज्म भी बढ़ रहा था। पूरे हिन्दुस्तान में जब हिमाचल का नाम दुनिया के नक्शे पर आ रहा था उस दिन भी हमारी छाती चौड़ी हो रही थी। आपके मैटर सबजुडिस होंगे but they have been discussed in the court. Himachal Pradesh has come on the World map only because of the Cricket. उसको आप ऐप्रिशिएट कैसे नहीं करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि बात इस मैटर के बारे में डिस्कशन करने की नहीं है लेकिन आप एक विषय को गलत जगह पर उठा कर ले जा रहे हैं । मैं भी इस स्पोर्ट्स बिल के साथ हूं और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स बिल इन्होंने दिया था it was good कि आपकी दो साल की टर्म हो, उसमें जो कुछ लिखा है , It's good for the sports fraternity. I request the Hon'ble Minister these things should also be implemented in the new Bill. They should also come into the new Bill. लेकिन इसके साथ-साथ आप क्या और अच्छा ला सकते हैं उन सारी चीजों

3.4.2018/1300/av/yk/3

को इकट्ठा करें ताकि वह हिमाचल के स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा भविष्य लेकर आए और हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट का ग्राफ अगर आज यहां तक पहुंचा है तो उसमें I am not discussing it. I don't want to go on that matter.

लेकिन जहां पर आपने उसकी कमियां निकाली हैं। आपने जैसे यहां पर कहा कि आप एक दूसरे की पीठ खुरकना चाहते हैं। लेकिन जिला बिलासपुर भी उन्हीं का है और जो सांसद यहां पर मौजूद नहीं है उसको हर बात के लिए आप क्रीटिसाइज करें । That is also not called for. मेरा आपसे केवल यह निवेदन है कि जो नया बिल आए उस नये बिल को डिस्कस किया जाए और इन चीजों को उसमें सम्मिलित किया जाए। (---व्यवधान---) आप नये बिल को पढ़ लें उसके बाद उसको डिस्कस करें। । think we are open to discuss the Bill. The Bill should be discussed in the Hon'ble House.

अध्यक्ष : मैंने आपको समय दे दिया है। अब श्रीमती आशा कुमारी जी अपनी बात रखेंगी।

3.4.2018/1300/av/yk/4

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती, मैं तो केवल व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं। माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने आपसे व्यवस्था मांगी है कि बिल वापिस लेने के लिए जो नोटिस दिया गया है यह नियमों के तहत नहीं है। उन्होंने आपको नियम भी बता दिया और आपने चैक भी कर लिया है। "Shall" make none to the Hon'ble Members. हमें तो पता ही नहीं कि आप वापिस क्यों ले रहे हैं। It is a mandatory. और यह सदन नियमों से चलता है। आप पहले व्यवस्था दें कि क्या यह नोटिस सही है, (---व्यवधान---) इसको सर्कुलेट नहीं किया गया है। इसमें डायरैक्शन 30 को फोलो नहीं किया गया है।

03.04.2018/1305/TCV/YK-1

श्रीमती आशा कुमारी .... जारी

ये आप ही के रुल्ज़ हैं, आप ही की डायरेक्शन्ज़ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप व्यवस्था दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप नया स्पोर्ट्स बिल लाएं। ये बिल तो अभी लागू ही नहीं हुआ हैं। इसे आपको वापिस देने की इतनी जल्दी क्यों है? इसको अभी तक

राज्यपाल महोदय से न इनसैंट और न ही डिसैंट मिली है। गवर्नर साहब भी जब इसे वापिस करेंगे, he suppose to give his comments. Why he has returned the Bill? The Bill has not been returned, the bill has not been assented to, and the bill has not been dissented to you have not been given reasons. तो अध्यक्ष महोदय, नियमों के तहत इस बिल को वापिस नहीं लिया जा सकता है। जब ये इसको वापिस लेंगे, ये ऐसा पहला बिल नहीं हैं , जो वापिस हो रहा है। आप 5 बार इस माननीय सदन में सदस्य रहे हैं। माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी 7 बार सदस्य रहे हैं, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी 9 बार रहे हैं और पार्लियामैंट को मिलाकर 14 बार रहे हैं। आप जानते हैं कि बिल वापिस दिए जाते हैं, लेकिन साथ में आप नया बिल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। आप बिल वापिस किस लिए ले रहे हैं। ये बिल तो लागू ही नहीं है। ये एक्ट बना ही नहीं है। आप इसे किस लिए वापिस ले रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? You bring the Bill and rightly as Sh. Rakesh Pathania Ji, pointed out then we will see कि आपने कौन-सी चीजें जो हमारे बिल में, हमारी सरकार के समय के बिल में थी, आपने उसमें लागू नहीं की है, तो उसे विदड्रा करने की क्या जल्दी है, ये तो लागू ही नहीं हुआ है। What is the hurry. आपको क्या जल्दी लगी है, आप नया बिल लाईये। अध्यक्ष महोदय, आप नियमों के तहत व्यवस्था दीजिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आप व्यवस्था दे, उसके बाद आगे की बात करें।

अध्यक्षः नियम-175 और 176, इनको पूरी तरह से देखने के बाद मैंने इसको विदड्रॉ के लिए माननीय मंत्री जी को अलॉऊ किया है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है। विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायनी प्रस्ताव समाप्त किया जा सकता है, बाद में उस विधेयक के स्थान पर नया

03.04.2018/1305/TCV/YK-2

विधेयक लाया जाना है। ये 'बाद में' शब्द है। अगर इसको इंग्लिश टैक्स्ट के अंदर देखेंगे तो "The Bill is to be replaced subsequently" और नियम-176 विधेयक को वापिस लिए जाने का विरोध किए जाने की प्रक्रिया- यदि किसी विधेयक को वापिस लिए जाने की अनुमति के लिए प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, प्रस्तावक को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकते हैं। उसके बाद अग्रेत्तर वाद-विवाद के बिना प्रश्न रखा जा सकता है। मैंने इसमें चर्चा का समय समुचित दिया है। अब माननीय मंत्री जी इसके ऊपर उत्तर दें। ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की असैम्बली में यह पहली दफ़ा हुआ है कि बिल के लिए आपने 24 घण्टे का समय नहीं दिया। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः मैंने पूरे-का-पूरा नियम पढ़ दिया है। ---(व्यवधान)---

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,---(व्यवधान)--- आप सुन तो लो। ---(व्यवधान)--- मुकेश जी आप सुन लो, आपने अपनी बात सुना दी है। अब आप भी सुन लीजिए। अध्यक्ष जी ने टाईम दे दिया है। ---(व्यवधान)--- आपको पूरा मौका दे दिया है। ---(व्यवधान)--- आपको सुन लिया। आपकी पूरी बात सुन ली। अब आप ---(व्यवधान)-

03-04-2018/1310/NS/AG/1

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप बोलें।

संसदीय कार्य मंत्रीः ---(व्यवधान)--- सर, ये बिल के ऊपर धक्केशाही नहीं चलेगी। स्पीकर रूल्ज़ के अनुसार चलता है और स्पीकर की रूलिंग आ गई है। इनको स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने का कोई राईट नहीं है। अगर यह गलत है तो यह गलत हो सकती है। लेकिन स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ---(व्यवधान)--- Once the ruling has been given by the Speaker then it should be implemented. (व्यवधान)--- जुबानी फैसला नहीं है, रूलिंग आ गई है। स्पीकर की रूलिंग आ गई है।

You have no right to challenge it. आपको चैलेंज करने का कोई राईट नहीं है। ---(व्यवधान)--- यह स्पीकर की रूलिंग है। आपने जाना है तो आप जाओ। आप बोलना शुरू करो। ---(व्यवधान)--- स्पीकर ने रूलिंग दे दी है। स्पीकर की रूलिंग है और आप रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ---(व्यवधान)--- This is contempt of the House. ये स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं।

अध्यक्षः मैंने पूरी तरह से नियम पढ़ करके वरबेटम ---(व्यवधान)--- पूरी तरह से आपको बताया है। माननीय मंत्री जी आप अपनी बात कहें। ---(व्यवधान)---

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो करके टेबल थपथपा कर नारेबाज़ी करते रहे।)

03-04-2018/1310/NS/AG/2

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे स्पोर्टस बिल पर चर्चा के लिए समय दिया है। ---(व्यवधान)--- ऐसा लगता है कि विपक्ष अब तक जिस बात को कर रहा है, इन्होंने स्पोर्टस बिल को वर्ष 2015 में लाया था। इसके विषय में तो इन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन ये उस चर्चा के साथ केवलमात्र क्रिकेट तक ही सीमित रहे और क्रिकेट पर ही चर्चा करते रहे। ---(व्यवधान)--- मेरा यह मानना है कि पिछले पांच सालों की सरकार में भी इन्होंने यही सब समय बर्बाद करने में लगाया है। आज इनका (विपक्ष) यह कहना है कि इसको सर्कुलेट करना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं कि अरे क्या सर्कुलेट करते? जब कोई नया बिल है ही नहीं तो हमने क्या सर्कुलेट करना था?

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के समय में दिनांक 06-04-2015 को बैठक आयोजित हुई, इसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) का जो बिल लाया था और 09-04-2015 को इसको पारित किया था। ---(व्यवधान)--- मई 2015 को महामहिम राज्यपाल जी को स्वीकृति हेतु भेजा था। अध्यक्ष महोदय, आज दो साल से अधिक समय बीत गया है। ---(व्यवधान)--- राज्यपाल महोदय ने इस पर टिप्पणी की थी कि आखिरकार कहीं भी देश के अंदर किसी भी सरकार ने

कोई भी इस प्रकार का खेल विधेयक नहीं लाया है। जब खेल विधेयक कोई लाया नहीं है और जहां-जहां पर ये विधेयक लाये थे, सभी सरकारों ने इन विधेयकों को विदड्रा किया है। ---(व्यवधान)--- इसका कारण यह है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जितनी भी स्पोर्टस एसोशिएशन्ज़ आदि हैं, वे सभी-की-सभी चुने हुए लोगों की हैं। आज जो कांग्रेस सरकार के यहां सदस्य बैठे हैं, मेरा यह मानना है कि राजनीतिक दल के लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यह बात कर रहे हैं, उस पर मैं कहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी यहां हैं और जो माननीय सदस्य यहां आये हैं, ये माननीय सदस्य कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश के राईफल एसोसिएशन के अपने आप प्रेजीडेंट रहे हैं। ये किस तरह से औरों पर आरोप लगा रहे हैं। ---(व्यवधान)--- सबसे पहली बात यह है कि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। जब यह बिल कांग्रेस सरकार ले करके आई थी, उस समय इन्होंने यहां पर डिबेट करने का मौका ही नहीं दिया था।

03.04.2018/1315/RKS/AG-1

वन मंत्री... जारी

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

यहां पर मैं केवल मात्र एक क्रिकेट या हॉकी की बात ही नहीं करने वाला हूं बल्कि जो हमारा ओलम्पिक चार्टर है इसमें कम-से-कम 43 खेलें रेकॉग्नाइजड हैं। ये खेलें 43 खेलों के भविष्य के बारे में है। इसलिए ओलम्पिक चार्टर की अनदेखी न की जाए। (...व्यवधान...) आप कोई खेल विधेयक की चिंता नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी पारिवारिक लड़ाई लड़ने में ही सारा समय बिता रहे हैं। अभी तक यहां पर जितनी भी चर्चा की गई, आपने कोई काम की बात नहीं की है। आप जितने हताश और निराश हैं, अब इस हताशा और निराशा के वातावरण में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। (...व्यवधान...) जब आपके समय में इस पर चर्चा चल रही थी तो माननीय सुरेश भारद्वाज जी को बीच में बोलने नहीं दिया गया था। उनके बिना बोले ही आपने अपनी बात को समाप्त कर दिया था। आदरणीय राम लाल ठाकुर जी इस बिल और हरियाणा की खेल नीति के बारे में बात कर रहे थे। श्री राम लाल ठाकुर जी आप बड़े

पुराने सदस्य हैं और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि बिल अलग चीज है और पॉलिसी अलग। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार है। अभी सरकार को बने हुए तीन महीने ही हुए हैं। अब खेल नीति भी आएगी और हम अच्छा काम करके भी दिखाएंगे। यहां पर पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी मौजूद हैं। आप 6 बार प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। आपने यह चिंता पहले क्यों नहीं की? आप क्रिकेट संघ में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का नाम जपते रहे। मेरा कहना केवल मात्र क्रिकेट संघ के बारे में ही नहीं, हम सभी खेलों के बारे में नीति सुनिश्चि करेंगे। इस बिल के बारे में कैबिनेट में भी चर्चा हुई और अब हम महामहिम राज्यपाल महोदय से इस बिल को विदड्रा कर रहे हैं। हम विदड्रा करने का अधिकार रखते हैं। जब हमें उचित लगेगा, कुछ करने की आवश्यकता होगी, तो हम जरूर करेंगे। लेकिन किसी के दबाव में हम कुछ करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की

03.04.2018/1315/RKS/AG-2

भावना से काम करने वाली नहीं है। मुझे तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके (कांग्रेस पार्टी) बीच में जैसे दो परिवारों की लड़ाई होती है (...व्यवधान...)। उसको छोड़ दो, भूल जाओ। (...व्यवधान...) यहां पर लोगों को यह भाषण देना कि राजनीतिक लोगों को परिवारवाद पर नहीं आना चाहिए। आप यहां पर अभी कह रहे थे कि पूर्व मुख्य मंत्री, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी यहां पर मुख्य मंत्री थे और उनके बेटा क्रिकेट संघ और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों जगह थे। परन्तु पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह भी मुख्य मंत्री थे और इनके सुपुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह जी यूथ कांग्रेस के प्रेजिडैंट और राइफल ऐसोसिएशन के प्रेजिडैंट थे। यानी किस तरह से आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। (...व्यवधान...) अगर उन्होंने किया तो आप सभी ने भी कोई कसर नहीं रखी। (...व्यवधान...) अगर आप 6 बार के मुख्य मंत्री हैं तो आपने क्या किया? हम इस माननीय सदन में इस बिल को वापिस ले रहे हैं और यह बिल वापिस लिया जाएगा। आपको लगता

है कि लोकतंत्र ने आपको विपक्ष में बिठा दिया। (...व्यवधान...) अध्यक्ष महोदय, जब ये सत्ता में थे तो ये हमें बात करने का अधिकार नहीं देते थे लेकिन आपने इनके सभी सदस्यों को अपनी पूरी बात करने का मौका दिया

03.04.2018/1320/बी0एस0/डी0सी0-1

वन मंत्री..... जारी

और सत्ता पक्ष ने इनकी सारी की सारी बात को सुना और जब हमारे जवाब देने की बात आई तो जवाब सुन नहीं सकते, इसलिए हल्ला करने के लिए उठ गए। ...(व्यवधान)..... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, इतना बढ़िया मंच का संचालन करते हुए और आपने इतनी अच्छी इस सदन की गरिमा को बनाया है, आपने विपक्ष को बोलने के लिए पूरा समय दिया लेकिन उन्होंने आपकी बात को नहीं माना। आपको फिर से बहुत-बहुत बधाई। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं । ...(व्यवधान)..... बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.04.2018/1320/बी0एस0/डी0सी0-2

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को वापिस लिया जाये । ...(व्यवधान).....

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को वापिस करने की अनुमति दी जाये ।

अनुमति दी गई

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) वापिस हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन अवकाश के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

03.04.2018/1430/DT/HK-1

माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के उपरान्त 2.30 बजे (अपराह्न) पुनः आरम्भ हुई।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करेंगे।

03.04.2018/1430/DT/HK-2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करता हूं।

03/04/2018/1435/RG/HK/1

अध्यक्ष : 'हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास संशोधन (विधेयक) 2018 (2018 का विधेयक संख्याक-4)' पुरःस्थापित हुआ।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई

अब माननीय शहरी विकास मंत्री 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' को पुरःस्थापित करेंगी।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' पुरःस्थापित करती हूं।

अध्यक्ष : 'हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 3)' पुरःस्थापित हुआ।

03/04/2018/1435/RG/HK/2

<u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष अब श्री मुकेश अग्निहोत्री जी नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश की जल संरक्षण नीति पर यह सदन विचार करे।'

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश की जल संरक्षण नीति पर यह सदन विचार करे।' मैं इसमें डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित करता हूं। अब श्री मुकेश अग्निहोत्री अपना विषय रखेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण का मुद्दा जो सदन में लाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य तो हाल ही में विधान सभा के सौजन्य से दो दिन तक इस मसले पर चर्चा होना और सम्माननीय विधायकों का इसमें हिस्सा लेना है।

लेकिन इतने अहम् मुद्दे पर माननीय मंत्री जी नदारद रहे। दो रोज़ हमने इनकी कमी महसूस की। हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां मौजूद थे। माननीय मंत्री जी ने यह दो दिन की कार्यशाला कैसे मिस कर दी और वाटर-मैन ऑफ इण्डिया श्री राजेन्द्र सिंह जी यहां आए हुए थे। वे आकर चले गए और ये उनसे भी बेख़बर रहे। इसलिए हमने सोचा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करते हैं ताकि कम-से-कम माननीय मंत्री जी का दृष्टिकोण भी इस विषय पर हमें पता चल सके कि ये इस मसले पर क्या सोचते हैं?

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो दो तरह की धारणाएं हाल ही में सामने आई हैं।

03.04.2018/1440/जेके/वाईके/1
श्री मुकेश अग्निहोत्रीः------जारी-------

एक तो यह है कि केन्द्रीय मंत्री जिनका नाम भी श्री जय राम गडकरी है और हमारे मुख्य मंत्री जी का नाम भी श्री जय राम जी है। मुख्य मंत्री जी ने 4751.24 करोड़ रूपए का वाटर कंज़र्वेशन प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित किया है। अभी ये स्टेटस पेपर इन्होंने भेजा है।

मैं, माननीय मंत्री जी यह कहना चाहूंगा कि इसके पहले चरण में हालांकि सेंक्शन में जो समय लगेगा वह तो लगेगा, 708.87 करोड़ रूपए का जो इसका पहला चरण है। इसकी शुरूआत ही आपने धर्मपुर से की है। आपने अपने विधान सभा हल्के का जल संरक्षण करने के नज़रिए से इसमें जो एरियाज़ आइडैंटिफाई किए हैं, उनमें धर्मपुर, लड़भड़ोल, जिला मण्डी की कुछ पुरानी यादें हैं, बमसन-सुजानपुर, जिला हमीरपुर और घुमारवीं, जिला बिलासपुर ये आपने पहले चरण में शामिल किए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रदेश के जो सबसे क्रिटिकल एरियाज़ हैं, उनको नज़र अंदाज करके आप उन स्थानों की ओर पहले चलें है जहां नदियां बह रही हैं। जहां पर आप पानी के संकट का यूं ही निवारण कर सकते हैं लेकिन कहते हैं कि नागरिकता घर से आरम्भ होती है इसलिए आपने ऐसा किया

होगा। यहां पर बजट बुक में भी ज़ोर-शोर से कहा गया है कि किसानों की इन्कम हम डबल करेंगे। प्रोजैक्ट का जो थ्रस्ट है वह भी यही कह रहा है और शायद आपने नीति आयोग या उनके उद्देश्यों को देखते हुए ही जल्दी से यह प्रोजैक्ट यहां से प्रेषित कर दिया। हालांकि किसान की आय डबल होगी, कब होगी यह तो बहुत बड़ा विषय है। वर्तमान जी0डी0पी0 पर तो वह निश्चित तौर पर नहीं होगी। माना जा रहा है कि जब जी0डी0पी0 डबल होगी तब किसान की आय डबल होगी। शायद जी0डी0पी0 को डबल करना भी आपके बस में नहीं है और आप कर भी नहीं पायेंगें लेकिन आपने मंसूबे बड़े-बड़े दिखाए हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल वार्मिंग का इफैक्ट है। उसकी भी चर्चा दूसरे दिन हुई। पहले दिन जल संरक्षण पर हुई। पूरे संसार में पानी को ले कर चिन्ता बनी हुई है। ऐसे में इन प्रभावों से हिमाचल को कैसे बचा पाएंगे इस पर चर्चा जरूरी है और उसी मंशा से हम इस विषय को ले कर आए हैं, क्योंकि

03.04.2018/1440/जेके/वाईके/2

हाल ही में विशेषज्ञों ने जो पीटरहॉफ में बताया कि 2050 तक हिमाचल प्रदेश के आधे ग्लेशियर सूख जाएंगे और उनकी आधी केपेसिटी रह जाएगी। दो तरह की बातें यहां सदन में भी आई है। कह रहे हैं कि जल ही जीवन है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि अगला विश्व युद्ध ही पानी के लिए होगा। दो धारणाएं सामने आई हैं एक तो मंत्री जी रिचार्ज का मॉडल ले कर आ रहे हैं कि 4700 करोड़ रूपए की योजनाएं बना करके आप रिचार्ज करना चाहते हैं। दूसरी, अध्यक्ष महोदय जो बात आपने हमारे समक्ष रखी।

03.04.2018/1445/SS-YK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री क्रमागतः

जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि हम प्रैक्टीकली इसको इम्प्लीमैंट करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ अरबों रुपया लगाकर जल संग्रहण का इश्यु है और दूसरी तरफ जन सहभागिता से पानी के संग्रहण की बात आ रही है। आप इनमें से किस नीति को

एडॉप्ट करने जा रहे हैं, कौन-सा मॉडल आप एडॉप्ट करने जा रहे हैं? एक तरफ आप केन्द्र को पत्र लिख रहे हैं कि हमें 4700 करोड़ रुपया चाहिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम जनता की सहभागिता से यहां का रिचार्ज ठीक करेंगे। हिमाचल प्रदेश की यह दिक्कत है कि यहां अधिकांश पानी बहकर निकल जा रहा है। खास तौर से जो हमारा ऊना का एरिया है वहां खड्डें हैं, स्वां हैं, वहां पानी एक मिनट भी नहीं टिकता। पानी आया और बहकर चला गया। जमीन से पानी निकालने का काम तो काफी हो चुका है लेकिन जमीन में पानी कैसे डाला जाए अब यह मसला सार्वजनिक महत्व का हो गया है। माननीय मंत्री जी, सबसे क्रिटीकल लेवल पानी का अगर कहीं है तो वह ऊना का है। जिसका कि आपने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। यह हकीकत है कि नाबार्ड ने वहां पर गहरे ट्यूबवैलों की फंडिंग पर रोक लगा दी। कई सालों तक वहां पर नाबार्ड की पानी की स्कीमें सैंक्शन नहीं हुईं। एक तो आपका डिपार्टमैंट गहरे ट्यूबवैल लगा रहा है, दूसरा यह है जो लोग ट्यूबवैल लगाते हैं जोकि सरफेस पर ही लग जाते हैं। जो आसानी से लग जाते हैं। खनन है, पर्यावरण के मसले हैं। हमारा कोई भी औद्योगिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पानी की ट्रीटमैंट हो सके। ये सारी बातें चर्चा में आ रही हैं। लेकिन हमारे यहां पर नहरीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं हुआ। हमारे साथ पंजाब में तो नहरें भी खोदी जा रही हैं। जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं चाहे वह ऊना का है चाहे वह नालागढ़-बद्दी का इलाका है इन इलाकों में पानी का कैसे बंदोबस्त करना है, यह देखने की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां आप 24x7 पानी दे पा रहे हैं। अभी आपकी दो स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। दावे तो बड़े-बड़े किये जा रहे हैं कि आप धर्मशाला और शिमला सिटीज़ में 24x7 पानी देंगे। पानी दे पायेंगे वह तो भारद्वाज साहब को पता होगा जोकि स्थानीय मंत्री हैं लेकिन फिलहाल तो अखबारों में आ रहा है कि तीसरे दिन पानी मिल रहा है। अभी यह आ रहा है कि आप सतलुज नदी से पानी उठाकर शिमला कैसे पहुंचायेंगे। यह आ रहा है कि

03.04.2018/1445/SS-YK/2

अश्वनी खड्ड की स्कीम दो साल से बंद पड़ी है और उसकी ट्रीटमैंट का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वहीं पानी को 24x7 नहीं दे पा रहे। वहां पर आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप लोगों को पानी मुहैया करवा

सकें। जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने कहा कि शिमला में अंग्रेज़ों का मॉडल तो बिल्कुल ठीक था। अंग्रेज़ों ने जो स्कीम बनाई थी वह ठीक थी लेकिन उसकी सारी हालत हिन्दुस्तानियों ने खराब कर दी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रही है। गर्मियां आते ही स्कीमें हांफने लगती हैं। टैंकरों से पानी मुहैया करवाने की नौबत आ रही है। कई स्थानों पर तीसरे दिन पानी आ रहा है। अधिकारियों के घेराव की बातें आती हैं। हम भी सत्ता में रहे, लोग घड़े लेकर विरोध में बैठ जाते हैं। आपके समय भी यह चुनौती आयेगी। यह कहा जा रहा है कि हिमाचल में बारिश प्रॉपर है और इसके बावजूद भी अब सरकार ने कहा है कि हम जल संरक्षण के लिए अभियान चलाना चाहते हैं। जल संरक्षण और जल प्रबन्धन, ये दो अलग-अलग मसले हैं। आज अफ्रीकन कंट्रीज़ में पानी की राशनिंग शुरू हो गई। रोज़ टेलीविजन पर आप देख रहे हैं

3.04.2018/1450/केएस/एजी/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी---

कि लोग पानी के लिए किस तरह तरस रहे हैं, कराह रहे हैं। हिन्दुस्तान में भी काफी जगह पर रेल के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। आप जो हैंड पम्प लगा रहे हैं, इस बजट में भी आपने इसके लिए 50 करोड़ या 20 करोड़ रुपया रखा है। जो भी आप हैंड पम्प लगा रहे हैं, उनमें से आधे सूख रहे हैं। बर्फ की कमी हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो चर्चा हुई, उसमें ये बातें बाहर निकल कर आ रही है । भूमि का जल स्तर तेजी से घट रहा है और तेजी से जलाशय सूख रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं। कुओं के हालात तो सबके सामने हैं। अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि इनको ढक्कन लगा कर बन्द कर दो। कई लोगों ने उनको पूरी तरह बन्द कर दिया है। अगर यही क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में कृषि भूमि भी 50 प्रतिशत सिकुड़ जाएगी जिससे आने वाले समय में रोज़गार की समस्या भी खड़ी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्ज़, रूफ टॉप स्ट्रक्चर्ज़ को अनिवार्य बनाने के लिए क्या आप कोई पॉलिसी ला रहे

हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में आपकी कोई ऐसी सोच है कि आप वर्षा से जल का संग्रहण करेंगें? हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में तो यही कहा जा रहा है कि पानी का यूज़ कम हो रहा है और मिसयूज़ ज्यादा हो रहा है। तीन बातें आपने अपनी स्पीच में मुख्य तौर पर कही। एक तो आपने यह कहा कि 4751 करोड़ रुपये की वर्षा जल संचय योजना आप बनाएंगें। हर खेत को पानी देंगें, हर नल तक पानी पहुंचाएंगें लेकिन इसमें कितना समय लग जाएगा? पानी आप कैसे हासिल करेंगें? मुख्य मंत्री पेयजल योजना के बारे में आपने कहा कि मैं ब्रिक्स से 3267 करोड़ रुपये ले कर आऊंगा और इसी तरह से कहा गया कि पिछली सरकार ने ठीक काम नहीं किया इसलिए 5664 करोड़ रुपये की योजनाएं खटाई में पड़ी हैं, उनमें कमियां हैं, उनको नहीं सुधारा जा सकता। चलो हम समझते हैं कि हम तो इन्कम्पिटैंट थे तो इस तरफ आ गए लेकिन आप तो कम्पिटैंट हैं। आपने जो तीन मसले इसमें कहे हैं कि 4751

3.04.2018/1450/केएस/एजी/2

करोड़ रुपये के जल संग्रहण का काम करेंगें, तो क्या आपके इरादे हैं, क्या आपकी सोच है? क्रिटिकल एरियाज़ को आप उसमें शामिल करेंगें या नहीं करेंगें या आप इसको कोई राजनीतिक गाड़ी की तरह ही चलाएंगें कि सबसे पहले धर्मपुर से इसकी शुरूआत करेंगें? आप शायद इन्तज़ार भी कर सकते थे। प्रदेश के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी की सख्त जरूरत है। ब्रिक्स से भी आप 3267 करोड़ रुपया लाने की बात कर रहे हैं। इरादे तो आपके बहुत बड़े-बड़े हैं। हमने भी जो प्रपोज़ल भेजी है, मुझे लगता है कि यह जो 5664 करोड़ रु0 की योजना है, शायद सभी में खामियां नहीं होंगी, इनमें भी कुछ अच्छी योजनाएं होंगी जिनको जल के संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है लेकिन माननीय मंत्री जी का जो विज़न है कि ये हिमाचल की धरती को रीचार्ज करेंगें और अब तक के सभी लोग पानी निकालने का काम करते थे, ये पानी डालने वाले मंत्री के तौर पर मशहूर होंगे, जमीन में पानी डालेंगें तो ये बहुत बड़ी चुनौती आपने यहां पर ली है ।आप कह रहे हैं कि आप वर्ष

2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगें। ठीक है, हमारे यहां किसानों की आत्म हत्याओं के मसले तो नहीं हैं लेकिन चुनौतियां हिमाचल प्रदेश में भी कोई कम नहीं है।

3.4.2018/1455/av/ag/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री------- जारी

टॉयलट में टैंक लगते हैं और लोग अपनी केपेसिटी से बड़े-बड़े टैंक लगाते हैं। उसमें कितना पानी बह रहा है, छतों का पानी कोई संग्रह नहीं कर रहा है। तालाब सूख रहे हैं, ट्यूब वैल सूख रहे हैं। कुंए सूख रहे हैं, नदियों का जल स्तर घट रहा है। जब एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि आपके ग्लेशियर भी आधे हो जायेंगे और वे आपको पूरे डाटा बेस के साथ बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपके जलाशय बहुत नीचे जा सकते हैं। इसलिए मैं उस मंशा के साथ इस प्रस्ताव को मान्य सदन में लाया हूं कि मंत्री जी का पक्ष हमें मालूम नहीं पड़ा। इस बारे में एक तो कार्यशाला हुई जिसमें बताया गया कि स्थिति क्या है। अब मंत्री जी कम-से-कम मान्य सदन को यह बताएं कि सरकार की सोच क्या है। मंत्री जी वह स्पष्ट करें, इस प्रस्ताव को मैं इस उद्देश्य से यहां लेकर आया हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : नियम 130 की चर्चा में बोलने के लिए मेरे पास सात नाम आए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपनी बात दस-दस मिनट में समाप्त करें क्योंकि इसके लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया है।

अब माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे।

3.4.2018/1455/av/ag/2

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के तहत जो चर्चा रखी गई है मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा/समस्या है और कहा जाता है कि 'जल ही जीवन है'। लेकिन अब जल का स्तर घट रहा है और पानी की आवश्यकता

बढ़ रही है। पहले कहीं-कहीं पर बरसात तीन महीने या सौ दिन की होती थी लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से महीने या डेढ़ महीने की बरसात हो रही है। उसके कारण हमारे जल स्त्रोतों में पानी का स्तर घट रहा है उसमें चाहे हमारे स्प्रिंग सोर्स हों या बहाव की स्कीमें हों। पहले नदियों में जो बर्फ पिघल कर आती थी उससे उनमें कम-से-कम 6 महीने तक पानी चला रहता था लेकिन अब नदियों में भी डेढ़-दो महीनों में ही पानी का स्तर कम हो जाता है। इसलिए यह एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और इस बारे में सोचने की जरुरत है कि इसका हल कैसे निकाला जाए। अब जो स्कीमें बनी हैं उसमें एक स्कीम सौ या दो सौ नलकों के लिए बनाई गई है जबकि वहां इससे कई गुणा ज्यादा नल लग चुके हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से पानी कम होता जा रहा है। ये स्कीमें 70 लीटर के हिसाब से बनाई जाती है जबकि हम डेढ़ सौ-दो सौ लीटर प्रयोग में लाते हैं। आजकल तो लोग सुबह 6 बजे फोन करना शुरू कर देते हैं कि हमारे नल में पानी नहीं आया, हमारे गांव में पानी नहीं आया। हो सकता है कि थोड़ी-बहुत मिसमेनेजमैंट भी हो लेकिन ई0एन0सी0 साहब ने लिखा था कि हमारे लगभग 30 प्रतिशत वाटर सोर्स ड्राई हो चुके हैं। हमारे जल स्त्रोत पुनर्जीवित कैसे हो सकते हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक ही हल है कि यहां पर लोगों ने कुल्हाड़ा रखा हुआ है,

03.04.2018/1500/TCV/DC-1

श्री रमेश चन्द ध्वाला.... जारी

और वृक्ष काटे जा रहे हैं। यहां श्री अग्निहोत्री जी तलाब की बात कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने श्रमदान करके वे तलाब बनाये थे। उन तलाब में पानी रहता था। लेकिन आज लोगों की मैंटेलिटी ऐसी हो गई है कि उन तलाबों के ऊपर लोगों ने मकान बना लिए हैं और वे सारे-के-सारे ड्राई पड़े हैं। इसके कारण गांव में क्या, जंगलों में भी पशु-पक्षियों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि ये जो सरफेस वॉटर है, जो बारिश होती है, इसका हम कैसे भण्डारण करें। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इस पर मनरेगा के तहत पैसा खर्च किया जा रहा है और छोटे-छोटे 20-50 लीटर के टैंक बनाएं जा रहे हैं।

ताकि यदि नल में पानी न आए तो वह पानी पशुओं के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, बाथरूम में प्रयोग करने के लिए और कीचन गार्डन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मैंने गुजरात में तो यह भी देखा कि उन्होंने 10-12 पैनल लगाये हैं और स्प्रिंकलर सिस्टम से वह पानी खेतों में दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी ऐसी एश्योरेंस दी है कि हम लगभग 200 करोड़ रुपये सौर ऊर्जा के ऊपर खर्च करेंगे। इसलिए सरफ़ेस वॉटर को बचाने के लिए खड्डों, नालों में चैकडैम लगाये जाने की ज़रूरत है। मैंने अपने इलाके में 2 चैकडैम लगाये हुए हैं और उन डैमों से जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सिज़ हैं या स्प्रिगं सोर्सिज़ है, उनमें पानी का स्तर काफी बढ़ा है। इसलिए हमारे वे सोर्स भी रिवाईव हो रहे हैं। केन्द्र सरकार की ओर से नदियों और नालों के लिए कृषि में काफी पैसा आया है। माननीय सदस्य अग्निहोत्री जी अच्छी बात तो बताते नहीं हैं, इनके इलाके में इतना नुकसान होता था, इनकी कल्टिवेटिड लैंड बह कर चली जाती थी, लेकिन जब से स्वां चेनलाइजेशन का काम हुआ, आज यू0पी0 से पता नहीं कितने किसान वहां पर खेती कर रहे हैं। वहां पर फसल भी अच्छी हो रही है। वहां पर दरख्त भी लगाये गये हैं और पूरी ग्रीनरी है। इसके साथ ही पानी का स्तर भी बढ़ा है। जैसा आप कह रहे हैं कि 47 हजार करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाकर सैंटर को भेजी है। प्रदेश में पानी उपलब्ध करवाने के लिए पैसा तो कहीं-न-कहीं से लेना ही पड़ेगा। पंचायतें भी अपने

03.04.2018/1500/TCV/DC-2

स्तर पर काम कर रही है। हम भी पानी के ऊपर काम कर हैं। इसके अलावा जो हमारा स्वॉयल कंजर्वेशन डिर्पाटमैंट है, वह भी इस पर काम कर रहा है और फॉरेस्ट वाले भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि एक-एक करोड़ रुपया पंचायतों में जा रहा है और इतने पैसे से तो काया पलट सकती है। परन्तु वहां पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी पीपल पार्टीस्पेशन होनी चाहिए। इतने पैसे दिए गये थे, क्या ये काम मापदण्ड़ों के अनुसार हुआ है? अगर वहां पर टैंक बना देते हैं तो वे लीक हो जाते हैं। इसलिए ठीक

काम वहां पर होना चाहिए और उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए। हम पंचायतों को पैसे दे रहे हैं, एम0पी0 फंड से पैसे मिल रहे हैं और 14वें वित्तायोग से भी उनको पैसे मिल रहे हैं। अब कई जगह से पंचायतों को पैसे मिल रहे हैं। वहां अच्छे लोग भी हैं

03-04-2018/1505/NS/DC/1

श्री रमेश चंद ध्वाला ----जारी

लेकिन वहां पर कुछ-कुछ लोगों को ठेकेदारी देने की प्रथा भी बंद होनी चाहिए। कम-से-कम ऐसे ठेकेदार होने चाहिए, जिनकी मानसिकता ठीक हो। मैंने इनका काम देखा है और वहां पर ऐसी गड़बड़ हो रही है। इसके लिए हमारा भी एक दायित्व बनता है। We are also mistaken because हमारे पास हमारा वर्कर आयेगा तो उसको यह काम दे देना। हमने यह नहीं देखना कि इसके काम की गुणवत्ता क्या है? मैंने दो सड़कें खुद सी.सी. कंकरीट की बनवायी हैं और वे सारी-की-सारी उखड़ गई हैं। जो काम अच्छा करेगा, मैंने कहा दोस्ती अलग चीज़ है और इस काम को आप दोबारा करो। इसलिए अगर डैम बनता है और डैम में जो टैक्निकल आदमी है, उसमें स्कावर पाइप आदि डाल करके जो मलबा ऊपर से आता है, यह दो महीने में मलबा से भर जायेगा। इसलिए इसमें स्कावर पाइप जरूर रखनी चाहिए ताकि बाद में उसको बंद करके अगर फिर पानी खड़ा होता है तो उस पानी को आप ग्रेविटी से भी अपने खेतों तक ले जा सकते हैं। वहां पर हमारे जो सोर्स हैं, चाहे वे सप्रिंग सोर्स है या बहाव स्कीम है, उसमें भी पानी आएगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसके लिए प्रयास करें और इसके लिए कोई अच्छी समिति गठित करके पानी की समस्या का समाधान किया जाये। पानी की समस्या तभी ठीक होगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, यहां पर हैंडपंपों की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी अगर हमारा दृष्टिकोण ठीक होगा, तब तो हैंडपंप लगाने का फायदा है। आप कह रहे हैं कि हैंडपंप ड्राई हो रहे हैं। आपने 20-20 मीटर की दूरी पर हैंडपंप लगा दिये हैं। आपने हमारे और अपने चेहतों के घर में तो हैंडपंप लगा दिये हैं। I can give you a solid proofs. वहां पर आधे किलोमीटर पर दस हैंडपंप लगे हुए हैं और एक घर के लिए हैंडपंप लगा दिया है। जब वाटर लैवल नीचे जा रहा है तो यह ड्राई होंगे। आप जब तक जंगलों में इस पानी को इक्ट्ठा नहीं करेंगे, तालाब नहीं बनायेंगे, खातरियां नहीं बनायेंगे और अगर

वहां पर पानी इक्ट्ठा नहीं होगा, ज़मीन में प्रीज़र्व नहीं होगा तो आपके हैंडपंप में कैसे पानी आयेगा? इसलिए हमारा यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है कि यह हमारा चेहेता है और इसको हैंडपंप लगना चाहिए। मेरे हिसाब से कम-से-कम 10 या 12 घरों

03-04-2018/1505/NS/DC/2

के लिए हैंडपंप लगना चाहिए। एक घर के लिए हैंडपंप लगा दिया है, इससे आपकी इमेज़ अच्छी नहीं बनती है। वहां पर यह इमेज़ बनती है कि इसके लिए लगा दिया है और हम दस परिवार थे, हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए भूवैज्ञानिक को पूछ करके गांव के मध्य में हैंडपंप लगवाने चाहिए। इसके लिए कुछ डिस्टैंस निर्धारित होनी चाहिए। अगर आप एक हैंडपंप यहां और दूसरा वहां लगा देंगे तो पानी कितना आयेगा? इसकी जो नीति है, इसके बारे में गम्भीरता से विचार किया जाये ताकि जो हैंडपंप लगें, उसका पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो। अगर हम आधे किलोमीटर में 10 या 15 हैंडपंप लगायेंगे तो ये ड्राई ही होंगे। डेढ़ लाख का हैंडपंप लग रहा है और वहां पर कुछ लोगों ने भैंसे बांधी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर आपकी घंटी का डर लगता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो चैकडैम, खड्डें और नाले हैं, इनके पानी को चैकडैम लगा करके इक्ट्ठा किया जाये। पुराने समय में घराट फिरते थे और वहां पर इसके लिए बांध लगाये जाते थे तथा हमारा जल इससे सरवाईव रहता था। अब ये सब कुछ तो होता नहीं है। इसलिए हमें जो राशि मिल रही है, चाहे वह विधायक विकास निधि हो या एम0पी0 लैड के पैसे हैं या 14वें वित्तायोग के पैसे हैं, इस पैसे का ठीक सदुपयोग करके अगर हमारी मानसिकता अच्छी होगी और वहां पर चैकडैम लगेंगे तो पानी की समस्या खत्म होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर रिचार्जिंग सिस्टम होगा तो हमारे सोर्स रिवाईव होंगे। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

अध्यक्षः अब माननीय डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल चर्चा में भाग लेंगे।

03.04.2018/1510/RKS/HK-1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जल संरक्षण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय

सदस्यों ने पहले भी इस विषय पर विचार रखे थे और आज भी रखे हैं। सी.एल.पी के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और सत्तापक्ष की तरफ से श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने इस मसले को उठाया है। First of all, I must compliment the Hon'ble Speaker for organizing these two very important workshops. जिसके माध्यम से जिन्हें इसका अच्छा ज्ञान था, जिन्होंने इस विषय को पढ़ा था, वे बड़े अच्छे स्तर के वैज्ञानिक, चिंतक और विचारक इस कार्यशाला में आए। हमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार की समस्या आज इस धरा पर आ खड़ी हुई है। जल के स्रोत सूख रहे हैं। बर्षा में बहुत कमी आ चुकी है। पहले बर्फ के लिए शिमला मशहूर होता था और अब हमें बच्चों को यह बताना पड़ता है कि शिमला में कभी इतनी बर्फ पड़ती थी। इस बार का दृश्य ऐसा रहा कि दूर-दूर तक पहाड़ियों में बर्फ नज़र नहीं आ रही है। इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे और वैज्ञानिक तरीके से हमें बताया। इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरा धन्यवाद मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का करना चाहता हूं जिन्होंने हमें सोलन में आई.पी.एच. सर्कल दिया था। माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी पहेली ज्ञान हैं। ये काम करने में बड़े कर्मठ हैं। परन्तु इसके साथ अगर ठीक प्रकार के संस्थान और आई.पी.एच. में जहां-जहां काम करने के लिए ठीक जगह होनी चाहिए, वह इन्हें मिल गए हैं। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि जो जल संरक्षण का मुद्दा है, इसके बहुत से पहलू हैं। मुझे याद है जब Albert Arnold Gore, पूर्व उप राष्ट्रपति, अमेरिका ने संसद के दोनों सदनों को अड्रैस किया था तो मैं समझता हूं कि वह एक बहुत अच्छा प्रजैंटेशन था in which he has personally gone in America and taken full details of these glaciers which are existing on this planet. उन्होंने कहा था और अब वैज्ञानिक भी यही बता रहे हैं कि वाकई सन् 2050 तक ऐसी भयावह स्थिति बन जाएगी। जैसे हमारे पिंडारी ग्लेशियर हैं या सियाचिन के साथ जो बड़े-बड़े महत्वपूर्ण ग्लेशियर लगते हैं, उन ग्लेशियरों की क्षमता बहुत घट जाएगी। लेकिन उन्होंने इसका तरीका भी साथ बताया। उन्होंने कहा हमें एक संकल्प के रूप में अपनी आने वाली जनरेशन को, स्टूडैंट्स को, संस्थानों को, ऑफिसिज़ और फैक्ट्री में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सभी को जन-मानस की रक्षा के लिए, जीव- जन्तुओं

03.04.2018/1510/RKS/HK-2

के ठीक संरक्षण के लिए पोधरोपण को मैंडेट्री बनाना होगा। इस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। वही एक तरीका है जिससे यह धरा बच सकती है और इसे हम एक बार फिर हरा-भरा बना सकते हैं। इसे हमें एक संकल्प के रूप में लेना होगा कि हमें इतने वृक्ष लगाने हैं। एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को हम एक टारगेट दे दें, ऐसा उनका कहना था। हमारे माननीय वक्ताओं ने जो यहां पर बातें की वह बहुत अच्छी बातें थीं। जहां पर कैचमैंट एरियाज हैं, जहां पर पहले छोटे-छोटे तालाब बनते थे अगर उनको हम जंगलों में या अपने स्थानों पर बनाना शुरू नहीं करेंगे तो यह जल स्तर और भी घटता जाएगा, because there is no absorption of water. सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधुनिकीकरण हुआ है, हमारे जो कंक्रीट जंगल बने हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि उसकी वजह से भी पानी नीचे नहीं जाएगा । इन सब चीजों का ध्यान करते हुए हमें इस प्रकार की चीजें बनानी पड़ेगी। जैसे वाटर बावडीज़। सोलन और कंडाघाट के क्षेत्र में बहुत अच्छी वॉटर बावडीज़ थी। मैंने पिछली बार भी इस बात का जिक्र किया था कि जो वाटर बावडीज़ अधूरी रह चुकी हैं उन्हें पूरा किया जाए।

03.04.2018/1515/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री डा0(कर्नल) धनी राम शांडिल जारी

मेरी माननीय मंत्री जी गुजारिश रहेगी कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। हमारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनएं हैं उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दरजा की बात हमेशा करता हूं, लगभग 4 करोड़ 93 लाख की यह योजना है, ये चलती हुई स्कीम है। इसकी तरफ विशेष ध्यान देकर इसे पूर्ण कर दिया जाए और इसी प्रकार कंडाघाट में हमारी Augmentation of Lift Water Scheme Phase-II की डी.पी.आर. बन चुकी है और यह भी 2 करोड़ 10 लाख की स्कीम है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर जरूर ध्यान दें। वैसे तो पानी का विषय ही ऐसा है कि हम सारी शाम इसके विषय में बताते रहेंगे तो भी विषय पूरे नहीं होंगे। परंतु मेरा इतना कहना जरूर है कि अगर

हम जो हमारी नाबार्ड के अन्तर्गत जो बड़ी-बड़ी स्कीमज हैं जैसे नोरा-कुरगल-टकराणा ये एक ऐसा क्षेत्र है और इसमें ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह बहुत महत्वकांक्षी योजना है अगर इसे पूरा कर लिया जाएगा तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारी एक स्कीम सकोरी 423 लाख रुपये की स्कीम अगर उसको भी कर देंगे, मैं आपका धन्यवाद करूंगा।

इसके अलावा जहां तक जल संरक्षण का संबंध है, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा, एक ठोस नीति जैसा हमने कहा कि बजट डाक्यूंमैंट में ठोस नीति बनाई जाए और जल संरक्षण की एक प्रकार से मैं तो कहूंगा, राशनिंग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने ठीक कहा कि अफ्रीका के देशों में यह स्थिति आ चुकी है और मैं तो । get reminded of 1971 days. मैंने देखा है कि राशनिंग क्या चीज होती है। जब हम सिंध के मैदान में थे, एक मग हमें पूरे दिन के लिए मिला था, इसलिए हम पहले से ही जल की रक्षा करें और एक आदत शुमार कर दें कि हमने किस तरह से पानी का इस्तेमाल करना है। मेरी पूर्ण आशा है कि हमारी वर्तमान में

03.04.2018/1515/बी0एस0/डी0सी0-2

जो चीजें हैं ये गांव में बढ़ चुकी हैं, जो पहले नहीं होती थी जल स्त्रोतों तक पशु चले जाते थे, भेड़-बकरियां चली जाती थी और वे वहां पर भी पानी पी लेते थे, अब पशु भी बढ़ चुके हैं और उन्हें घर में पानी की व्यवस्था की जाती है, सभी लोग कपड़ों को मशीनों के द्वारा धोते हैं, इस प्रकार के सभी उपकरण घर-घर में पहुंच चुके हैं। पानी की खपत पहले से अधिक हो चुकी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि there should be some sort of attention towards this point, कि हम नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें और कई बार ऐ जो एग्जिस्टिंग स्त्रोत हैं, जिन्हें हम अच्छे तरीके से भंडारण करते हुए एक प्रकार से एमरजेंरी जैसे जी.एम. रिजर्व हमारे कहते हैं, ऐसे ही में पानी को भी रखना चाहिए। हो सकता है कि कभी पानी न मिले किन्ही लोगों को तो एक प्रकार से हमारे पास ऐसा भंडार भी हो कि हम उसे लोगों को दे सकें। इसी के साथ मैं समझता हूं कि जो हमारी

बोरिंग की जो बात है , दुनिया की अच्छी-अच्छी जगाहें हमें दिखती हैं कि कहां पर पानी मिलेगा वह भी चिन्हित करनी चाहिए। किन जगाहों की बोरिंग होनी चाहिए, किन पर्वतमालाओं को हमें देखना चाहिए। एक विकल्प के रूप में हमें आगे के लिए नीति बनानी चाहिए ताकि हम लोग ये जो जल संरक्षण का मुद्दा है इसे एक ठोस नीति के रूप में आगे ले जाएं। सदन में जो बात माननीय मुकेश जी ने कही थी कि, 'Water Man of India' ने जो बहुत ही प्रैक्टिकल और गांव से संबंधित बहुत से सुझाव दिए थे, लोगों की भागीदारी उनका भी इसमें हिस्सा लेना सरकार की नीतियों द्वारा इन दोनों को इकट्ठा करना, इससे भी लोगों में एक पानी के प्रति आदर भी भावना पैदा करना, ये जरूरी बातें है। माननीय ध्वाला जी कह रहे थे कि पहले तो घराट भी चलते थे, अब तो ये सारी बातें सपना है, क्योंकि नदियों में पानी नहीं है और अब घराट तो नहीं चलेंगे, अब क्योंकि घर-घर में सबने छोटी-छोटी मशीने लगाई हैं। परंतु कम-से-कम जो जल की तरफ जो हमारी इज्जत है, मान है, वह मर्यादा के रूप में रहे। मैं फिर से we must have some sort of Sankalp Day. जिसमें विद्यार्थियों को और कार्यालयों को सभी संस्थाओं में इसके बारे में वर्कशॉप भी हों और संकल्प लेने की एक तिथि भी निश्चित की जाएं। जिससे की हमारे अंदर एक भावना पैदा हो कि हम किस तरह से पानी को आगे के लिए बचा सकते हैं और सरकार की नीतियों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03-04-2018/1520/DT/YK/1

अध्यक्षः अब माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट): माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के तहत जो चर्चा इस माननीय सदन में हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो निश्चित है कि पानी की समस्या का हल सभी के सहयोग से मिलेगा। आर-पार दोषारोपण करने से इसमें कोई लाभ नहीं होगा। यह बात निश्चित है कि पानी की समस्या से we have to live with it and how we have to live with it? वह हमें जल्दी-से-जल्दी समझने की

आवश्यकता है। जल सरंक्षण का अर्थ है कि जल के प्रयोग को घटाया जाये और सफाई, निर्माण, उद्योग और कृषि आदि के लिए जो री-साइकलड पानी है, उसका इस्तेमाल किया जाये। इसके साथ ही जल सरंक्षण का मतलब यह भी है कि पानी की बर्बादी को रोका जाये और पानी के प्रदूषण को भी रोका जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज के दौर में जल सरंक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है। हिमाचल के परिपेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और यहां पर जबानी और पानी नहीं ठहरता है। जबानी के लिए नौकरी नहीं है और पानी के ठहराव के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश में जल की आपूर्ति वर्षा पर निर्भर है और वर्षा का पानी निकलते ही सीधा भाखड़ा डैम और पौंग डैम में पहुंच जाता है। इसको संरक्षण की जरूरत है। अगर प्रदेश में पानी के संरक्षण की जरूरत है तो इसके लिए संग्रहण की भी जरूरत है। इसलिए जो आदरणीय ध्वाला जी और कर्नल साहब ने कहा कि हमें जगह-जगह पर पानी को रोकने के लिए बन्दोवस्त करना चाहिए। डैम बनाने चाहिए और चैकडैम लगाने चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम भविष्य के परिपेक्ष्य में देखें तो एक अनुमान के मुताबिक भविष्य में तकरीबन 350 मिलियन क्यूबिक माइल पानी है और इसमें 97 प्रतिशत पानी खारा है। पृथ्वी में केवल 3 प्रतिशत पानी है और इसमें से एक प्रतिशत पानी पीने लायक है। अब पानी की कन्जम्पशन और इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा जो एक प्रतिशत पानी है, वह भी प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए जल संरक्षण की भी जरूरत है और जल को प्रदूषण से बचाने की भी जरूरत है। मैं ऐसा समझता हूं।

03-04-2018/1520/DT/YK/2

नदियों में जल प्रवाह चलता रहे, इसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जितने भी डैम बने हैं, पानी को डायवर्ट कर दिया गया है और आगे की नदी सूखी पड़ी है। हालांकि, डैम ऑथोरिटीज़ को 15 प्रतिशत पानी नदी में छोड़ना चाहिए, लेकिन वे नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ-साथ जंगल भी कट रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिगल रहे हैं। ये सारी जो कम्पाऊंडिड सिचुयेशन्ज़ हैं, इनको दूर करने के

लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन इसकी शुरूआत सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार शुरूआत करेगी तो इसका फॉलो-अप एक्शन बाद में होगा।

अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम है। हमारे पास पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। यहां पर पानी काफी बरसता है और अगर हम इसका संग्रहण करें तो अच्छा होगा। लेकिन इज़रायल जैसे देश में पानी की उपलब्धता ही नहीं है। वहां का जो जल प्रबंधन है, वह बहुत ही उमदा दर्ज़े का है। वहां एक-एक बूंद के पानी का हिसाब लिया जाता है। लेकिन हम यहां पर पानी को जिस कैज्युअल ढंग से इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन तक हम उसके साथ नही रह सकते हैं।

03/04/2018/1525/RG/YK/1
श्री इन्द्र सिंह------जारी

इज़रायल में तो पीने-का-पानी समुद्र से लिया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है। खेती, उद्योग, सफाई इत्यादि के लिए रीसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही खाड़ी के देशों में भी पानी की बहुत कमी है। अफ्रीका के देशों में भी पानी की बहुत कमी है और वे केसे रह रहे हैं? उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका में कैप टॉउन के बारे में आपने भूगोल में पढ़ा होगा। वह बहुत पुराना टॉउन है। वर्षा नहीं हो रही है इसलिए वह टॉउन वाइन्ड अप हो गया है, totally deserted. वह इतना बड़ा टॉउन है फिर भी वहां कोई नहीं रह रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी स्थिति कहीं भी आ सकती है। इसलिए जल संकट से बचने का अगर एक मात्र उपाय है, तो वह 'जल प्रबन्धन' है। इस दिशा में हमें हिमाचल प्रदेश में भी काम करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस ढंग से दोहन हो रहा है, आज यहां हैण्डपम्प्ज की बात हुई कि जगह-जगह हैण्डपम्प्ज लग रहे हैं, लेकिन हैण्डपम्प्ज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हम हैण्ड पम्प्ज़ का इस्तेमाल तब करते हैं जब नलके में पानी नहीं आता है। इसीलिए वे हैण्डपम्प्ज भी ख़राब हो जाते हैं। अगर नियमित रूप से हम हैण्डपम्प्ज का इस्तेमाल

करते रहें, तो शायद उनकी लाईफ थोड़ी बढ़ सकती है। मेरा मानना है कि हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रम में यह एक अनिवार्य विषय रखना चाहिए कि 'जल संरक्षण' या जल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। I feel it is a very important step and we should take it. इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि हमें रेडियो पर भी जल संरक्षण के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, नाटकों इत्यादि के द्वारा जनता को जाग्रत करना चाहिए, उनमें जागरुकता लानी चाहिए कि किस प्रकार हम जल के संकट से छुटकारा पा सकते हैं। वर्षा जल का संचयन, that is a very important especially for a Himachal Pradesh. क्योंकि यहां पानी गिरता है, तो सीधे नीचे चला जाता है। उसको रोकने के लिए जगह-जगह जल संग्रहण करना जरूरी है। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में 4-5 जगह जल संग्रहण किया है and huge amount of water and massive amount of water has been collected. जिसकी वजह से जैसा श्री ध्वाला जी ने कहा, उस क्षेत्र के जितने भी हैण्डपम्प्ज थे, जितने भी प्राकृति स्त्रोत थे उन सबमें पानी आ गया है। अगर इस दिशा में काम किया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया बात पहाड़ी क्षेत्र के लिए और कोई हो ही

03/04/2018/1525/RG/YK/2

नहीं सकती। माननीय मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में पारछू एक जगह है, मैं समझता हूं कि अगर वहां बांध लगाया जाए क्योंकि दोनों तरफ वहां हार्ड रॉक्स हैं, तो हम वहां से पूरे जिले के लिए भी पानी दे सकते हैं। यहां तक की हमीरपुर के लिए भी पानी दे सकते हैं और इस दिशा में माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए इनको बधाई देना चाहूंगा। माननीय वन मंत्री जी ने अभी-अभी वक्तव्य दिया कि जगह-जगह पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो पेड़ लगाने से पानी का बहाव काफी रुक जाता है और यह पानी के संरक्षण की दिशा में एक बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा पानी के जो पुराने स्त्रोत हैं जिनका रख-रखाव हम भूल गए हैं उनका रख-रखाव करना बहुत जरूरी है। पुरानी बावड़ियां, कूंए हैं, उनका रख-रखाव हम सब भूल गए हैं। हम लोक निर्माण विभाग की देखते हैं कि वे आकर साफ-सफाई करेंगे। अगर कोई नलका खुला है, तो खुला ही रहेगा। हम सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की ओर देखते हैं कि उनके कर्मचारी आकर इसको बंद करेंगे। यह हमारी

प्रवृत्ति या हमारा यह प्राकृतिक स्वभाव बन गया है, मेरे ख्याल से इसको हमें जल्दी-से-जल्दी दूर करना चाहिए और अपने-अपने घरों में हम जल संग्रहण की बात भी करें। अध्यक्ष महोदय, मैं 'जाइका' के काम की भी प्रशंसा करता हूं कि उसने कई बड़े-बड़े काम किए हैं। कई पंचायतों में 'जाइका' की तरफ से बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं और हो रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी काफी काम हो रहे हैं और ड्रिप से या स्प्रिंकलिंग से सिंचाई करेंगे। क्योंकि फ्लड सिंचाई करने से पानी बहुत व्यर्थ जाता है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी काम हो रहा है। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में पानी की लीकेज के कारण बहुत वेस्टेज है। आप पानी लिफ्ट करते हैं और लीकेज के कारण पानी वेस्ट हो जाता है। यहां तक की एक चौथाई पानी लीकेज के कारण वेस्ट हो जाता है, it is a massive work. इसलिए माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बारे में मेरा अनुरोध रहेगा कि इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि

03.04.2018/1530/जेके/एजी/1
श्री इन्द्र सिंहः----जारी-----

जितनी भी हमारी पीने के पानी की स्कीमें हैं उन सभी का सम्वर्द्धन करने की जरूरत है, री-मॉडलिंग करने की आवश्यकता है। 20-20, 25-25 साल पुरानी स्कीमें हो गई है। इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वैस्टमैंट की भी जरूरत है। कुछ घर के अन्दर भी हमें सोचना चाहिए। घर के अन्दर भी कई बार नलका खुला रहता है जब आप ब्रश करते हैं या शेव करते हैं तब नलका हम खुला करके रखते हैं और जब तक हमारा एक्शन कम्पलीट नहीं होता तब तक वह नलका खुला ही रहता है। इससे भी पानी बच सकता है। आपके टॉयलैट में सिस्टन में उतना ही पानी होना चाहिए लेकिन इस प्रकार के भी सिस्टन चले हैं कि जितना पानी आपको चाहिए आप उतना छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे सिस्टन होते हैं कि उनका बटन दबाए तो सारा ही पानी निकल जाता है। इस तरह से वहां पर भी पानी बच सकता है। जब आप नहाते हैं, if you take shower पानी ज्यादा लगता है। आप बाल्टी से नहाएं और मग से पानी लें तो पानी कम लगता है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन ओवरऑल इनका

इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। मैं ऐसा भी समझता हूं कि जब ज्यादा कपड़े हों तो वॉशिंग मशीन में डालें यदि थोड़े-थोड़े कपड़े वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो भी पानी ज्यादा वेस्ट होगा। It makes difference over the long run. That is what I am saying. मैंने यहां पर भी देखा कि जब हमारा लंच होता है तो वे सारे के सारे गिलास पानी से लबालब भरे होते हैं उससे हम एक घूंट लेते हैं और फिर उस गिलास को रख देते हैं। That is sheer wastage of water. उस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। पानी की प्रॉब्लम कोई निचले इलाकों तक ही शामिल नहीं है यह समस्या सभी जगह है, मैं ऐसा समझता हूं। Even in areas like जो स्नो क्लैड एरियाज़ हैं उनमें भी पानी की प्रॉब्लम है वहां पर भी पानी की स्केयरसिटी है। आपकी भी दो जगहें CWC सेन्टर वॉटर कमिशन ने पूह और एक अन्य जगह चुनी है, जहां पर वॉटर सम्वर्द्धन का काम हो रहा है। क्योंकि जब एवलांच आते हैं तो वह कच्चा स्नो होता है वह साथ में चला जाता है, जल्दी-जल्दी में पिघल जाता है इसलिए वहां पर भी ड्रॉट प्रोन एरियाज़ बनने जा रहे हैं वहां पर भी उन्होंने काम किया है। यहां पर

03.04.2018/1530/जेके/एजी/2

अग्निहोत्री जी ने कहा कि मंत्री जी ने धर्मपुर से काम शुरू किया है। कहीं से तो काम शुरू करना है। आपने भी तो वहीं से शुरू किया है जहां से आप आते रहे हैं। कहीं से तो शुरू करना है। Believe it Dharampur area is totally based on lift water supply schemes. लिफ्ट पेयजल योजनाओं पर निर्भर है और ड्रॉट प्रोन एरिया है। वहां पर बनेंगा तो मेरा भी कुछ फायदा होगा। मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पानी की कमी निचले इलाकों तक ही सीमित नहीं है। हिमालय क्षेत्र में भी सेन्टर वाटर कमिशन ने आठ गांव हिमाचल प्रदेश व जम्मू एण्ड कश्मीर में आइडैंटिफाई किए हैं। हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पिति में दो गांव उन्होंने सनाम और झोलिंग चुने हैं और किन्नौर में माननीय जगत सिंह नेगी जी के चुनाव क्षेत्र में पूह और सुन्नम, दो गांव उन्होंने चुने हैं जहां पहाड़ों में जा

कर डैम लगा रहे हैं। जो हम चैक डैम लगाते हैं हर बरसात में वे सिल्ट से भर जाते हैं और मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में डीसिल्टिंग का बन्दोबस्त किया है। ऊपर तक हमने थोड़े-थोड़े चैक डैम लगाए हैं और वहां पर सिल्ट जमा होती जाती है। हमारे डैम की उम्र उससे काफी बढ़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे इतनी ही बात करनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.04.2018/1530/जेके/एजी/3

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने यहां पर लाया है, उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस पर अपने काफी विचार रखे हैं। मैं इसमें केवल इतना कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण के लिए यहां पर नीति लाने की बात है, बनाने की बात है और उसमें सुझाव देने की बात है लेकिन हमारे पास जो समय है वह तो बहुत कम है। इसमें कैसी नीति होनी चाहिए, उसमें हमें क्या करना चाहिए इतना विस्तृत हम जा नहीं पाएंगे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि क्या आप भविष्य में कोई नीति जल संरक्षण को लेकर लाने वाले है

03.04.2018/1535/SS-AG/1

श्री जगत सिंह नेगी क्रमागतः

या यह भविष्य के गर्भ में ही रहेगा? इसके ऊपर आपने नीति लानी है और जो नीति आप लायेंगे अब जैसे यहां पर एक कार्यशाला हुई थी जिसमें एक्सपर्टस भी आए थे। उनकी राय भी और इसी किस्म के बहुत सारे एक्सपर्टस हैं सबकी राय लेकर जो आप नीति बनायेंगे, उसको आप इस माननीय सदन में रखें ताकि हम सबको उसमें चर्चा करने का मौका मिले।

उसके अंदर जो कमियां या अच्छाइयां हैं उनके बारे में अपने विचार रखने का मौका मिले तो बेहतर रहेगा। यह जो नीति आप लायेंगे केवल आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट का ही काम नहीं होगा। इसमें आपको फॉरैस्ट डिपार्टमैंट को भी साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बगैर फॉरैस्ट डिपार्टमैंट को साथ लिये जल संरक्षण का काम हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो नीति बनती है उसमें एक ही पैमाना रखा जाता है। अब हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र भी हैं। मिड हिमालयाज़ भी हैं। प्लेन का इलाका भी है और जो नीति बनेगी वह सारे इलाकों को कवर करने वाली नीति होनी चाहिए। क्योंकि जो आप नीचे के इलाकों के लिए नीति बनायेंगे शायद वह ऊंचाई वाले इलाकों में कामयाब न हो। या अगर आप ऊंचाई वालों के लिए नीति बनायेंगे तो वह नीचे वालों के लिए कामयाब न हो। इन बातों का भी, जो आप नीति बनायेंगे, उसमें ध्यान रखना है। अभी कर्नल इंद्र सिंह जी ने यहां पर एवलांच के बारे में बात की है। यह सही है कि आज जो सबसे ज्यादा जल का भण्डारण है वह हिमालय में है। चाहे वह ग्लेशियर के रूप में है, चाहे हर वर्ष उसमें बर्फबारी के द्वारा भण्डारण होता है। ये दो मुख्य स्त्रोत हैं और तीसरा हम वर्षा के पानी को डैमों या चैक डैमों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं वह स्त्रोत है। जल भण्डारण के ये दो तरीके हैं। आज सबसे बड़ा खतरा ग्लेशियरों का पिघलना है। बड़ी तेजी से हमारे ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं। सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके कारण हमारा जल नीचे के इलाकों में भी कम आ रहा है। अब किस तरह से इन ग्लेशियरों को बचाना है उसके बारे में भी आपको नीति निर्धारण करना है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर लाहौल-स्पिति के अंदर हैं। उसके बाद हमारे जिला किन्नौर के अंदर हैं। फिर इसी तरह से पांगी-भरमौर के अंदर हैं। तो उसके साथ में अब बर्फबारी भी कम हो रही है। इस बार बहुत कम बर्फ गिरी है। इसके कारण भी आपको जानने की

03.04.2018/1535/SS-AG/2

आवश्यकता है और इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जो सबसे ज्यादा नुकसान आज की तारीख में ऊंचाई के क्षेत्रों (हिमालय) में हो रहा है वह हिम-स्खलन है। जिसको हम एवलांच कहते हैं। जब यह एवलांच ट्रिगर होता है तो कई-कई किलोमीटर तक इसके रास्ते में चाहे पेड़-पौधे हैं, चाहे उसमें मलबा है उसको तबाह करते हुए जाता है। अब इसको रोकने के लिए एक तरीका यह है कि जहां से एवलांचिज़ ट्रिगर होते हैं उसके

टॉप से काम करना है। अभी फॉरैस्ट डिपार्टमैंट इस किस्म के काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। हमने थोड़ा-सा अपने इलाके में फॉरैस्ट डिपार्टमैंट और आई0पी0एच0 के माध्यम से एवलांचिज़ को रोकने का काम किया है। जिसमें पूह शामिल है जिसका ज़िक्र मुझ से पूर्व माननीय सदस्य कर रहे थे। उसमें पहले ही हमने काम किया हुआ है और वह टिंकूनाला है जिस पूह की आप बात कर रहे हैं। उसमें हर साल एवलांच आता है। हमने कुछ टॉप पर काम किया है उसका फायदा हुआ है। उसके करने से काफी कम एवलांच आना शुरू हुआ है। परन्तु हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं, टॉप पर जाकर काम करना बहुत कठिन है। वहां पर चैक डैम बनाने के लिए चाहे पत्थर ले जाने का काम है या क्रेट का काम है उसको पहुंचाने में बहुत मुश्किलात हैं। उस पर भी आपको विचार करना है कि कैसे इस काम को किया जा सकता है। हमारा जो केन्द्र सरकार का स्नो और एवलांच स्टडी केन्द्र मनाली के साथ में है उनको भी हमने बुलाया था। अब वे आकर बड़ी-बड़ी स्कीमें बता कर जाते हैं परन्तु वे स्कीमें मौके पर प्रैक्टीकल नहीं हैं। क्योंकि वे इतना हाई स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं कि उसे बनाने के लिए हमें टॉप पर हैलीकॉप्टर के माध्यम से बने हुए ब्रिक्स को पहुंचाना पड़ेगा। फॉरेन कंट्रीज में तो वह किया जा रहा है क्योंकि वह बना बनाया ब्रिक्स सस्ता भी पड़ता है और उसको हैलीकॉप्टर के माध्यम से जिसे पिन प्वाइंट करते हैं जिसको आप जी0पी0एस0 में लाते हैं वहां पर ड्रॉप करते हैं और उसको उसी प्वाइंट पर लगाते हैं। यह पहले होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ देशों में जहां हमेशा एवलांच आता है उसकी अपोजिट साइड पर आर्टिलरी वालों को रखते थे। वे 24 घंटे निगरानी करते थे। जैसे ही वहां एवलांच शुरू होता है

3.04.2018/1540/केएस/डीसी/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी---

तो यहां से आर्टिलरी फायरिंग करके उसको डिस्बर्स करके एवलांच को रोका जाता था तो एवलांच प्रोटैक्शन का भी बहुत काम इसमें करना है। हमने आई.पी.एच. के माध्यम से कल्पा के नज़दीक एक पंगीनाला में यह काम किया और बहुत बर्फ रुकी है। इसमें लद्दाख में बहुत अच्छा काम हुआ है। लद्दाख में जिस शख्स ने यह काम किया है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वे इस काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने लद्दाख में बर्फ को रोक

कर गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया जल संरक्षण का कार्य किया है। उन्होंने जो लद्दाख में काम किया है, उसको यहां पर अपनाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सतलुज बेसिन है, सतलुज नदी के ऊपर सबसे बड़े हाईडल प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं। आज की तारीख में अभी कुछ प्रोजैक्ट्स बच गए हैं और अगर उन सभी को पूरा किया जाएगा तो सतलुज में पानी की एक बूंद नहीं बचने वाली है। सारे का सारा पानी टनल के माध्यम से जा रहा है। एन.जे.पी.सी. का जो 1500 मैगावाट का प्रोजैक्ट जो नाथपा से ले कर झाकड़ी तक है, 29 किलोमीटर पानी उसमें टनल के अंदर है। दूसरे उसकी अपस्ट्रीम में एक और प्रोजैक्ट जो पहले जे.पी. कम्पनी के पास था, अब जे.एस.डब्ल्यु. के पास है, 17 किलोमीटर फिर एक और टनल से वह पानी गया है। जंगी थोपन के बारे में भी चर्चा हुई थी, अगर वह भी शुरू हो गया तो जंगी से लेकर झाकड़ी तक सतलुज नज़र नहीं आने वाली है। उसके आगे रामपुर प्रोजैक्ट में पूरा का पूरा पानी चला गया है। वह भी कोई 10-11 किलोमीटर की टनल है। उसके आगे कोल डैम का प्रोजैक्ट है। तो सतलुज सिर्फ चाइना में ही दिखेगी लेकिन कहा जा रहा है कि चाइना ने भी प्रोजैक्ट बनाना शुरू कर दिया है। तो सारी सतलुज नदी सूख रही है। 15 प्रतिशत पानी छोड़ने का प्रावधान है परन्तु 15 प्रतिशत पानी मौके पर कोई नहीं छोड़ता। इसके लिए हमने पीछे लोकल एरिया डवैल्पमैंट कमेटियों में कम्पनियों से भी चर्चा की, उनको सुझाव भी दिया कि हर तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर डैम से नीचे की तरफ को डाउन स्ट्रीम में हर तीन-चार किलोमीटर में कोई पांच-पांच या दस-दस मीटर के डैम बनाए जाए ताकि वह पानी उनमें रुके फिर वह पानी आगे जाएगा। मौके के हिसाब से आप उसको रोकिए ताकि पूरे के पूरे एरिया में वहां पर पानी इकट्ठा रहे और उस इलाके में जो पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है जिससे नज़दीक के पहाड़ तेज़ी से पिघल रहे हैं तो उसको हम बचा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। धन्यवाद।

,3.04.2018/1540/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः अब इस विषय पर श्री बलबीर सिंह चौधरी जी अपना विचार रखेंगें।

श्री बलबीर सिंह (चिन्तपूरनी)ः अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जल संरक्षण नीति पर लाई गई चर्चा अति महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण ही नहीं सामयिक भी है। ठीक कहा गया कि मानवता के लिए जल की आपूर्ति बहुत जरूरी है परन्तु चेतावनी भी हमारे सामने है कि मानव जाति को पीने के पानी की कमी आ रही है। माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने ठीक कहा कि जिला ऊना में हमें हैंड पम्प लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है और अण्डर ग्राउंड वाटर के लिए भी विभाग वाले हमें वहां पर और ट्यूबवैल लगाने में रोक लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अध्यक्ष महोदय, जरूरत है कि वहां पर कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे आने वाले वर्षों में जिला ऊना में भी पानी की सप्लाई पूरी हो सके। मैंने बजट की चर्चा में हिस्सा लेते हुए भी कहा था कि जिला ऊना में लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में एक तरफ सतलुज बहती है और दूसरी तरफ ब्यास नदी बहती है। अगर भाखड़ा से या टैरेस से शाहपुर नहर की तर्ज पर कोई नहर बनाने की योजना बनाई जाए तो मैं समझता हूं कि जिला ऊना की प्यास को भी बुझाया जा सकता है। जिला ऊना में स्वां जलागम परियोजना के तहत लगभग ढाई सौ करोड़ रुपया खर्च किया गया परन्तु मैं दुर्भाग्य के साथ कह सकता हूं कि उस योजना को वन विभाग ने कम्पलीट किया,

3.4.2018/1545/av/dc/1

श्री बलबीर सिंह (चिन्तपुरनी)------- जारी

परंतु जितना कुछ धरातल पर होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। उस योजना का उद्देश्य केवल यही था कि भूमि के क्षरण को रोका जाए। वर्षा के दौरान जब मिट्टी पिघलती है तो उसको बहने से रोका जाए। इसके साथ-साथ जल का संरक्षण भी किया जाए, पानी को भी रोका जाए। लेकिन विभाग ने वहां गलत ठेकेदारी की प्रथा के माध्यम से इस परियोजना को घाटे में डाला और इस परियोजना से जिला ऊना के लोगों को भी कोई लाभ नहीं मिल सका। मैं यहां पर आदरणीय मुकेश जी को भी याद करवाना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में

जो काम होने चाहिए थे क्योंकि हमने 'जायका' के माध्यम से इस परियोजना को लिया था। लेकिन जब हम राजनीति में आ जाते हैं तो केवल अपने का ही भला सोचते हैं। हमने जापान में उन लोगों को टूअर पर भेजा जो कुछ भी नहीं जानते थे और उसमें 250 करोड़ रुपये में से कुछ राशि व्यर्थ में ही खर्च की गई। जिला ऊना में वर्षा जल संग्रहण करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। यदि वर्षा जल संग्रहण करने की दिशा में कुछ सोचा जाए तो मैं समझता हूं कि उससे जिला ऊना की जनता की प्यास को कम किया जा सकता है। जब वर्ष 2007 से 2012 तक हमारी पार्टी की सरकार थी तो जल संरक्षण नीति के तहत मेरे चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र में हम एक योजना लेकर आए थे। उसमें वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के तहत चिन्तपुरनी में पांच डैम लगाने के लिए लगभग 5.43 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। इसके अतिरिक्त सोहारी-टकोली पंचायत में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से एक डैम बनाना निश्चित किया गया था जिसमें से पानी उठाकर लगभग 4-5 पंचायतों को पहुंचाया जाना था। इसी तरह बंगाणा में समूर के पास आई0पी0एच0 विभाग ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले पांच वर्षों में हमने उसके लिए वन विभाग से भी परमिशन नहीं ली। वर्षा का पानी बहता चला गया, हम सोचते तो हैं पर करते कुछ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वर्षा का जल रोकने के लिए कोई ठोस नीति लाई जाए क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम 25 स्थान

3.4.2018/1545/av/dc/2

ऐसे हैं जहां अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जिससे वर्षा का पानी रुके तो आधे जिला ऊना को पानी मिल सकता है। मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। हमने घरों में सब्सिडी के माध्यम से अण्डर ग्राऊंड वाटर टैंक लगाये हैं। कई लोगों ने सब्सिडी खाने के चक्र में वह टैंक लगाये या नहीं लगाये, बराबर की बात है। जहां लगे भी है उनके लिए होना यह चाहिए था कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षित किया जाए कि उन टैंकों में केवल वर्षा होने के दौरान ही पानी भरा जाए। लेकिन जिला ऊना में हो यह रहा है कि जिन लोगों ने अपने घर के आंगन या बगल में यह टैंक लगाये हैं उनमें पीने वाला पानी ही छोड़ते

हैं। यदि एक गांव में 20 हजार केपेसिटी का टैंक बना है तो मेरे जैसे ऊंची पहुंच वाले लोगों के घरों में 5-5 हजार लीटर की केपेसिटी के टैंक बने हुए हैं। अगर चार लोग उठकर के अपने ही टैंकों को भरेंगे तो केवल उन चार लोगों को पानी मिलेगा बाकी गांव के लोग प्यासे रह जायेंगे। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस दिशा में भी सोचा जाए, उन टैंकों को केवलमात्र वर्षा के पानी से भरा जाए। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि शौचालय हमारी जिन्दगी में बहुत जरूरी है। लेकिन शौचालय में एक बार जाने से कम-से-कम 10 से 15 लीटर पानी खत्म होता है। कर्नल साहब ने अभी ठीक कहा कि हम 15 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वैक्यूम सिस्टम वाले शौचालयों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिस तरह से ऐरोप्लेन में वैक्यूम सिस्टम वाले शौचालय होते हैं क्योंकि वहां पर इतना पानी नहीं होता। जहां साधन-सम्पन्न लोग हैं या कॉमन प्लेसिज पर वैक्यूम सिस्टम वाले टॉयलट लगने चाहिए। इसके अतिरिक्त यहां पर हैण्डपम्प की बात की गई है।

03.04.2018/1550/TCV/HY-1

श्री बलबीर सिंह.... जारी

मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 प्रतिशत् हैंडपम्पस खराब है। कई जगह तो आई0पी0एच0 विभाग ने बोर्ड भी लगा दिए हैं कि इस हैंडपम्प में लाल व पीले रंग का पानी आता है, ये पानी न पिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जहां लोहे के पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति होती है, वह सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने भी यूरोप कंट्रीज़ है, वहां पर पी0पी0आर0 पाइप के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाया जाता है, क्योंकि पी0पी0आर0 पाइप में एंटी वैक्टीरिया लगा होता है। जब लोहे की पाइप में जिंक लग जाता है तो उस जिंक से जब पानी गुजरता है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। आज हमारे गांव में कई महिलाएं अनीमिया की वज़ह से पीड़ित हैं। उनमें खून की कमी है, कई भयंकर बीमारियों से

लोग पीड़ित हैं। उसका मेन कारण यदि देखा जाये तो गन्दा पीने का पानी है। अगर हम धरती के नीचे से स्वच्छ पानी ले भी रहें है, तो लोहे के पाइप से जब हम उसे आबंटित कर रहे हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में भी कुछ सोचा जाये। मैं इतनी ही बात करूंगा। धन्यवाद।

03.04.2018/1550/TCV/HY-2

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव माननीय श्री अग्निहोत्री जी द्वारा प्रदेश की जल संरक्षण नीति के ऊपर यहां सदन में रखा गया है। उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ये जो विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। प्रत्येक जीव-जन्तु को जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जल की कमी के कारण आज इंसान भी दुःखी है। इसके साथ ही जीव-जन्तुओं के लिए भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी जितनी भी पुरानी नदियां थी, वे सूखती जा रही है। उन नदियों को हम किस ढ़ंग से रिवाईव करें, इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले के समय में किसान, मजदूर, जब ये नलके बहुत कम होते थे, इन्हें स्रोत के माध्यम से नहाते भी थे और पीने का पानी भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इन नदियों में नाममात्र का पानी भी नहीं रहा है। गांव में हमारे जो पुराने तलाब होते थे, जिनमें हम अपने पशुओं को पानी पिलाते थे, जब पानी की दिक्कत होती थी, तो इंसान इन तलाबों से पीने का पानी भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हमारे तलाब पूरे हिमाचल प्रदेश में सूखे पड़े हैं। इनको किस ढंग से रिवाईव किया जाये, इसकी ओर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसी नदियां है, जिन पर जल संरक्षण के लिए यदि बांध लगाए जाएं तो पीने के पानी के जो स्रोत हैं, वे भी रिचार्ज़ हो जाएंगे और किसानों को पानी सिंचाई के लिए भी उपलब्ध हो सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चिकनी नदी पड़ती है। अगर उस नदी के ऊपर बांध लगाया जा सकें तो उस नदी से हम पीने का पानी और हजारों बीघा जमीन सिंचाई कर सकते हैं।

इसी प्रकार से हमारे विधान सभा क्षेत्र में दून और सिरसा नदी पड़ती है, जोकि बहुत महत्वपूर्ण है और हर समय उसमें पानी होता है। यदि उस पर बांध लगाया जाये तो वहां से भी पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से और नदियां भी हैं, जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां महादेव और कालाकुंड नदियां है।

03-04-2018/1555/NS/HK/1

श्री बलबीर सिंह ----जारी

इस प्रकार की नदियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती हैं और ये बहुत बड़ी नदियां हैं। इन नदियों में बरसात में बहुत पानी आता है। पहले इन नदियों में पानी पूरा साल रहता था। लेकिन अब कुछ नदियों में पानी है और कुछ में सूखता जा रहा है। इसी तरह सिंचाई के लिए पुरानी कूहलें हुआ करती थी और कूहलों के ऊपर बांध लगा करके वहां पर किसान सिंचाई का काम करते थे। लेकिन ये कूहलें अब सूख गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन कूहलों को दोबारा शुरू किया जाये। क्योंकि अगर हम सिंचाई के लिए टयूबवैल लगाते हैं तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब सिंचाई के टयूबवैल भी सूख रहे हैं, पेयजल की स्कीमें भी सूख रही हैं। अगर हम इन कूहलों को दोबारा रिवाईव करेंगे, नदियों के ऊपर बड़ी रिटेनिंग वॉल लगायेंगे और इनको दोबारा शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसानों को सिंचाई की सुविधायें बड़े अच्छे ढंग से दे सकते हैं। मेरे क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत बगलैहड़ में एक राज कूहल हुआ करती थी, जिससे दस हज़ार से भी ज्यादा बीघा ज़मीन को पानी लगता था। लेकिन अब यह बिल्कुल नाम मात्र के समान है। इसी तरह मेरे विधान क्षेत्र की एक पंचायत खेड़ा में एक कूहल हुआ करती थी, पहले इसको नहर ही कहते थे, इसके लिए सिरसा नदी से पानी बांधा हुआ था, लेकिन अब इसमें भी पानी बहुत कम है। इसी तरह ग्राम पंचायत रियाली के गांव दत्तोवाल में भी बहुत पुराने समय में एक कूहल हुआ करती थी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस और भी विशेष ध्यान दिया जाये तो किसानों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। इसी तरह मेरे क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत जगतपुर में 50 या 60 साल पहले से आई0पी0एच0 विभाग द्वारा उस कूहल का रख रखाव किया जाता था। अगर इस कूहल में पानी नहीं आये तो वहां पर आई0पी0एच0 विभाग की तरफ से स्पैशल ग्रांट दे करके इस

कूहल को चालू किया जाता था। लेकिन अब इस कूहल को भी चालू नहीं किया जा रहा है। जो मैंने अभी कूहलें कही हैं, इनकी ओर अगर माननीय मंत्री जी आप आई0पी0एच0 विभाग को विशेष निर्देश देंगे तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो किसान हैं, उनके लिए बहुत अच्छी राहत होगी।

03-04-2018/1555/NS/HK/2

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में सिंचाई की स्कीमें हैं। आज हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं कि जल संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि हमारे पुराने स्त्रोतों में पानी दोबारा आ सके। जो हमारी पुरानी नदियां हर वक्त बहती थीं, वे दोबारा बहनी शुरू हों। इसी तरह जो सिंचाई की हमारी पुरानी स्कीमें हैं, वे सूख रही हैं और आज किसानों को अपने खेतों में पानी लगाने के लिए सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसके लिए हमें जल संरक्षण जोकि माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यहां पर कहा गया कि स्थानीय लोगों को भी इसमें अपना समर्थन करना चाहिए। लेकिन सरकार को इसमें सबसे पहले पहल करनी चाहिए ताकि हमारी स्कीमें न सूखें। इसी तरह हमारी पेयजल योजनायें बहुत लम्बे समय 50 या 60 साल पहले ये योजनायें बनी थी। अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो उस समय हर गांव/कस्बे की आबादी बहुत कम थी। लेकिन अब ये आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। मैं अपने विधान क्षेत्र की बात करता हूं कि मेरे क्षेत्र की पेयजल स्कीमें बहुत सूख रही हैं। वहां पर पीने के पानी का बहुत हाहाकार मचा हुआ है। कुछ गांव ऐसे हैं, जहां पर लोग सुबह ही फोन करने शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की स्कीमें सूख गई हैं। यहां पर या तो टैंक बनाये जायें या फिर वहां पर आई0पी0एच0 विभाग के जो एक्स0ई0अन0 हैं, उनको निर्देश दिये जायें ताकि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या न बढ़ सके। नदियों के अलावा अन्य स्थानों को भी हमें चिन्हित करना चाहिए। वहां पर भी चैकडैम बनाने की आवश्यकता है। अगर हम वहां पर चैकडैम बनायेंगे तो माननीय मंत्री जी हम कह सकते हैं कि पानी का जो रिचार्ज़ है, वह हर जगह पर बढ़ेगा।

03.04.2018/1600/RKS/YK-1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा...जारी

माननीय अध्यक्ष जी, जल संरक्षण के ऊपर नीति बनाना अति अनिवार्य है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और हमारे वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में लड़ाई पानी के ऊपर होगी। इसे हम तभी रोक सकते हैं अगर सरकार जल संरक्षण के ऊपर एक ठोस नीति बनाए। हिमाचल प्रदेश में बहुत-सी नदियां- नाले हैं। अगर इस क्षेत्र में कारगर कदम उठाए जाएं तभी हम इन योजनाओं पर काम कर सकते हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बावड़ियां बनी हुई हैं। जब हम पहाड़ के क्षेत्रों में जाते थे तो वहां पर लोग बावड़ियों से पानी भरते थे। इन बावड़ियों का पानी बहुत साफ और ताकतवर होता था। लेकिन पिछले 2-4 वर्षों से वे बावड़ियां सूखती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण खनन माफिया है। उसकी वजह भी हमारे स्त्रोतों को सूखाने में अहम रोल अदा कर रही है। क्योंकि नदियों से लगातार पत्थर उठाए जा रहे हैं। क्रशरों को धड़ाधड़ परमिशन दी जा रही है। जो पत्थर नदियों से उठाए जा रहे हैं उसके लिए एक सीमा तय होनी चाहिए कि 5 फुट से ज्याद पत्थर न उठाए जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि नदियां 20-20 फुट गहरी कर दी गई हैं। इसके कारण भी हमारे जल स्त्रोत सूख रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर पानी की किल्लत है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे बहुत-से गांव हैं जहां हैंडपम्पस सूख गए हैं। हमारी पेयजल की योजनाएं सूख गई हैं। उन गांवों के लिए आप टैंकर के माध्यम से पीने-के-पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि लोगों को पीने-के-पानी की दिक्कत न हो। दूसरा, हैंडपम्पों पर धड़ाधड़ मोटरें लगाई जा रही है। हैंडपम्प की जो गहराई है वह 180 या 200 फुट से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब हैंडपम्प पर मोटर लग जाती है तो हैंडपम्प सूख जाते हैं। इसकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक अहम बात हमारे साथियों ने यहां पर कही कि हर आई.पी.एच. डिवीजन में पानी के पाइपों की लीकेज बहुत है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए विभाग के अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स की जानी चाहिए ताकि जहां पर पानी की लीकेज अधिक है वहां पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

03.04.2018/1600/RKS/YK-2

अध्यक्षः अब अंतिम वक्ता माननीय श्री जीत राम कटवाल जी, चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत श्रीमान् मुकेश अग्निहोत्री जी के द्वारा उठाया गया मुद्दा 'जल संरक्षण नीति पर यह सदन विचार करे', इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं भी इस विषय पर अपने विचार और कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। यह बात सही है कि महत्वपूर्ण पांच तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, में पानी भी मानवता की इकॉलोजी के लिए एक बहुत जरूरी तत्व है। उसके बारे में यह सदन चर्चा कर रहा है। इसको "scarce or sustainer of life" भी कहा गया है। इस पृथ्वी पर इसकी कमी से जो प्रभाव, विपत्तियां या हम लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वह हमें करना पड़ रहा है। उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

03.04.2018/1605/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री जीत राम कटवाल जारी

यह बड़ी खुशी की बात है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने पानी के बारे में कहा और पानी के बारे में यह कहा है कि इसका जो मेनेजमेंट है वह पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। क्योंकि इसको स्केयर रिसोर्स के नाम की संज्ञा दी गई है और सिस्टेनर ऑफ द लाइफ तथा इकोलॉजी भी इसको कहा गया है । सभी सदस्यों ने इसके बारे में जो कहा वह बहुत बहुमूल्य बातें कहीं हैं और लोगों के साथ इस सदन की आम जनता के प्रति जो चिंता है, वह इसकी अभिव्यक्ति है । इस चर्चा के दौरान जो भी निष्कर्ष निकलेगा, मुझे भी उम्मीद है कि विभाग और सरकार उस पर जरूर गौर करेगी। प्रत्येक सरकार ने इस दिशा में काम किया है और काम के साथ-साथ जो-जो भी सुझाव आए हैं या आए होंगे, उस पर अमल अवश्य हुआ है, जैसे कि माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने

कुछ दिन पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 4751 करोड़ रुपये की एक योजना लेकर भारत सरकार के पास गए हैं, एक अच्छा कदम है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। वाटर कंजर्वेशन के साथ-साथ जो प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं, उनको री डू करने की, उस पर पुनर्विचार करने की और उनके बारे में पुनः नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है, इस बारे में भी कदम उठाए जाने चाहिए और गम्भीर विचार करने की आवश्यकता भी है। पानी की प्राथमिकताएं हैं, पीना का पानी, सिंचाई के लिए पानी, सेनिटेशन के लिए, सिंचाई के लिए, हाइड्रो-पावर, हमारी इंडस्ट्रीज हैं। जो जल संरक्षण नीति है, वे इसके बारे में कुछ दर्शाती है। परंतु इसके बावजूद भी आज ये बहुत चिंता का विषय है कि पानी के बारे में अप्रैल, मई, जून के जो महीने हैं पूरे प्रदेश भर में हाहाकार का वातावरण होता है, यह इस वर्ष की बात नहीं पिछले 15-20-25 वर्षों से यह बात हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में देखता, सोचता और महसूस करता आया है, इसके लिए कुछ कारण तो मैं भी कह सकता हूं कि इसका जो प्रयोग है, पानी का प्रयोग और प्राथमिकताएं हैं उनके पुनर्निधारण की आवश्यकता है। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अतिरिक्त खनन, या खनन

03.04.2018/1605/बी0एस0/डी0सी0-2

माफिया, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, परंतु में साधारणतया यह कहूंगा कि अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग या जो नालों, खड्डों या नदियों के तल का जो एक जरूरत से ज्यादा दोहन बजरी और रेत के रूप में या उसमें इतनी छेड़-छाड़ की जाती है, उससे इकॉलॉजिकल बेलेंस के साथ-साथ वाटर लेवल का डिस्टर्व होना भी असंभावी है, आशंका ही नहीं बल्कि इसके परिणाम प्रत्येक व्यक्ति ने देखें हैं और समय-समय पर जिस-जिस फॉर्म पर उन्हें कहने का मौका मिला है, अपनी इच्छा और इस सम्बन्ध में अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। इसमें रेन-हारवेस्टिंग की भी बात आई। बहुत अच्छी बाते आई, इसकी सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं फार्म सैक्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फोरेस्ट

सैक्टर आदि जो विभाग हैं इनको भी गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है । छोटे-छोटे डैम गांव के स्तर पर और पंचायत स्तर पर या मनरेगा में जहां कहीं भी संभव हो बनाने चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में ज्यादा देर नहीं की जा सकती है। इसके संबंध मे कम्युनिटी लैवल पर और सरकारी स्तर पर अपना योगदान देना आवश्यक है ।

3.4.2018/1610/DT/AG/1

श्री जीत राम कटवाल------ जारी

Conservation and collection for routine use जो एक कहने की बात होती है। कैचमेंट एरिया, कमांड कैचमेंट एरिया या इसका जो यूज है या पानी के बारे में मितव्ययता कह लो, आज वाटर ए0टी0एम0 लगाने की बात होती है या पानी के प्रबंधन के बारे में बात हेाती है, ज्यादातर समस्या कनज़रवेशन के साथ-साथ प्रबंधन से भी जुड़ी हुई है। पानी का लिक होना या गिरना, कभी पानी किसी को बिल्कुल नहीं मिल रहा और कोई अपने प्रभाव से उसका अधिक प्रयोग कर रहा है तो उसके बारे में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं कही जा सकती। इसके बारे में हम सब लोगों को चाहे विभाग हो, चाहे सरकार हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो विचार करना होगा। कहा जाता है कि कईयों ने छोटे-छोटे आधे होर्स पावर के पंप लगाए हैं। शहर में लोगों के क द्वारा घरों में पंप लगाये जाते हैं अब उनका और अब उनक प्रचलन गावों में भी फैल गया है। लोगों ने छोटे-छोटे टुल्लू पंप लगाकर पानी अपनी मर्जी से अपनी सुविधानुसार और विभाग के जो मापदण्ड है उन्हें दरककिनार कर इसका दोहन करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते । पहले पीने के पानी के लिए आधे लीटर या एक लीटर की छोटी-छोटी बोतलें हुआ करती थी अब मिली लीटर की बोतल प्रयोग में आ रही है। सबसे बड़ी बात है यह कि जो हमारी ब्रिक्स या नाबार्ड की स्कीमें चली हैं इन स्कीमों में कहीं 94 लीटर पानी की बात होती है या कहीं 70 लीटर के पानी की बात होती है। उसमें भी एकरूपता नहीं है। इस पहाड़ी क्षेत्र में जहां जनता भी मेनजिऐबल है वहां

परिस्थितयां भी मेनजिऐबल की जा सकती है। हमें वाटर शैड मेनजमेण्ट, स्वाईल कन्जरवेशन कैचमेण्ट या छोटे-छोटे ट्रेन्च में काम करने की आवश्यकता है। मेरे पूर्व वक्ता ने स्नो एवालान्च स्टडी के बारे में कहा। जो गलेशियर के घटने की बात आ रही है उसके ऊपर हमें कोई प्रयोग या अनुसरण करना चाहिये। उसके बारे में जो उनके सुझाव आते हैं उन सुझावों को आम जनमानस और सरकार तक उनके क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है जब प्रोजैक्ट लगता है जैसा कि कुछ दिन पहले श्री राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि बिलासपुर के लिए फोर लेन में टनल बन रही है, साढे तीन किलोमीटर की उस रोड का ज्यादातर हिस्सा मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। श्री राम लाल ठाकुर जी खुद

3.4.2018/1610/DT/AG/2

कह रहे थे की सारे के सारे वाटर रिसोर्सिज़ डिस्टर्ब हो गये हैं। कीरतपुर से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो कम हो जायेगी परन्तु उसका जो दूरगामी परिणाम है उससे वह क्षेत्र पानी से वंचित हो जायेगा। क्योंकि नैनादेवी का यह क्षेत्र पहले से ही चंगर क्षेत्र है। उसके बावजूद जो परिस्थिति आने वाली उसके बारे में भी विचार करना आवश्यक है। मेरा चुनाव क्षेत्र जो 45 किलोमीटर गोबिन्द सागर लेक जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है उससे घीरा हुआ है। 195 किलोमीटर की कॉस्टल लाईन है। पांच नदियां उसमें मिलती हैं। इससे यह देखने को तो मिलता है कि यह क्षेत्र पानी से घिरा होने के साथ-साथ भारत की आधि जनता का पालन करता है लेकिन यह क्षेत्र स्वयं पानी के बिना है । इस तरह कहीं वक्त ऐसा न आ जाये कि हम किसी भी स्थिति में उसका सामना करने में सक्षम न हो पायें इसके लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। Environment Impact Assessment की बात है, प्रोजेक्टस लगते हैं। Environment Impact की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला Science and Technology विभाग या जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट

है उससे जुड़ा हुआ है। मै यह मानता हूं कि Environment Impact Assessment की जो suggestions हैं या उसके जो मापदण्ड हैं और उससे जो लोगों का जनजीवन प्रभावित होने वाला है।

03/04/2018/1615/RG/AG/1
श्री जीत राम कटवाल------जारी

उसके बारे में भी सरकार को गंभीर तरीके से सोचने की आवश्यकता है और वह बात उन व्यक्तियों तक पहुंचानी चाहिए कि इस स्कीम से, इसके रख-रखाव से या इसके लगने से उनका कितना जीवन प्रभावी होगा। वह सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा या नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। उसके लिए भी समय रहते उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे पानी जैसी दुर्लभ आईटम जो कई चीजें ससटेन करती है, जैविक जीवन को ससटेन करती है, मानव जीवन को ससटेन करती है और जो बायोडायवर्सिटी का कॉन्सैप्ट है, 2700 के लगभग इस प्रदेश में बायोडायवर्स्ड आईटम्ज हैं या जो फूल, पौधे, पशु, पक्षी जो इतनी वैरायटीज़ हैं, उसके बारे में उनके रख-रखाव या उनके ससटेन करने के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके बारे में बहुत कुछ किया। जैसे मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि इनकम डबल होने वाली बात है। सिंचाई से संबंधित चर्चा थी। इस वर्तमान सरकार ने पांच स्कीमों में लगभग 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सिंचाई में निवेश, यह 500 करोड़ रुपये की स्कीम है, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 338 करोड़ रुपये और जल से कृषि को बल योजना 250 करोड़ रुपये की है, सौर सिंचाई योजना 200 करोड़ रुपये की है।---(घण्टी)--

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना है। कृपया समाप्त करें।

श्री जीत राम कटवाल : मैं एक मिनट में समाप्त करुंगा। तो इस तरह के प्रयास हैं वह फार्म सैक्टर, ऐग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर को बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के जीवन में एक नई आशा और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करते हैं। इन्हीं

शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विशेष मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, जय हिन्द।

03/04/2018/1615/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत आदर के योग्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की जल संरक्षण नीति पर यह सदन विचार करे, इस नियम के अन्तर्गत जहां प्रस्तावक के रूप में इन्होंने प्रस्ताव रखा और इस पर चर्चा की। वहीं इनके साथ आदरणीय श्री रमेश चंद ध्वाला जी, आदरणीय डा.(कर्नल) धनी राम शांडिल जी, आदर के योग्य कर्नल श्री इन्द्र सिंह जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री बलबीर सिंह जी, श्री राणा जी एवं श्री जीत राम कटवाल जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री अग्निहोत्री जी जब भी कभी बोलते हैं, तो मेरे ऊपर काफी कटाक्ष करते हैं, घुमा-फिराकर बात मेरे ऊपर डालते हैं और हम उसको बहुत आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो जल की संरक्षण नीति है यह केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की ही एक गंभीर समस्या नहीं है। बल्कि यह समस्या जहां पूरे देश की है वहीं पूरे विश्व की भी है। आज पूरे विश्व में जब भी कोई बैठक होती है, तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अधिकतर जहां भी जाते हैं वे दो बातों पर विशेष बल देते हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा आतंकवाद। आतंकवाद तो इनसान के द्वारा तैयार किया गया है,

03.04.2018/1620/जेके/डीसी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः---------जारी--------

लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है यह इन्सान के द्वारा ही रचा गया है लेकिन परम पिता परमेश्वर अब इसमें अलग-अलग तरीके से निर्णय ले रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी जलवायु परिवर्तन अब दो किस्म का है। पहला यह है कि कभी बादल नहीं फटते थे। कभी

ऐसी मोटी बारिश, भारी बारिश नहीं होती थी और बेमौसमी वर्षा नहीं होती थी। यह मौसम परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष इसका यह है कि तापमान बढ़ने से जो ग्लोबल वॉर्मिंग है उसके बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं उनका निरन्तर पिघलना और वर्षा की कमी के कारण सूखे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो भू-जल है, जमीन के नीचे का भू-जल है उसमें निरन्तर गिरावट आ रही है। ये दोनों ही पहलू जैसे कि तरकड़ी के दो छाबे हैं ये इम्बैलेंस होते जा रहे हैं। अब विश्व स्तर पर अगर नज़र डालें तो जो जल प्रतिशतता पूरे संसार के अन्दर है, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ 97.20 परसेंट जल सागर व महासागरों में है। 2.15 परसेंट जल ध्रूवों, जो हमारे पर्वत हैं जहां बर्फ के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान हैं। शेष जो भूमिगत जल और अन्य स्त्रोतों से है वह 00.65 परसेंट है। अब जो 00.65 परसेंट है वह इस धरती के ऊपर है। देश में कुल वर्षा 48 परसेंट होती है और वह जल ही नदियों में पहुंचता है। संग्रहण, भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण जो 48 परसेंट वर्षा का जल है उसमें से केवलमात्र हम 18 परसेंट का ही दोहन कर पाते हैं। अगर हम इस टेबल पर बड़े गौर से नज़र डालें तो विश्व स्तर पर जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया है, भारत वर्ष भी इसी विश्व का एक हिस्सा है एक बड़ी अलारमिंग सी सिचुएशन है। पृथ्वी में कुल जल का आयतन 140 करोड़ घन मीटर है और उस 140 करोड़ घन मीटर में स्वच्छ जल का आयतन 3.5 करोड़ घन मीटर है। 140 करोड़ घन मीटर में से केवल मात्र 3.5 करोड़ घन मीटर स्वच्छ जल के रूप में पृथ्वी के ऊपर है जो कुल आयतन का 2.5 परसेंट पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह जो स्वच्छ जल है उस जल का भी 70 प्रतिशत भाग स्थाई हिम के रूप में पर्वतीय क्षेत्र में है। इसका भी 70 प्रतिशत यानि 2.5

03.04.2018/1620/जेके/डीसी/2

परसेंट का 70 परसेंट स्थाई हिम के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में है। कुल स्वच्छ जल का लगभग 30 परसेंट भाग भूमि जल वह अन्य भाग में है। अगर हम इस पृष्ठभूमि की तरफ जाएंगे तो

मैं ऐसा समझता हूं कि आज की जो चर्चा है इस चर्चा को अगर हम यहां से शुरू करें तभी जा करके चर्चा कहीं किसी उद्देश्य के ऊपर पहुंचेगी। इस कुल स्वच्छ जल का झीलों व नदियों में ताज़े जल के रूप में सिर्फ 0.3 परसेंट का हिस्सा है। मैं, अग्निहोत्री जी आपके ध्यान में ये सारी बातें ला रहा हूं और माननीय सदस्यों के ध्यान में भी ला रहा हूं। वर्षा जल का हम प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत जल उपयोग करते हैं।

03.04.2018/1625/SS-DC/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

2025 तक विश्व भर में लगभग 200 करोड़ आबादी ऐसी होगी जिनको गम्भीर जल संकट से जूझना पड़ेगा। पिछले 25 वर्षो के अनुसार ¾ जो हमारे कुएं, झीलें और तालाब हैं, जैसे माननीय सदस्यों ने कहा, वे सूख गए हैं। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार देश के 5723 विकास खंडों में से 839 विकास खंड ब्लैक डार्क जोन में आ चुके हैं। यह बड़ी गम्भीर स्थिति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। शहरीकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में जितनी खड्डें, नदियां-नाले हैं उनका भूजल जहरीला होता रहा है। उदाहरण के रूप में, अध्यक्ष जी, शिमला शहर जो इस प्रदेश की राजधानी है यहां के जितने भी हमारे सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट हैं चाहे वे इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, यहां से निकलने वाला जो पानी है वह आगे खड्ड में जाकर मिलता है। फिर वही पानी जब सोलन के पास पहुंचता है, डॉ0 साहब के शहर में नीचे खड्ड में पहुंचता है तो फिर उसी पानी को प्रॅक्यूलेशन वैल या सम्पवैल खोद करके उठाया जाता है। उठाने के उपरांत उसको वाटर ट्रीटमैंट प्लांट के माध्यम से शहर में पहुंचाया जाता है और फिर उसी पानी को पूरे शहरवासियों को पिलाया जाता है। एक ऐसी ही स्थिति आज हर शहर में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी शहर में है। आप किसी भी शहर में चले जाओ। मनाली, कुल्लू या मंडी चले जाओ, जितने भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट हैं वे सारे के सारे प्लांट नदी या खड्ड के किनारे बने हुए हैं और वहां से जो वेस्ट निकलता है वह वेस्ट आगे खड्डों और नदियों में चला जाता है। उससे नीचे रहने वाली जो हैबिटेशन है वह उन खड्डों और नदियों से पानी को उठाकर उसे ट्रीट करके फिर पीने के प्रयोग में लाया जाता है। इस स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी

का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका पूरे राष्ट्र और विश्व के लिए एक ड्रीम प्रोजैक्ट "वर्षा जल का संग्रहण करना, आसमान से गिरने वाली हर बूंद का संग्रहण करना" है। जैसे मैंने पीछे कहा कि माननीय प्रधान मंत्री जी जहां भी जाते हैं, विश्व के किसी भी देश में जाते हैं वहां पर उनकी दो प्राथमिकताएं रहती हैं। उसमें ये शामिल हैं। अभी तो हमारा तीन महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस कार्यकाल के बीच में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने रेन वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा है। प्रदेश स्तर की दो बैठकें इस पर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वे औपचारिक बैठकें हुई हैं। सिर्फ औपचारिकता निभाई और औपचारिकता निभाने के उपरांत

03.04.2018/1625/SS-DC/2

फिर फ्रदर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है, ऐसा नहीं है। मैं आगे आऊंगा और इस पर चर्चा करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बादल फटने की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस हाउस के अंदर अनेकों बार चर्चा हुई है कि बादल कैसे फटते हैं। कौन-कौन से आइडेंटीफाईड जोन हैं जहां पर बादल फटते हैं। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी बैठे हैं सराहन का जो ऊपर का हिस्सा है; इस तरफ रोहड़ू की तरफ; उस तरफ किन्नौर की तरफ और इस तरफ रामपुर की तरफ मैक्सिमम क्लाउड ब्रस्ट होते हैं। इसके अलावा हमारा जो कुल्लू का क्षेत्र है उसमें भी बादल फटते हैं। उसमें भी आइडेंटीफाईड साइटस हैं। इसके अलावा जो बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल और चम्बा का क्षेत्र है उसमें भी बादल फटते हैं।

3.04.2018/1630/केएस/डीसी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----

अभी कुछ ही दिन पहले एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी हुई थी । उसमें जो बड़े-बड़े विद्वान आए थे, साइंटिस्ट आए थे, मैंने उनसे पूछा कि बादल फटने की जो घटना है, इसके लिए क्या आपने कोई शोध किया है? कहने लगे कि इस पर क्या शोध हो सकता है? मैंने कहा हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटी हेलगन का शोध किया है और जिस स्थान पर जब ऊपर बादल इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जैसे ही हेल्ज़ के गोले बनना शुरू होते हैं, अब तो

ऑटोमैटिक मशीनें चल पड़ी पहले मैन हैंडलिंग थी, गोले चल पड़ते हैं फिर वहां से वे डिसैंट्रेलाइज़ हो जाते हैं। वे गोले न बन कर पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। मैंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है तो भारतवर्ष में इस प्रकार का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? बादल फटने की जो घटनाएं हैं, उन पर भी कोई न कोई शोध होना चाहिए। बादल फटने के कारण जो मैंने महसूस किए हैं, उनमें वनों का जो अंधाधुंध कटान हो रहा है एक तो यह है। यहां पर बहुत से सदस्यों ने कहा कि हम विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं। हम सड़कें बना रहे हैं, बड़ी-बड़ी टनल्ज़ बना रहे हैं। अवैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है, ऐसा महसूस करता हूं कि अवैज्ञानिक तरीके से जो टनल्ज़ का, सड़कों का काम होता है, माइनिंग होती है, यह कुदरत के साथ छेड़छाड़ है। जहां ये चीजें ज्यादा होती है, वहां बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं और वहां मोटी बारिश होती है और वही मोटी बारिश बादल फटने का कारण है। अब बेमौसमी बारीश हो जाती है। एक समय सबको पता था कि अब बरसात शुरू होगी। उसमें आठ-दस दिन आगे पीछे होते थे। किसान अपनी फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करता था लेकिन अब तो बेमौसमी बारीश होनी शुरू हो गई है। जब गन्दम बीजनी थी तो बारिश नहीं हुई। जब गन्दम को बारिश की आवश्यकता थी तो नहीं हुई। इस बार तो एक ऐसा क्रम चला हुआ है कि लगातार ही बारिश नहीं हो रही है। सूखे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यह जो बेमौसमी बारिश है, जो हम अवैज्ञानिक तरीके से विकास कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं करना चाहता पूरे विश्व की बात करना चाहता हूं,उससे हम एक गम्भीर सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ

3.04.2018/1630/केएस/डीसी/2

बादल फटने की घटनाएं हो रही है, मोटी बारिश हो रही है । जब सूखा होता है तो हमारी फसलें खत्म हो जाती है, पानी के स्रोत बन्द हो जाते हैं और जब वही अनटाइमली बारिश होती है, बादल फटते हैं और मोटी बारिश होती है तो उससे भूस्खलन होता है जैसे कि वर्ष 2013 में उत्तराखंड में हुआ, 2014 में हिमाचल प्रदेश में हुआ, 2015 में हिमाचल प्रदेश में

हुआ उससे बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है । हम आज एक ऐसी स्थिति में है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 90 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति है कि एक समय था हम आठ दिन के बाद कपड़े धोते थे। इतवार को कपड़े धोते थे और सोमवार को नये कपड़े पहन कर स्कूल जाते थे और फिर अगले इतवार को दोबारा कपड़े धोते थे। नहाते भी दो-चार दिन के बाद थे। अब तो स्थिति बदल गई है। अच्छी बात है लेकिन उस वक्त जो पानी की कन्ज़म्पशन थी, वह आज के समय में दस गुना बढ़ गई है। एक समय था जब छोटे-छोटे कुंए, बावड़ियां या छोटे-छोटे तालाब होते थे, वहां पशु पानी पीने अपने आप जाते थे।

3.4.2018/1635/av/hk/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मत्री------- जारी

जब वे चरागाहों में जाते थे तो उससे उनके छोटे-छोटे खुरों की वजह से वहां सुराख बनते थे और उससे भी जल संरक्षण होता था। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे कुंए सूख गए, हमारे तालाब सूख गए और पानी के सारे-के-सारे स्त्रोत सूख गए हैं। अब पशु भी घरों में बन्धे रहते हैं और पशुओं को भी नलकों का ही पानी पिलाया जाता है। दिन में बच्चों के दो-दो, तीन-तीन बार कपड़े धोये जाते हैं। इस तरह से वाटर कन्जम्प्शन बढ़ रही है और इसके लिए आदरणीय अग्निहोत्री जी, हमने भारत सरकार की मिनिस्टरी ऑफ वाटर रिसोर्सिस को 4,751 करोड़ रुपये की योजना का एक कनसैप्ट नोट दिया हुआ और आप उसमें एतराज कर रहे हैं। आप उसमें इसलिए एतराज कर रहे हैं क्योंकि धर्मपुर आ गया, सरकाघाट आ गया। हमीरपुर क्यों आ गया, अभी यहां पर राजेन्द्र राणा जी बैठे नहीं है, घुमारवीं आ गया, इसमें जोगिन्द्रनगर आ गया। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने 4,751 करोड़ रुपये का जो कनसैप्ट नोट भारत सरकार को दिया है यह कोई सैंक्शन नहीं हो गया लेकिन इसको प्रोसैस में तो डाल दिया। हमने किसी योजना को पाइप लाइन में तो डाल दिया या फिर हम न डाले, मैं आपसे पूछना चाहूंगा? पिछली सरकार के

कार्यकाल में जिस प्रकार से होता रहा कि कुछ मत करो। (---व्यवधान---) आप निश्चिन्त रहें क्योंकि मैं क्रिटिकल एरिया की ही बात कर रहा हूं। अगर हम अपना कदम ही आगे नहीं बढ़ायेंगे, कोई प्रपोजल ही नहीं बनायेंगे, हम अगली सोच ही नहीं रखेंगे तो भारत सरकार को तो कोई सपना नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति है। उस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए या पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए उनको कुछ देना चाहिए। इस 4,751 करोड़ रुपये की परियोजना के अंतर्गत सात चरणों में काम होगा, यह कोई एक चरण में काम नहीं होगा। इसमें चंगर के क्षेत्र को टोप प्रायोरिटी दी गई है। हमारा चंगर का क्षेत्र जम्मू से शुरू होता है और नूरपुर होकर आता है। उसके बाद कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर के बीचोंबीच होते हुए आगे विकास नगर तक जाता है, इसको चंगर क्षेत्र कहते हैं।

3.4.2018/1635/av/hk/2

चंगर क्षेत्र की टोपोग्राफी ईश्वर ने भले ही इतनी टफ बनाई हुई है लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि रेन वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए चंगर क्षेत्र सबसे उपयुक्त है क्योंकि इस क्षेत्र में हम वर्षा के पानी का संग्रहण कर सकते हैं। मुकेश जी, आप मेरी तरफ देखो। हम जब बंगाणा से ऊपर बड़े-बड़े रेन वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर बनायेंगे तो उसकी सीपेज कहां जायेगी? उसकी सीपेज हमीरपुर की तरफ आयेगी या उसकी सीपेज ऊना की तरफ जायेगी? मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी सीपेज हरोली की तरफ जायेगी। हमारी स्वां नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है। अभी बलबीर जी कह रहे थे कि अब तो ऊना में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर हैण्ड पम्प लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यह सही बात है, हैण्ड पम्प लगाने के लिए विभाग की परमिशन निश्चित तौर पर लेनी पड़ेगी। कुछ समय बाद तो ऐसी स्थिति हो जायेगी कि वह पूरा जिला ही बैन हो जायेगा क्योंकि वहां वाटर लैवल बहुत तेजी से घट रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप हमें यह बताइए कि ऊना, पंजाब, हरियाणा जैसे प्लेन एरिया में हम कितने रेन वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जब हमारा पानी ऊपर इकट्ठा होगा तो उस पानी की

सीपेज नीचे ही जायेगी। उस पानी की सीपेज ऊपर को नहीं आयेगी इसलिए 4,751 करोड़ रुपये की उस परियोजना के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता दी है और उस बारे में इन्होंने माननीय नीतिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा है। मैं भारत सरकार और नीतिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह वक्त की आवश्यकता है, यह भविष्य की आवश्यकता है। इसलिए इस पर काम करना पड़ेगा। मैं नेगी जी से बिल्कुल सहमत हूं। मैं जिस संगोष्ठी की बात कर रहा था उसमें मैं जब गया तो मैंने एक बात और कही कि क्या भारत सरकार के पास

03.04.2018/1640/TCV/HY-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री .... जारी

स्नो हार्वैस्टिंग का कोई कनसैप्ट है या विश्व में कोई है। वे कहने लगे कि हमने तो नाम भी आज ही सुना कि स्नो हार्वैस्टिंग भी हो सकता है। मैंने कहा कि स्नो हार्वैस्टिंग की आवश्यकता है। हमारे ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। अगर हम स्नो हार्वैस्टिंग की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आ सकती है कि हमारे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो मरूस्थल यहां पर रह जाएंगे। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम स्नो हार्वैस्टिंग पर ज़ोर देंगे। मुझे आपकी (श्री जगत सिंह नेगी) एक बात बहुत अच्छी लगी। स्नो हार्वैस्टिंग टॉप-टू-बॉट्म होती है। क्योंकि जहां ऐवालॉचिज़ बनने शुरू होते हैं, वहां से थोड़ा-सा बर्फ चलता है, जैसे लैंड स्लाईड चलते हैं। लैंड स्लाईड़ नीचे से नहीं चलता है, वह भी ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जब वह टॉप से चलता है तो थोड़ा-सा चलता है और फिर आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से ऐवालॉंचिज़ भी टॉप से चलते हैं और आगे बढ़ते-बढ़ते उसका इतना विस्तार हो जाता है कि जो भी उसके आगे आता है, वह साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार, हमारी सरकार आने वाले समय में स्नो हार्वैंटिंग के ऊपर भी एक योजना बनाएंगी और भारत सरकार को प्रेषित करेगी। हम करेंगे ही कुछ नहीं। हम आगे की तरफ सोचेंगे ही नहीं तो किसी को सपना थोड़े ही आएगा कि हमारे जो

ग्लेशियर है, उनको हम कैसे रिचार्ज़ कर सकते हैं? इनको रिचार्ज़ करने का हमारे पास यही तरीका है कि स्नो हार्वैस्टिंग स्ट्रैक्चर की तरफ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।

आपने एक और अच्छी बात कही है कि सतलुज बेसिन का सारे-का-सारा पानी टनल के माध्यम से आगे-से-आगे कड़च्छम-बांगतु-वसपा और उसके आगे एन0जे0पी0सी0, रामपुर प्रोजैक्ट और फिर लहूरी वाले प्रोजैक्ट से प्रभावित हुआ है। एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जो पहचान सतलुज नदी की थी, एक बहुत बड़े क्षेत्र में

03.04.2018/1640/TCV/HY-2

उसकी वह पहचान खत्म होती जा रही है। आपका बहुत अच्छा आइडिया है कि जो नदी अब सूखने के कगार पर है, अगर वहां पर छोटे-छोटे बांध बनाएंगे तो उससे हमारी नदी का स्वरूप वापिस आएगा और साथ में अंडर ग्राउंड वॉटर लेवल भी रिचार्ज़ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पर भी हम आगे काम करेंगे।

माननीय अग्निहोत्री जी ने एक बात कही है कि आपने 3267 करोड़ रुपये की योजना का ज़िक्र किया है। हमने ज़िक्र ही नहीं किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। मैं आज भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक ऐसी योजना दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है। भारत सरकार ने हमें 3267 करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर की है। मेरा विभाग उस पर रात-दिन काम कर रहा है। उसकी डी0पी0आर्ज़ बना रहा है और डी0पी0आर्ज़ बना करके कंसल्टैंट के साथ बैठ करके उसको फाईनल कर रहा है। जैसे ही वह वहां से फाईनल होगी, उसके बाद उसके टैंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा है। पीने के पानी की आवश्यकता यदि इस तरफ के चुनाव क्षेत्र के लोगों को हैं, तो उस तरफ के चुनाव क्षेत्र के लोगों को भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठाकुर जय राम जी की सरकार है। श्री अग्निहोत्री जी ये उस तरफ बैठने का असर है कि नुक्ताचीनी करनी ही करनी है। यदि महेन्द्र सिंह ने जैकेट के बटन बन्द किए है तो कहेंगे

कि आपने जैकेट के बटन बंद क्यों किए है और यदि खोल दूंगा तो कहेंगे कि आपने जैकेट के बटन खुले क्यों रखें हैं? लेकिन हम इन चीजों के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। ये विकास का काम है। मैं आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को भी विश्वास दिलाता हूं कि हम इस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे।

03-04-2018/1645/NS/YK/1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ----जारी

विकास पर अगर हम राजनीति करने लग जायें, विकास तो सूर्य भगवान की किरणों के समान होता है। सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो ब्रह्मांड के ऊपर क्या ऐसे देखते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री जी कहां बैठे हैं और महेन्द्र सिंह कहां बैठे हैं? सूर्य भगवान न तो धर्म देखते हैं, न जात-पात देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं, वे कुछ नहीं देखते हैं। इसकी किरणें एक समान इस ब्रह्मांड के ऊपर पड़ती हैं। जब सरकार बन जाती है तो हम चुनाव के पहले अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनती है, वह सबकी सरकार होती है। ठाकुर जय राम जी अब सबके मुख्य मंत्री हैं, ये अब आपके भी मुख्य मंत्री हैं। अब आप दिल से स्वीकार करो कि आपके मुख्य मंत्री भी ठाकुर जय राम जी हैं। यह सरकार सबके लिए है। जब सरकार सबके लिए है तो यहां विकास की दृष्टि से अग्निहोत्री जी कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जायेगा। यह जो लगभग 3267 करोड़ की योजनायें हैं, इसमें सभी चुनाव क्षेत्रों को, जहां जैसे-जैसे, जितनी-जितनी आवश्यकता होगी, उतनी-उतनी हम पीने के पानी की आवश्यकता पूरी करेंगे।

हमारा एक अन्य प्रोजेक्ट ग्रीन कलाईमेट फंड है और इसके तहत लगभग 1125.32 करोड़ रुपये का संकल्पना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि आप प्रस्ताव ही भेजते जा रहे हैं। हम एक और प्रस्ताव भेज रहे हैं। यह भी भेजा हुआ है, इसके अलावा एक और भेज रहे हैं। वह यह है कि हमारी पेयजल योजनायें जो 1970-80, 1990 और 2000 के दशक में बनी हैं, ये परियोजनायें उस वक्त की जनसंख्या के आधार पर बनी हुई हैं। इसकी पाईपलाइन जनसंख्या के मुताबिक कम थी और पशुओं के लिए उस समय पानी की आवश्यकता नहीं थी, जैसे मैंने पहले कहा है। लेकिन अब इन सारी-की-

सारी योजनाओं की रि-मॉडलिंग और ऑगमैंट करने की आवश्यकता है। हम लगभग 800 करोड़ रुपये की एक और योजना तैयार कर रहे हैं। मेरा विभाग इस योजना का कन्सैप्ट नोट तैयार कर रहा है। हम इस योजना को भी भारत सरकार को भेज रहे हैं। अगर हम भारत सरकार के पास नहीं जायेंगे तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इतनी धनराशि हो सकती है? हम भारत सरकार के माध्यम से फोरेन फंडिंग में नहीं जायेंगे तो हम विकास कैसे करेंगे? अग्निहोत्री जी, आपकी पांच साल

03-04-2018/1645/NS/YK/2

सरकार रही और आप पांच साल तक इन कुर्सियों पर रहे हैं। आपने पांच सालों में ऐसा क्यों नहीं किया? हम तीन महीने में कर रहे हैं। बच्चा पैदा होता है और उसको तीन महीने तक पता ही नहीं चलता है कि उसको क्या करना है? लेकिन यहां के बच्चे अच्छे बुद्धिजीवी हैं। आप भी मान लो, इसलिए हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, उसके लिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हम प्रशंसा भी नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो आप हमारी गलतियों को जरूर पकड़ें ताकि हम उन गलतियों को सुधार सकें। ऐसा न हो कि हम आंखें बंद करके चलते रहें कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक है। जो काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी। जो काम नहीं करेगा, उससे गलतियां नहीं होंगी। आपने पिछले पांच सालों से काम ही नहीं किया तो आपसे कहां गलती होगी? आपने कोई पाईपें ही नहीं खरीदीं। कोई कन्सैप्ट नोट नहीं बनाया, कोई डी0पी0आर0 नहीं बनाई और भारत सरकार के पास गये ही नहीं तो फिर आपसे गलती होने का प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता है। आज हमारी सरकार के सभी मंत्री पहली बार बने हुए हैं और आपके सवालों का कितने अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। मैं यहां पर पिछली बार को दोहराना नहीं चाहता हूं। इसी फ्रंट लाइन में हमारे कुछ दोस्त बैठते थे और उनसे जब कोई प्रश्न किया जाता था तो वे क्या बोलते थे? मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। जो दिन बीत गये, वह बात खत्म हो गई। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने लगभग 250 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई है। हमने शुरूआत तो की है। हम केवलमात्र भारत सरकार के ऊपर ही निर्भर नहीं हैं, हम वहां भी अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन हम यहां से भी शुरूआत कर रहे हैं, जो हमारा स्टेट का

फंड्ज़ हैं, वहां से माननीय मुख्य मंत्री जी ने लगभग 250 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई है। क्या यह गलत है या ठीक है? अग्निहोत्री जी, आप ऐसा बोलें कि ठीक है।

03.04.2018/1650/RKS/HK-1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री... जारी

इसके अलावा मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को हम हिमाचल प्रदेश के नालों, खड्डों, नदियों और जहां-जहां भी प्वाईंट्स हैं, हर जगह लगाएंगे। इसके लिए हमने 12 के 12 जिलों में सभी एक्सिअन को कहा है कि वे एस.डी.ओज., जे.ईज. और साथ में फिल्ड स्टाफ को आदेश दें कि वे उन प्वाईंटों को आईडेंटिफाई करें ताकि इसकी सारी रिपोर्ट हमारे पास पहुंचे। जैसे ही दिल्ली से प्रगति होगी हम अगला काम शुरू करेंगे। हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। आने वाली जनरेशन के लिए हम ग्लेशियर के बदले क्या विकल्प दें? जितनी वर्षा पहले होती थी उसकी तुलना में अब बर्षा कम हो रही है। विकल्प तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। हमें रात को सोए हुए विकल्प नहीं मिलेगा। विकल्प ढूंढने से मिलता है। इस देश के अंदर जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और भारत के कुछ और राज्य आते हैं। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए हिमाचल प्रदेश सबसे बैस्ट च्वाइस है। यह इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में वर्ष 2013-14 और वर्ष 2015 में भारी बारिश हुई। उस बारिश की वजह से वहां बहुत तहस-नहस हुआ है। वहां छोटे-छोटे नाले बड़ी-बड़ी खड्डों में तबदील हो गए। नदियों में भी वे प्वाईंट खत्म हो गए। जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर यह सम्भव नहीं हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश इस देश के अंदर सबसे बैस्ट च्वाइस इसलिए है क्योंकि यहां के लोग शांतिप्रिय हैं। हमारे यहां कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी जिससे कोई तहस-नहस हुआ हो। यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे हजारों स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने से हमें

काफी लाभ होगा। जो हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, वह वाटर लेवल रिचार्ज होकर ऊपर आएगा। हैडपंप, ट्यूबवैल, बोरवैल एवं जो हमारे पुराने स्रोत, कुएं, बावड़ियां हैं, वे दोबारा से रिचार्ज हो जाएंगे और उनमें पानी बहना शुरू हो जाएगा। उसका फायदा हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को भी होगा। इसके तहत मत्स्य पालन को भी

03.04.2018/1650/RKS/HK-2

बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो बेरोजगार नौजवान गांव में रहते हैं, वे वहां पर मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बर्षा से वाष्पीकरण होगा (...व्यवधान...) मैं दिन के ही सपने देखता हूं। रात के सपने साकार नहीं होते। दिन में जो सोचा जाता है वही साकार होता है। आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री जी) राजा साहब को पूछ लो जो जागते हुए साचेंगे, वही सपने पूरे होंगे। आप हमेशा नींद में सोचते हैं इसलिए आप इधर से उधर चले गए।

इससे हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा पलायन रुक सकता है। हमारे घराट, Hydel Project इत्यादि दोबारा से रिचार्ज़ हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो कुछ पैदा हो रहा है, उसमें भी यह लाभकारी हो सकता है। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी।

हमारे ग्लेशियरों का स्तर घटने लगा है। स्नो हार्वेस्टिंग की बात की गई है। आदरणीय नेगी जी क्या स्नो हार्वेस्टिंग होना चाहिए? स्नो हार्वेस्टिंग आपने शुरू किया है और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम आपका अनुभव जोड़ना चाहते हैं। यहां इधर-उधर का प्रश्न नहीं है। जिसका जो प्रैक्टिकल अनुभव है, हम उसके अनुभव का फायदा क्यों न उठाएं? हमारे ग्लेशियर रिचार्ज हों।

03.04.2018/1655/बी0एस0/ए0जी0-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी

जब हम यह सब करेंगे तो हमारे पास पानी के भंडार होंगे और आने वाले समय में उस पानी का शोध करके हमारे लोग यहां से बाहर भी पानी भेज सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मंत्री जी शिमला में तो पानी पहुंचा नहीं सके, आप विदेश में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अग्निहोत्री जी आप जो पांच साल में नहीं कर सकें, क्या तीन महीनों में उस बारे में परिणाम चाहते? आप अपने दिल पर हाथ रखो, फिर कहो कि क्या हम तीन महीनों में परिणाम दे सकते हैं? 775 करोड़ की कोल डैम परियोजना शिमला के लिए प्रस्तावित है, आपने उसमें कोई काम किया? हम उस पर काम करने जा रहे हैं। अब आप ऐसा बोलें कि तीन महीनों में 775 करोड़ रुपये की योजना चालू हो जानी चाहिए थी। आप सरकार के बीच में रहे हैं, आपको पता है, इतनी औपचारिकताएं होती हैं, पैसा लाने के लिए जब तक वे औपचारिकताएं पूरी न हों तब तक पैसा नहीं मिलाता, चाहे वह फोरन फंडिंग है, चाहे वह सेंटर फंडिंग है, चाहे कोई भी एजेंसी फंडिंग कर रही है, वह आपको हाथों-हाथ 775 करोड़ रुपया नहीं दे देगी, वे औपचारिकताएं पूरी होंगी तभी जा करके पूरा होगा। इस करके हमें भी सिंघापुर की तर्ज पर यहां पर कानून बनाने की आवश्यकता है। अफ्रिका का जिक्र यहां पर आदरणीय शांडिल साहब ने किया है, मैं इनसे कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा कहा है। जो बात आज करनी चाहिए थी उसी बात को इन्होंने कहा है कि अफ्रिका में तो ऐसा हो गया कि पानी की राशनिंग हो गई। अगर कुछ दिन के बाद वहां पर वही स्थिति हो सकती है। वहां पर लोग पानी के अभाव के कारण शहरों से प्लायन कर रहे हैं। इस करके हमारी कोशिश है कि ये जो रेन वाटर हॉरवेस्टिंग का काम है, इसको हम एन0जी0ओ0के माध्यम से, इसको हम दूसरे प्राइवेट

03.04.2018/1655/बी0एस0/ए0जी0-2

इंवेर्स्टज आते हैं ,उनके माध्यम से पूरा करें। इसमें जो रेत, बजरी आती है, जो जिक्र यहां पर किया गया उसकी डीसिल्टिंग के लिए उसे हम ऑक्शन करेंगे। क्रशर वालों को कहेंगे आप आइए और रेत, बजरी लीजिए। हमारा हार्वेस्टिंग रिजर्व भर चुका है आप आईए खाली कीजिए और हमें पैसे भी दीजिए और साथ में खाली भी हो जाएगा। माननीय अग्निहोत्री जी आप तो उद्योग मंत्री भी रहे हैं। क्रशर जो चलते हैं वह पत्थर और बजरी से चलते हैं, रॉ मिटिरियल वहां पर इक्ट्ठा होगा। उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। हम एक नई योजना लाने जा रहे हैं ।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी हमारे क्रशर नहीं लगें हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आपने गलती की, लेकिन आपने क्रशर वालों को संरक्षण पूरा दिया। हमारा क्रशर है, तो हमने उसे पूरे कायदा-कानून पर उसे चलाया हुआ है, नहीं तो पता नहीं आपने क्या करना था।

हम जलवायु परिर्वतन पर एक और काम करने जा रहे हैं। हम एक पुरस्कार योजना इस पर शुरू करने जा रे हैं। हमें जितने महिला मंडल हैं, युवक मंडल हैं, स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। हमें उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान करनी पड़ेगी। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हम चुने हुए लोग अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने लोगों को जानकारी नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह हमारा सांझा दायित्व है कि उन्हें इस बारे जानकारी प्रदान करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप और कितना समय लेंगे ?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट का समय तो लग ही जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदन की बैठक 15 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है।

03.04.2018/1655/बी0एस0/ए0जी0-3

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैं अपने मित्रों की जानकारी के लिए इसे भी एड करना चाहता हूं , यह प्रकृति का नियम है, सागरों और महासागरों से जो चक्रवात चलते हैं और वह चक्रवात बादलों के रूप में फिर पर्वतों के साथ टकराते हैं हम पर्वत नहीं है न ही चक्रवात हैं। लेकिन जब टकराते हैं तो फिर उससे जहां ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां बर्फ पड़ती है, जहां तराई वाला क्षेत्र है वहां बारिश होती हैं फिर बर्फ और बारिश के माध्यम से फिर पानी दोबारा कुछ खड्डों के द्वारा कुछ नदियों के द्वारा और कुछ धरती के नीचे चला जाता है।

03.04.2018/1700/डी0टी0/डी0सी0-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी

और फिर वह पानी दोबारा उसी महासागर में जा करके मिल जाता है, यह प्रकृति का चक्र है, वर्षा करना कोई मंत्री के अधीन नहीं है। यह तो कुदरत के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है, इस करके हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक सोच रखी है कि जैसे सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो सिवेज के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कर्नल साहब ने इजराईल का उदारण दिया है कि हम ऐसे पानी को रिसाइकिल करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वे तो पीने के लिए ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने समुद्र का खारा पानी है, उसको रिसाइकिल करके उसको पीते हैं। अभी हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमारे यहां पर वर्षा बहुत होती है वहां तो वर्षा ही बहुत कम होती है। हम सिवेज के पानी को रिसाइकल करके हम दोबारा से कम से कम उसको सिवेज में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पानी की अगर वेस्टेज होती है तो सिवेज के पानी के रूप में होती है। इस तरफ हम इसको टू टाइप सिस्टम में लाना चाहते हैं। ताकि कम-से-कम जो शुद्ध पेय जल है, विशेष ध्यान दें और जो सिवेज का पानी है, उसे अलग करें। अध्यक्ष जी, हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, इस सारे अभियान में मैं चाहूंगा कि जैसे आदरणीय, पूर्व प्रधान मंत्री, श्रद्धेय अटज

बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र की चिंता की थी कि प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना के रूप में इस देश के अंदर एक योजना शुरू की जाए। ऐसी ही योजना पूरे भारतवर्ष के अंदर "प्रधान मंत्री जल संसाधन योजना" के रूप में शुरू करने का हम प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी को भिजवाएंगे और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ विशेष ध्यान दें, ताकि ऐसी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार से भारत सरकार को जाए, ताकि वे इस पर विचार कर सके, क्योंकि यह आवश्यक है। हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं इन संस्थानों में एक आवश्यक विषय के रूप में रखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसा माननीय अटल जी ने कहा था कि इस संसार के अंदर तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। आज वही स्थिति हम सबके सामने खड़ी हो चुकी है। ताकि इस स्थिति को रोका जा सके।

माननीय सभापति (श्री रमेश चन्द ध्वाला) पदासीन हुए

03.04.2018/1700/डी0टी0/डी0सी0-2

हम सब मिल करके इस काम को निभाएंगे। यह कोई आई.पी.एच. के मिनिस्टर के रूप में केवल मात्र मेरा दायित्व नहीं है। मेरा तो सब के सब जितने मानीय सदस्य इस हाउस के अंदर है और जितनी भी प्रदेश की जनता है हम सबसे विनम्र आग्रह करेंगे कि एक सांझे दायित्व को निभाने में सहयोग करें। विशेषकर जो हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं आप सबका मार्गदर्शन आप सबका सहयोग मिले तभी जा सकके हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के रूप में हम काम कर रहे हैं। उसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और इस चर्चा में जहां हमारे प्रधान मंत्री जी का ड्रीम है, नई एक योजना है, वर्षा के जल का संग्रहण करना, वहीं हमरे मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर यहां की भौगोलिक परिस्थतियों को मध्यनजर रखते हुए हार्वेसिटंग स्ट्रक्चर/ वाटर इरिगेशन स्कीम चले ताकि हमारे पीने के पानी, हमारे सिंचाई के पानी, हमारी इस जलवायु परिर्वतन के

कारण जो उत्पन्न स्थिति है इसका मुकाबला कर सकें। आदरणीय सभापति जी मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति जी जहां मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं वहीं आपसे विनम्र प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी का सहयोग जो सूखा हमारे सामने आने वाला है।

03/04/2018/1705/RG/DC/1
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री------जारी

इस गंभीर सूखे के बारे में हम सब अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर अपने लोगों को कुछ बातों के लिए जरूर समझाएं कि हम पानी का दुरूपयोग न करें। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हम ऑल इण्डिया रेडियो पर भी मुख्य मंत्री जी के माध्यम से एक निवेदन पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों से करने जा रहे हैं कि सूखे की इस हालत में सभी प्रदेशवासी हमारी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो ज्ञानवर्धक सुझाव आपके मिले हैं मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय सभापति जी का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द, जय हिमाचल।

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला) : इस माननीय सदन की बैठक स्थगित करने से पूर्व मुझे आपको सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने आज शाम 8.00 बजे राजभवन में रात्रिभोज का आयोजन किया है। इसमें सभी माननीय सदस्य आमन्त्रित हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 03 अप्रैल, 2018 **सचिव।**